राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तीसवां दिवस संख्या: 19

गुरुवार,
01 अगस्त 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: मैंने सभी से कहा है राम-राम। आप तो कागजों में उलझे हुए हैं, कुछ विशेष।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कभी-कभी नजरे इनायत हम पर भी कीजिए।

श्री अध्यक्ष: देखिए पुरानी परम्परा है, पहले इधर, फिर इधर। मैं उस परम्परा को निभा रहा हूं। व्यक्तिगत नहीं। आज वैसे भी बरसात का मौसम है। सब प्रसन्न हैं। प्रश्न काल। श्री विकास चौधरी।

किशनगढ़ के थानों में दर्ज प्रकरण

331. श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ के पुलिस थानों में माह जनवरी, 2024 से माह जून, 2024 तक चोरी, डकैती व लूट के कितने प्रकरण दर्ज हुए व कितने प्रकरणों में बरामदगी हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में वाहन चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए? दर्ज प्रकरणों में से कितनों में वाहन बरामद हुए? शेष प्रकरणों में वाहनों के बरामद नहीं होने के कारणों सहित थानेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के पुलिस थानों में माह जनवरी, 2024 से माह जून, 2024 तक चोरी के कुल 138 प्रकरण दर्ज हुए व लूट के कुल 12 प्रकरण दर्ज हुए एवं डकैती का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त प्रकरणों में बरामदगी का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष जी, उत्तर प्राप्त हो गया है। पूरक पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: पहले कहते आप। अब तो मंत्री जी ने पढ़ना शुरू कर दिया। यानी जब मंत्री पढ़ना शुरू कर दें तो उसको पढ़ने दीजिए। पहले आप उठकर कह देते, कोई बात नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (2) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में वाहन चोरी के 66 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 13 प्रकरणों में वाहन बरामद हुए। शेष प्रकरणों में वाहनों के बरामद नहीं होने के कारण सहित थानेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: अब पूछिए, पूरक प्रश्न।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष जी, आपके द्वारा दिये गये जवाब में सभी दर्ज प्रकरणों में 90 परसेंट केसेज का समाधान नहीं हुआ। क्या केस दर्ज करना ही आपकी प्राथमिकता है? या केस का समाधान भी प्राथमिकता है? क्या सरकार किशनगढ़ में इनकी रोकथाम में विफल रही? यदि नहीं, तो माननीय मंत्री जी सदन को अवगत कराएं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रकरण हैं, जहां चालान पेश हुए, जहां एफआर हुए, वह सब माननीय सदस्य को हमने पेश कर दिए, दोनों परिशिष्ट के जरिये। फिर भी आपने दोबारा यही पूछा, आपको सब कागज प्राप्ति होने के बाद। इस वर्ष 6 महीने में आपके किशनगढ़ विधान सभा के अन्दर चोरी के मामले 138 दर्ज किए गए, लूट के कुल 12 प्रकरण दर्ज हुए एवं डकैती का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इनमें से चालान पेश किए कोर्ट में 17 और 5 अभी पेश हो जाएंगे। जो गाड़ियों की चोरी हैं, वह 66 हुई, रिकवरी 13 उसमें से हो गयी है। सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वह गाड़ियों की, ज्यादातर टू-व्हीलर चोरी है और सबसे ज्यादा मदनगंज के अन्दर, गांधीनगर के अन्दर है। मैंने मालूम किया, वह शहरी क्षेत्र है इसलिए ज्यादा है।

ये सात पुलिस स्टेशन का आपको मैंने पूरा विवरण दे दिया है। 50 अरेस्ट हो चुके हैं,एक बैलेंस है। लूट के अन्दर 12 में से चालान 2 के पेश हो गये, 12 अरेस्ट हो गये। मदनगंज के अन्दर 66 मामले पिछले सेम समय में हुए थे और इस साल, जो 6 महीने आप कम्पेयर करते हैं, तो 53 हुए थे, मतलब कि 20 परसेंट कम हुए। आपके एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स हमारी सरकार ने 16/12/23 को गठित की, जिससे मुझे लगता है कि जितनी भी चोरियां हैं, उसके अन्दर काफी कामयाबी मिलेगी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष जी, प्रदेश में आए दिन चोरी-डकैती को रोकने के लिए क्या सरकार विफल रही? यदि हां, तो क्यों नहीं, तो कैसे?

श्री अध्यक्ष: आप केवल किशनगढ़ का पूछिए। माननीय सदस्य, केवल किशनगढ़ का, प्रदेश का नहीं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): इसके साथ ही भविष्य में सरकार का क्या एक्शन प्लान होगा? इससे सदन को अवगत कराएं।

श्री अध्यक्ष: किशनगढ़ के लिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डकैती की बात की, डकैती तो आपके कोई हुई नहीं, जो 6 महीने की अवधि है, कोई डकैती नहीं है, उसके अन्दर। उसके बावजूद आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हर जिले के अन्दर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम गठित है। इंस्पेक्टर उसको हैड करता है और करीबन 7 से 15 पुलिस कर्मचारी उसके अंडर काम करते हैं। हिस्ट्रीशीटर्स के ऊपर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं, गुंडा एक्ट के थ्रू प्रीवेंटिव मेजर्स भी उन पर ली जा रही है। गश्त भी बढ़ा रहे हैं। डेटाबेस जो क्रिमिनल्स के हैं, जिसके अन्दर आईटी को यूज करके, उनकी फोटो, फिंगर प्रिंट्स, उनको भी हमने एनहांसमेंट दिया, ताकि कोई भी मोटरसाइकिल इधर-उधर जा रही है तो पुलिस वाला उसको रोककर तुरंत वेरिफिकेशन कर सके। पब्लिक प्लेसेज में सीसीटीवी कैमरा भी हमने बढ़ा दिए और हमारी पुलिस को हमने अवगत करा दिया कि आपके किशनगढ़ क्षेत्र में विशेष ध्यान रखे। आपकी चैकिंग वगैरह, गश्त को बढ़ा दी जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामबिलास। किशनगढ़ में आपका क्या है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, वहीं का है। किशनगढ़ का ही है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह जवाब यह है कि 90 परसेंट में बरामदगी नहीं हुई और सदस्य यही जानना चाहता है कि यह बरामदगी कब होगी? इतना-सा सवाल है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो मोटरसाइकिल की चोरी है, वह यह नहीं कि आपके किशनगढ़ के अन्दर उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक अलग है। यह पूरे राजस्थान का इश्यू है। इसके अन्दर क्या होता है, मैं एफआर की बात कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष। मेरे पास किशनगढ़ का पूछा है, अभी पूरे राजस्थान का नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगली बार बता देंगे। किशनगढ़ पूछ लिया। नहीं, आपके दोनों हो गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नेता, प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं कि बरामदगी कब करेंगे? टाइम बता दीजिए, बात खतम।

श्री अध्यक्ष: इसमें कभी टाइम बाउंड होता है क्या?

चलिए अगला प्रश्न। श्री रामबिलास।

लालसोट-सवाईमाधोपुर स्टेट हाईवे पर टोल वसूली

332. श्री रामबिलास (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूली नियमानुसार की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लालसोट-सवाईमाधोपुर स्टेट हाईवे 148एन पर बगडी स्थित टोल प्लाजा पर टोल वसूली की क्या कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में राजमार्गों पर स्थित टोल पर समय-सीमा समाप्ति के उपरांत भी टोल वसूला जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से? विवरण सदन की

मेज पर रखें।

(4) क्या टोल नाकों की परस्पर दूरी हेतु कोई नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (डॉ. मंजू बाघमार): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राज्य राजमार्गों पर टोल टैक्स संग्रहण राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002, शुल्क नियम अधिसूचना 2009 एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2015 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। नियमों की प्रति क्रमश परिशिष्ट-1 (1A, 1B एवं 1C) पर संलग्न है।

(2) लालसोट-सवाईमाधोपुर स्टेट हाईवे पर बगडी स्थित टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण की समायावधि दिनांक 23.08.2038 (परिशिष्ट-2) तक निर्धारित है।

(3) राज्य में राजमार्गों पर कुल 194 टोल प्लाजा स्थित हैं, जिनमें से आर.एस.आर.डी.सी द्वारा 105, आर.एस.एच.ए द्वारा 44, रिडकोर द्वारा 28 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 17 टोल प्लाजा संचालित किए जा रहे हैं।

उपरोक्त 194 टोल प्लाजाओं में से 184 टोल प्लाजाओं पर टोल संग्रहण अनुबन्ध में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत ही किया जा रहा है। 2 राजमार्गों (बांसवाड़ा-सलूम्बर राज्य राजमार्ग संख्या-32 के 3 टोल प्लाजा एवं सिरोही- रेवदर- मण्डार- डीसा राज्य राजमार्ग संख्या-27 के 3 टोल प्लाजा) पर टोल संग्रहण माननीय वाणिज्यिक न्यायालय संख्या-1 जयपुर द्वारा जारी स्टे के अनुसार टोल संग्रहण समाप्ति के पश्चात भी टोल संग्रहण किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति परिशिष्ट- 3(अ) एवं परिशिष्ट-3(ब) पर संलग्न है।

आर.एस.आर.डी.सी द्वारा बीकानेर बाईपास के 2 टोल प्लाजा एवं चौमूं-अजीतगढ-शाहपुरा के 2 टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण पूरा नहीं होने के कारण सक्षम स्वीकृति उपरांत टोल संग्रहण जारी है। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) टोल प्लाजाओं की परस्पर दूरी का निर्धारण राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002, शुल्क नियम अधिसूचना 2009 एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है एवं इसी अनुसार टोल नाकाओं का स्थान निर्धारित किया जा रहा है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 (1A, 1B एवं 1C) पर संलग्न है।

श्री रामबिलास (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पूरक पूछिए।

श्री रामबिलास (लालसोट): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि राजमार्गों पर टोल वसूली नियमानुसार की जा रही है तो उक्त क्रम में टोल टैक्स स्थापना से सम्बन्धित राजस्थान राजपत्र 24 सितम्बर, 2009 और राजस्थान राजपत्र 18 मार्च, 2015 के बाद 4घ के अंकितानुसार दो टोल नाकों के मध्य कम से कम दूरी 40 किलोमीटर की

होनी चाहिए। महोदय, प्रदेश के राजमार्गों पर टोल नाकों को स्थापित करने में इस नियम की पालना की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र लालसोट में स्टेट हाईवे।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए। इसको पढ़िए मत, प्रश्न पूछिए।

श्री रामबिलास (लालसोट): प्रश्न यही है कि मेरे विधान सभा में बगडी टोल नाके और सवाईमाधोपुर में बाड़ोती टोल नाके की दूरी 28 किलोमीटर है। पूरक प्रश्न है। जबकि कम से कम दूरी 40 किलोमीटर की होनी चाहिए या 60 किलोमीटर की होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः आप पूरक प्रश्न पूछिए। ऐसे होनी चाहिए, वह बाद में भाषण में बता देना। आप पूछना क्या चाहते हैं, वह पूछिए। यह टोल अवैध है। 28 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टोल को क्या मंत्री जी हटाएंगे, क्या विभाग इसको हटाने की मंशा रखता है?

माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, जिस टोल की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह 2002 की पॉलिसी के अनुसार टोल प्लाजा निर्धारित किया था। दूरी का कोई क्लीयर प्रावधान नहीं किया गया था, केवल फीस का प्रावधान था। फिर 2010 के अन्दर एक सर्कूलर निकाला राज्य सरकार ने और उसके आधार पर चेक बेरियर लगाया गया वहां पर, केवल लीकेज को रोकने के लिए लगाया गया था। उसमें यह निर्धारित किया गया कि दो जगह पर टोल नहीं लगाया जाकर, केवल एक जगह पर ही टोल लगाया जाएगा। उसके बाद 2015 की पॉलिसी के अन्दर दो टोल प्लाजा के मध्य जो दूरी बतायी गयी है, वह 40 किलोमीटर की निर्धारित है। इसके लिए कुछ शर्तें भी बतायी गयी थी।

माननीय सदस्य जिस टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं, वह 2002 की पॉलिसी के अनुसार है। फिर भी यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं तो उसका परीक्षण करवा लिया जायेगा। वैसे 2008 में भी रिडकोर द्वारा एक सर्कूलर जारी किया गया था, जिसमें मंथली पास का प्रावधान किया गया था कि यदि कोई दूरी कम है तो वहां के जो निवासी हैं, वह उसके लिए मंथली पास बनवा सकते हैं। उस पर केवल एक जगह ही पास देना होता है।

श्री रामबिलास (लालसोट): मैडम, वह मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर है। वह चेक पोस्ट नहीं, वह टोल संग्रहण केन्द्र है। उसमें हर गाड़ी को टोल देकर निकलना पड़ता है। हमारी ग्राम पंचायत का आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा उधर है। एक गांव से दूसरे गांव में अगर कोई व्यक्ति गाडी लेकर जाता है तो उसको टोल देना पड़ता है।

Ans/rtm 11.10 1b 1.08.2024

40 किलोमीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए, उसकी मात्र 28 किलोमीटर की दूरी है,बगड़ी टोल टैक्स और बाड़ोती टोल टैक्स के बीच।

श्री अध्यक्षः यह तो आ गया, प्रश्न पूछो भई।

श्री रामबिलास (लालसोट): इसको बंद करने की घोषणा करे। हटाने की घोषणा करे।

श्री अध्यक्षः 40 किलोमीटर दूसरी बार रिपीट कर रहे हो।

श्री रामबिलास (लालसोट): इसको हटाया जाए। अवैध टोल है1

श्री अध्यक्षः बैठिए। वैध है या अवैध है यहां फैसला नहीं होता। यहां प्रश्न पूछा जाता है, जो उत्तर मंत्री को देना होता है वह देता है। वैध है या अवैध है यह यहां तय नहीं होता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यही है एक तो जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि पूरे प्रदेश में ऐसे कितने टोल हैं, जो नियम के अनुसार दूरी से पहले लगे हुए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मेरा पहला क्वेश्चन तो यह है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): हमारी सरकार ने बंद किया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय कोली जी, बीच में नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसे कितने टोल प्लाजा है जहां सड़क खराब होने के बाद भी टोल लिया जा रहा है? तीसरा, टोल प्लाजा पर जाम लगने के बाद फ्री छोड़ने का कानून है, तो क्या इस कानून की पालना कराई जा रही है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): जैसा कि मैंने बताया राजस्थान में जो ओल्ड पॉलिसी के अन्दर बने हुए हैं, वैसे तो सारे टोल प्लाजा पॉलिसी के अकोर्डिंग है, फिर भी केवल तीन टोल प्लाजा ऐसे हैं जिनके मध्य दूरी कम है और वहां टोल संग्रहण किया जा रहा है। यह नियमों के अनुसार ही है, केवल इनमें चेक बेरीयर बना रखा है। जैसा कि उन्होंने पूछा है कि चेक बेरीयर और दूरी का जो प्रोवीजन किया गया है 2015 की पॉलिसी के अनुसार, उसमें न्यूनतम दूरी 40 किलोमीटर का प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अलवर से भरतपुर 100 किलोमीटर की दूरी है और चार टोल लग रहे हैं। इसके बाद मेरे दो क्वेश्चन और हैं, इसके बाद उनका भी आप जवाब देना। ...(व्यवधान)...

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): यह टोल पॉलिसी थी ...(व्यवधान)... यह ओल्ड पॉलिसी थी।

श्री अध्यक्षः श्री विनोद कुमार।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने शुरू क्यों किए, हमने तो बंद कर दिए थे। हमने तो बंद कर दिए थे टोल, आपने शुरू क्यों किए? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिए। श्री विनोद। बैठिए, माननीय सदस्य, प्रश्न काल में कोई बीच में नहीं।

हनुमानगढ़ ज़िले में नकली बीज व खाद के दर्ज प्रकरण

333.श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला हनुमानगढ़ में विगत पांच वर्षों में नकली बीज एवं डीएपी खाद के कितने प्रकरण दर्ज हुए? उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नकली बीज, खाद एवं डीएपी के विक्रय पर रोकथाम हेतु कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। बैठिए, माननीय सदस्य। प्रश्न काल में कोई बीच में नहीं

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) अध्यक्ष महोदय, जिला हनुमानगढ़ में विगत पांच वर्षों में नकली बीज का एक भी प्रकरण प्राप्त नही हुआ। नकली डीएपी के संदर्भ में दो प्रकरणों में कुल 662.8 क्विंटल आदान की विभाग द्वारा जब्ती की कार्यवाही कर पुलिस थाना नोहर एवं खुईयां में वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। जिसका विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

उक्त प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 468 व 120 -बी में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। एक में चालान भी कर दिया गया है।

(2) बीज, खाद एवं डीएपी का उत्पादन, भण्डारण एवं विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983 व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत किया जाता है। उक्तानुसार अधिनियम, नियम, नियंत्रण आदेशों में संशोधन एवं नये प्रावधान जोड़ने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार का है। इस संबध मे राज्य सरकार के स्तर से कोई कानून नहीं बनाये जाते हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरक प्रश्न है, खाद बीज प्रयोगशाला हनुमानगढ़ के अन्दर खोलने का सरकार विचार रखती है या नहीं, नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदस्य को बताना चाहूंगा, राज्य में कृषि आदानों के परीक्षण हेतु सात राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ, सात राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और एक राज्य जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है और एक समन्वित उर्वरक बीज एवं कीटनाशक रसायन परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणाधीन है। अभी हाल-फिलहाल हनुमागढ़ के लिए गंगानगर की प्रयोगशाला काम में ली जाती है।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि डबलीराठान में लेबोरेटरी बनकर तैयार हो चुकी है, टेस्टिंग सामान की सुविधा अभी वहां उपलब्ध नहीं है, कब तक चालू हो जाएगी?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): समन्वित उर्वरक बीज एवं कीटनाशक रसायन परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणाधीन है, इसका मार्च तक कार्य पूर्ण कर दिया

जाएगा।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोरधन।

धोद के चिकित्सालयों में रिक्त पद

334. श्री गोरधन (धोद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्ग के कितने पद स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त हैं? चिकित्सालयवार पदों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों में उपकरणों का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उपकरण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): 1) विधान सभा क्षेत्र धोद में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 96 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: शुरू करने से पहले क्यों नहीं बोलते हो? अब तो शुरू हो गया। अब तो रिकार्ड में आएगा। आप जब प्रश्न पुकारते हो, उसी समय कह दो कि उत्तर आ गया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिनमें राजपत्रित संवर्ग के विशेषज्ञ/चिकित्सक एवं अराजपत्रित सवंर्ग के विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्तपदों का संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	राजपत्रित	48	32	16
2.	अराजपत्रित	356	274	82

विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजपत्रित संवर्ग के पदौन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदौन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा संभव भरने के प्रयास किये जायेगें।

चिकित्सा अधिकारी के 1220 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कि गई है।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है।

अराजपत्रित संवर्ग के नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट के 3067, महिला स्वास्थ्य

कार्यकर्ता के 4847 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा

सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाली भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में गेप एनालाईसिस कर आवश्यकता अनुसार उपकरण शीघ्र ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर से संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि हमारे गांव में यदि हम चिकित्सा को सुदृढ़ करते हैं तो उससे हमें ज्यादा फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री गोरधन (धोद): आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है, मैंने पांच सीएचसी बताई थी, जो लोसल हमारा उप जिला अस्पताल बन गया है, इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय व मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री गोरधन (धोद): मैं वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सीधा प्रश्न पर आ जाओ। संतुष्ट है तो फिर क्या बचा।

श्री गोरधन (धोद): जैसे हमारी सीएचसी कूदन है, सीएचसी धोद है, सीएचसी फागलवा है, वहां पर आउटडोर भी ज्यादा है, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहां पर चिकित्सा सम्बन्धी जो भी सुविधाएं है, चाहे एक्सरे मशीन है, बच्चों के लिए आई.सी.यू. है, इस प्रकार की सुविधाएं हमें कब तक उपलब्ध करवा देंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न हैं इसमें दो बड़े-बड़े मुद्दे हैं, एक तो रिक्त पद और दूसरा उपकरण। उपकरण जिससे पीएचसी, सीएचसी वगैरह सही चल सके। मैं माननीय सदस्य को सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि धोद विधान सभा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर वाईज एक बेहतरीन विधान सभा है, क्योंकि वहां 96 सब सेंटर हैं, 16 पीएचसी है और 05 सीएचसी है। आपने रिक्त पदों की बात की थी, पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। दूसरा, डॉक्टर्स के 48 पद सैंक्शन हैं और वर्किंग 32 तथा रिक्त 16 है, यानी 67 परसेंट इनके डॉक्टर्स हैं, जो मैं कहता हूं कि स्टेट का बहुत हाई लेवल पर आ जाता है। नर्सिंग और पैरामेडिकल टोटल 356 पदों में से 274 हैं यानी 76 परसेंट ऑक्यूपेंसी वर्किंग स्टाफ की है, मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है।

अब आपने पूछा कि आगे हम क्या करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की सबसे बड़ी

चुनौती है कि पद रिक्त नहीं होने चाहिए। पूर्व सरकार हमें विरासत में छोड़कर गई, खाली रिक्त पद ही रिक्त पद मिलेगे। आपके माध्यम से मैं पूरे सदन का अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हमने असिस्टेंट रेडियोग्राफर 863 , लैब टैक्नीशियन 188, आई डॉक्टर्स 109, दंत चिकित्सक 76, ईसीजी टैक्नीशियन 3082 की भर्ती हो चुकी है। अभी 3067 फॉर्मासिस्ट, 4847 एएनएम, नर्सिंग स्टाफ 8750...

VPS-RTM-01.08.2024-11.20-1c

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इतने चिकित्सा अधिकारी धोद में नहीं चाहिए। आपने बहुत ज्यादा बता दिये हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): साहब, इनकी बहुत आक्यूपेंसी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री कंवरलाल।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया। आपने धन्यवाद भी दे दिया। श्री कंवरलाल। आप धन्यवाद भी दे रहे हो, आगे भी पूछ रहे हो।

झालावाड़ व बारां जिलों में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल

335. श्री कंवरलाल (अंता): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ व बारां की किन-किन पंचायत समितियों में स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल संचालित हैं?

(2) क्या उक्त स्कूलों में प्राइमरी सेक्शन प्रारम्भ करने के लिये प्रत्येक स्कूलों के लिए बजट जारी किया गया था? क्या प्राइमरी सेक्शन भवन के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि हां, तो स्कूल के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्कूलों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने व शेष बजट का आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला झालावाड़ व बारां में वंचित पंचायत समितियों में भी स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जिला झालावाड़ की 04 व बारां की 06 पंचायत समितियों में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा 134 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में प्री- प्राइमरी व प्राइमरी कक्षाओं के लिये प्रति मॉडल स्कूल 75.58 लाख रुपये के हिसाब से कुल राशि 10127.72 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है ।

प्राथमिक कक्षाओं के लिये भवन बनकर तैयार है तथा वर्तमान में उक्त मॉडल विद्यालयों

में प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 01 से कक्षा 05 तक) के संचालन, पदों के सृजन एवं गतिविधियों हेतु वित्त विभाग की आई.डी संख्या 152401048, दिनांक 20.06.2024 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है ।

(3) प्रश्नोत्तर के खण्ड 02 के अनुसार।

(4) जी नहीं। सत्र 2015-16 से उक्त योजना को Delinked कर दिया गया है एवं उक्त योजना अब राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई है। वर्तमान में उक्त योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि सरकार द्वारा पूर्व में प्रत्येक पंचायत समिति पर विवेकानंद मॉडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम से खोलने थे। पूर्व में विधान सभा क्षेत्र अंता की मॉडल स्कूल को सीसवाली में खोला गया जिसकी अब नई पंचायत समिति मांगरोल है। इसी प्रकार झालावाड़ में भी मनोहरथाना पंचायत समिति में मॉडल स्कूल अकरेला में चालू है, अब अकरेला भी पंचायत समिति है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नई गठित पंचायत समिति में स्कूल खोलने का कोई विचार रखती है तो माननीय मंत्री महोदय बताने का श्रम करें और अगर नहीं तो पूर्व में पंचायत समिति के स्कूल के नाम को बदलने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं की शिक्षा की प्रतिशतता कितनी है और उसके आधार पर 186 खंडों को चुना गया था और उसी आधार पर इसको खोला गया था। अब क्योंकि यह राज्य सरकार की वित्त पोषित है, अब उसके बाद यदि सरकार निर्णय लेती है कि और जगह भी खोला जायेगा तो फिर वहां की महिलाओं की प्रतिशतता क्या है, उसके आधार पर विचार किया जायेगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सरकार ही हो।

श्री अध्यक्षः यह आप छोड़ो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): विचार किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सरकार ही तो हो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हां, मैं सरकार ही हूं तो इसीलिए तो कह रहा हूं। हां, सरकार ही हूं।

श्री अध्यक्षः सरकार है। यह मदन दिलावर सरकार है, आप डोटासरा सरकार हो। वह राजस्थान सरकार की बात है।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा दूसरा सवाल यह है कि विवेकानंद मॉडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम से संचालित है परंतु आज भी वहां पर कार्यरत अध्यापक हिंदी माध्यम के ही प्रतिनियुक्ति पर हैं अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि विवेकानंद मॉडल स्कूल की फैकल्टी को अंग्रेजी माध्यम से भरे जाने

की मंशा सरकार रखती है और यदि है तो कब तक?

श्री अध्यक्षः वह स्कूल ही अंग्रेजी माध्यम से है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरूआत में हमने इंटरव्यू लेकर जो शिक्षा विभाग में टीचर्स थे, जो अंग्रेजी अच्छी जानते थे या अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए थे, उनको उसमें डेप्यूट किया था। फिर भी हम इसका आकलन करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी और उसकी भर्ती करने का प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री कालीचरण सराफ।

प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना

336. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर प्रदेश में यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने हेतु बिल लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। जोगारामजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): तैयार है, साहब।

श्री अध्यक्षः कालीचरणजी का प्रश्न है।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): जी, हां। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है।

श्री अध्यक्षः हो गया? अगला प्रश्न, श्री प्रताप लाल भील।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इनकी सेटिंग गजब की हो गयी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः वह आपसे सीखे होंगे। श्री प्रताप लाल भील। ...(व्यवधान)...

गोगून्दा के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

337. श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगून्दा में कितने पशु चिकित्सालय व पशु उप केन्द्र संचालित हैं?

(2) उक्त पशु चिकित्सालय व उप केन्द्रों में कुल कितने पद स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र गोगून्दा में 3 ब्लॉक

वेटेरिनरी हेल्थ ऑफिस सहित कुल 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 13 पशु चिकित्सालय तथा 41 पशु चिकित्सा उप केन्द्र सहित कुल 59 पशु चिकित्सा संस्थायें स्वीकृत हैं। जिसमें से 50 पशु चिकित्सा संस्थायें क्रियाशील तथा 9 अक्रियाशील हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगून्दा में पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने 59 पशु चिकित्सा संस्थाएं बताई थीं जिनमें से आपने 9 अक्रियाशील बताई है तो अक्रियाशील होने का क्या कारण है और इनको क्रियाशील करने के लिए आप कोई विचार रखते हैं क्या? दूसरा, गोगून्दा विधान सभा क्षेत्र में जो रिक्त पद हैं उनको कब तक भरा जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि अक्रियाशील का मतलब है कि वहां पर चिकित्सक या पशुधन सहायक की नियुक्ति नहीं होना इसलिए वह सिर्फ कागजों में ही चलता है, वहां पर कोई स्टाफ नहीं होने की वजह से वह हॉस्पिटल चल नहीं पाते हैं। इनके क्षेत्र में 9 अक्रियाशील संस्था है और दूसरे जो रिक्त पद हैं उनमें भी इन संस्थाओं में कुल स्वीकृत पद 150 है और कार्यरत उसमें से 63 है और रिक्त पद है 87 तो इसमें कई तो डॉक्टर के पद है, कई पशुधन सहायक के है, कई पशु परिचर के पद भी रिक्त हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 900 पदों पर नियमित भर्ती हेतु विज्ञप्ति 22.10.2019 को निकाली थी, 02 अगस्त, 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित हो गयी तथा परिणाम 26 नवम्बर, 2020 को ही जारी किया जाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर से साक्षात्कार सम्पन्न हो गये हैं। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण परिणाम प्रकाशित होना बकाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी वाद लम्बित था, वहां पर वाद का निस्तारण विभागीय प्रयासों से करवा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से वाद निस्तारण होने पर डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी जायेगी और साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु परिचर के 6492 पदों के विरुद्ध 5934 पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत 12 जनवरी, 2024 से 17 जनवरी, 2024 तक आवेदन लिये जा चुके हैं जिसमें राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा लिखित परीक्षा दिसम्बर माह में करवाकर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना

चाहता हूं कि जो भवन रहित पशु चिकित्सा केन्द्र है, उनमें भवन बने हुए नहीं हैं, उनमें भवन कब तक बनाएंगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके क्षेत्र में भवन रहित सिर्फ तीन ही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः भवन का तो प्रश्न में पूछा ही नहीं है आपने। केवल आपने पदों का ही पूछा है। मंत्रीजी, जितना पूछा है, उतना ही बताइये।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री उदयलाल भडाना।

इसमें भवन का नाम ही नहीं है। ऐसा नहीं। लिखा कुछ है, पूछ कुछ रहे हो, आपने डॉक्टरों का पूछा है, वह मंत्रीजी ने बता दिया है।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि माण्डल विधान सभा क्षेत्र के उपखंड माण्डल, करेडा, भीलवाड़ा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप सीधे ही पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले आप प्रश्न का नम्बर तो बोलिये।

माण्डल में स्थित वक्फ बोर्ड की अचल सम्पत्तियां

338. श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डल के उपखण्ड माण्डल, करेडा, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ में वक्फ बोर्ड की कितनी अचल सम्पत्तियां कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उक्त में से कितनी सम्पत्तियों पर कितने समय से अतिक्रमण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त अचल सम्पत्तियों से कितनी आय हुई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डल के उपखण्ड माण्डल, करेडा, भीलवाड़ा एवं हमीरगढ़ की वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 218 सम्पत्तियां है। विवरण परिशिष्ट- '1' पर उपलब्ध है।

वक्फ रिकार्ड राजस्थान राजपत्र 14 जुलाई 1966 में तहसील भीलवाड़ा की वक्फ सम्पत्तियों में अन्य विधान सभा क्षेत्र की वक्फ सम्पत्तियं भी शामिल हैं।

विधान सभा माण्डल के उपखण्ड माण्डल में स्थित तीन वक्फ सम्पत्तियों डोले शाह जी का महल माण्डल, मस्जिद मौहर्रम वाली सदर बाजार माण्डल एवं कुआ चांद का बाग नामी कब्रिस्तान माण्डल पर क्रमशः 04, 01 तथा 04 अतिक्रमियों का क्रमशः वर्ष 2002, 2018 एवं माह जुलाई, 2024 से अतिक्रमण है। विवरण परिशिष्ट-'2' पर उपलब्ध है।

(2) विगत तीन वर्षों में वक्फ बोर्ड को विधान सभा क्षेत्र माण्डल के उपखण्ड माण्डल, करेडा, भीलवाडा, हमीरगढ़ में स्थित अचल सम्पतियों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र माण्डल में गठित वक्फ कमेटियों को प्राप्त आय के संबंध में वक्फ कमेटी तहसील माण्डल तथा इन्तेजामिया वक्फ कमेटी बागौर से प्राप्त सूचना

परिशिष्ट- '3' पर उपलब्ध है।

SSY/RTM/01.08.2024/11:30/1d

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है, क्या सरकार उसको हटाने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्षः आपने पूछा क्या इच्छा रखती है? उत्तर आ जाने दो। आगे भाषण नहीं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माण्डल से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो वक्फ संपत्ति डोलेशाह जी का महल, माण्डल की दुकान व हॉल पर जो कब्जे हुए हैं, उनके सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जा रही है, उसका विवरण मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। डोलेशाह जी का महल, माण्डल है, उसमें सीईओ, वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 2000 से अतिक्रमी घोषित किया गया है। मौके पर बेदखली हेतु कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा कार्यवाही की जानी है। जिसके लिए वक्फ बोर्ड द्वारा उन्हें निरंतर कार्यवाही हेतु लिखा जा रहा है। मस्जिद मोर्हरम वाली माण्डल है, उसमें सीईओ वक्फ बोर्ड की कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कुआं चांद का बाग़ नामी कब्रिस्तान माण्डल है, इसमें सीईओ, वक्फ बोर्ड कोर्ट के विचाराधीन है ही, साथ में दूसरे खसरों से सम्बन्धित अतिक्रमण में वक्फ अधिकरण के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्षः हो गया? और पूछना है? हां, तो प्रश्न पूछो।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): एक प्रश्न यह है कि इसमें यह लिखा गया है कि यहां से कोई आय नहीं हो रही है, जबकि यह मोर्हरम वाली मस्जिद है, उसमें एक दुकान है, उसका किराया आता है। वह वही लोग रखते हैं। वह भाड़ा कहां जा रहा है? आप एक तरफ तो लिखकर दे रहे हैं कि कोई आय नहीं हो रही है, एक तरफ यह हो रहा है, सरकार क्या वापस वसूल करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माण्डल में स्थित किसी भी वक्फ संपत्ति की आय बोर्ड को प्राप्त नहीं हो रही है। बोर्ड से गठित वक्फ कमेटियों द्वारा वक्फ संपत्तियों से कोई आय प्राप्त होना नहीं अवगत कराया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यदि वक्फ कमेटियों द्वारा आय के सम्बन्ध में गलत सूचना प्रेषित किया जाना पाया जाता है तो उस कमेटी के विरुद्ध वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन
16वें वित्त आयोग की राजस्थान यात्रा के चलते वित्त विभाग के सूचीबद्ध प्रश्नों का स्थगन

श्री अध्यक्षः हो गया, दो हो गये।

मुझे अगले प्रश्न से पहले एक सूचना देनी है। आज दिनांक 01 अगस्त, 2024 को केन्द्रीय सोलहवा वित्त आयोग दल राजस्थान विजिट पर है। इसमें प्रदेश की विस्तृत कार्य योजना उनके समक्ष प्रस्तुत की जानी है। जिसमें उप मुख्य मंत्री, जो वित्त मंत्री हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) सहित वित्त विभाग की संपूर्ण टीम के अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण वित्त विभाग से सम्बन्धित आज सूचीबद्ध प्रश्न क्रमांक 339, 341 और 349 को स्थगित किया जाता है।

तारांकित प्रशन संख्या 339
(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री जुबेर खान।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बार इनकी सुन लें फिर एक मिनट मेरी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय किया, वह सर-माथे पर है। पहली तो बात यह है कि स्टेट मिनिस्टर जवाब देती आती रही हैं। यह मंजू जी बाघमार अच्छा जवाब दे रही हैं, हर प्रश्नों का और वित्त का भी। मेहरबानी करके इनसे ही दिला देते। फिर भी मैं आपसे यह संरक्षण चाहूंगा कि इसी सत्र में इन प्रश्नों का जवाब आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह देखिये, यह बाद में सोचेंगे। अगला प्रश्न। यह व्यवस्था कर दी है। अभी स्थगित किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें एतराज नहीं है। सिर्फ व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्षः क्योंकि इसमें राजस्थान का भला होने वाला है। केवल वित्त मंत्री नहीं हैं। पूरा वित्त, संपूर्ण डिपार्टमेंट इनवाल्व होता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं यह नहीं कह रहा हूं, इसी सत्र में दिलवायें।

श्री अध्यक्षः यह सत्र अभी कितने दिन चलेगा। मुझे भी अभी नहीं, कल तक का, बीएसी का है, कितने दिन चलेगा? 5, 6 तारीख तक के प्रश्न की लॉटरी निकली चुकी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने वित्त से सम्बन्धित स्थगित किया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे भी आप स्थगित कर सकते हैं। सरकार अगर यह लिखकर दे कि हम सक्षम नहीं हैं जवाब देने में या हम दे नहीं सकते हैं किन्हीं कारण से।

श्री अध्यक्षः ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नो ...(व्यवधान)... अंकित नहीं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा स्वास्थ्य का किया है आपने।

श्री अध्यक्षः श्री जुबेर खान। श्री जुबेर खान। श्री जुबेर खान। अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): जबरदस्ती अख़बार में छपने के लिए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जुबेर खान उठ ही नहीं रहे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह जबरदस्ती अख़बार में छपने के लिए क्यों उछलते रहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो 339 क्वेश्चन है, यह स्वास्थ्य विभाग का है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अनावश्यक सवाल उठाकर सदन का समय खराब नहीं हो रहा प्रश्न काल का? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय श्रीचन्द जी, हर प्रश्न पर नहीं, मैं बैठा हूं। आप भी बैठिये, नहीं। मुझे पता है। आप बैठिये ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कितने दिन बचाओगे इनको ...(व्यवधान)...

मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा सेवल गौशाला हेतु स्वीकृति

340. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2022-23 में सेवल गोशाला में विभिन्न विकास कार्य हेतु 75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे? यदि हां, तो उक्त का अब तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: बचाना नहीं है। आपको दस बार कहा है, प्रश्न काल, जुबेर खान पूछ चुके हैं। मंत्री जी। आप बैठिये, जुबेर खान जी का प्रश्न है, उत्तर दीजिये।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से विधान सभा नगर, तहसील सीकरी जिला डीग में मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के माध्यम से तेस्की गौशाला निर्माण कार्य (सेवल गौशाला) हेतु राशि 78 लाख 50 हजार का अनुमोदन किया गया था।

श्री अध्यक्ष: ज्यादा प्रेम है तो एक ही लॉबी में भेज देता हूं, आराम से चर्चा कर लो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): निर्दलीयों को भी भेज देते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सवाल का जवाब तो आने दो।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): आप निर्दलीयों की बात बीच में क्यों कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आपको क्या हो गया?

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): निर्दलीयों की बात क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये एक बार, प्रश्न काल के बाद। बैठिये, बैठिये। मुझे खड़ा होना पड़ेगा। क्या हो गया? हां, मंत्री जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री जी, दुबारा से।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा नगर, तहसील सीकरी जिला डीग में मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के माध्यम से

तेस्की गौशाला निर्माण कार्य व (सेवल गौशाला)..., जिसके क्रम में विभिन्न विकास कार्यो के लिए 63 लाख 50 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति में शामिल 07 कार्यो में से 06 कार्य पूर्ण किये गये हैं तथा शेष 01 कार्य (एनिकट निर्माण कार्य मंदिर के पास) प्रगतिरत है।

दूसरा मैं समझता हूं कि जल संसाधन विभाग से समन्वय कर शीघ्र ही एक कार्य जो चालू नहीं कराया है, उसको भी चालू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह क्या है? नहीं, इधर भी कर रहे हैं। उधर भी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। हां, पूरक प्रश्न पूछो आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। यह गौ माता से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 2022 में मेवात विकास बोर्ड ने इस कार्य के लिए 75 लाख रुपये मंजूर किये लेकिन एस्टीमेट कम होने के कारण 63 लाख कुछ के काम स्वीकृत हुए। आज 2 वर्ष हो गये, काम पूरा नहीं हुआ।

इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले में भी जब मेवात बोर्ड की फुल बैठक हुई थी, नेता, प्रतिपक्ष यहां मौजूद हैं, यहां किशनगढ़ से आने वाले माननीय दीपचन्द खैरिया जी मौजूद हैं। संजय शर्मा जी मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष: आप इशारा मत करिये, आप तो पूछिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सबने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि मेवात विकास बोर्ड के पैसे से अलवर जिले में एक गोशाला का निर्माण किया जायेगा ताकि उस इलाके में सौहार्द बना रहे। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न भी पूछो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पिछली सरकार ने 2 साल भाग-दौड़ करके कलेक्टर की रिकमंडेशन पर 6.10.2023 को जमीन का आवंटन किया। आवंटन भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया, आवंटन किया मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार के नाम।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज मैं यह कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप प्रश्न पूछो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अलवर की गोशाला के लिए 50 लाख रुपये ऑलरेडी सैंक्शन हो गये हैं। कलेक्टर को मैंने 50 बार फोन किया। संजय शर्मा जी ने किया। यह बैठे हैं बेढम साहब, गृह मंत्री उन्होंने किया।

श्री अध्यक्ष: आप अपना प्रश्न पूछो। वह बैठे हैं, यह बैठे हैं, यह नहीं होता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह करके नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी, आपसे निवेदन करुंगा कि

जो भी गोशाला का काम देखते हों, आप कलेक्टर को कहें, जमीन का आवंटन हो तो गोशाला का निर्माण शुरू हो। आज मुझ जैसे आदमी को गोशाला के लिए इतनी भीख मांगनी पड़ती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अगर थोड़ी-बहुत भी संवेदना है सरकार की गाय के प्रति तो आप बतायें कि कितने दिन में इस मेवात विकास बोर्ड, राजस्थान सरकार के नाम म्युटेशन खुल जायेगा? ताकि गोशाला का काम शुरू हो जाये।

श्री अध्यक्षः विराजो।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि यह तेस्की गोशाला का निर्माण 63 लाख 50 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो हो गया। यह आपका सही जवाब है।

श्री अध्यक्षः आप सुनिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सीधा सवाल नहीं। सीधा नहीं पूछोगे। आपने 10 मिनट भाषण किया। 2 मिनट उत्तर तो सुनो।

Spp/Rtm/01.08.2024/11:40/1e

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): उस वित्तीय स्वीकृति में 7 विभिन्न कार्य शामिल किये गये। उसमें से 6 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। एक कार्य, जो एनिकट का था, वह शेष बचा है।

उसके उपरान्त भी सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह ही पहले पूर्व सरकार में इस मेवात बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं शायद। इसके साथ मैं निवेदन करता हूं कि दूसरा मैटर था कि पहले की सरकार ने यह अलवर जिले में एक मेवात संस्कृति कला केन्द्र का निर्माण करने के लिये लिया था और लेने के बाद में पूर्ववर्ती सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। इस कारण से यह काम रुका हुआ है। इसके लिये मैं तहेदिल से माननीय सदस्य को कहूंगा कि मेवात विकास क्षेत्र बोर्ड के लिये जल्दी से यह स्वीकृति जारी हो जाये और इसकेलिये जल्दी समाधान करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 341

(स्थगित)

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्रीमती इन्द्रा। ..(व्यवधान).. नहीं, इतना लम्बा नहीं। आप बैठिये। श्रीमती इन्द्रा।

पंचायत समिति बामनवास के मद से करवाये गये कार्य

342. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पंचायत समिति बामनवास द्वारा पंचायत समिति मद से विगत चार वर्षों में ग्राम पंचायतों को जारी राशि से करवाये गये कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंचायत समिति परिसर से बेचे गये पेड़ की राशि राजकोष में जमा करा दी

गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। पंचायत समिति बामनवास द्वारा पंचायत समिति एवं अन्य मद में स्वीकृत कार्यों में से कुछ ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी 1 माह में जांच करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त पंचायत समिति परिसर के पेड़ की राशि रु 60,000/- राजकोष में जमा हुई है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले खण्ड में जवाब दिया है माननीय मंत्री महोदय कि पंचायत समिति के मद से जितना भी पैसा गया है, उसकी हम एक महीने में जांच करा लेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जांच तो करा लेंगे, लेकिन पहली बात तो जो जांच होती है वह उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की जाये और चार पंचायतें ऐसी है सितोड़, कोलीपुरा, बाढ़ मोहनपुर और भांवरा। इनके अन्दर या तो पैसे का काम हुआ नहीं या फिर यह जो भांवरा पंचायत है, इसमें उप-प्रधान, जो आप ही की पार्टी का है, इसने लिखकर दिया है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह शब्द नहीं आपकी पार्टी का है। आप तो सीधा प्रश्न पूछो। सरकार, सरकार है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): इसने लिखकर शिकायत दी है कि भांवरा पंचायत में सरपंच नहीं है तो पंचायत का पूरा पैसा ऐसे ही उठा लिया जाता है और पंचायत समिति मद से थोड़ा बहुत काम कराया है। इसकी स्पष्ट तौर से जांच हो जाये। इसके अलावा, जो कर्मचारी हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है कि सीधा पैसा निकालकर दें नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जायेगा, तो अलग-अलग वहां के कर्मचारियों से पूछा जाये कि आपके ऊपर किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि यह जांच तो ठीक है, आप करा लेंगे।

आपने एक महीने के लिये बोल दिया है। लेकिन जो प्रश्न का खण्ड-2 है, उसके अन्दर पेड़ काटने का है। एक तरफ तो हम मां के नाम पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ों की कटाई एक आम आदमी पेड़ काट लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि 60 हजार जमा कराये हैं और 68 पेड़ हैं। वहां पर पंचायत समिति परिसर से 68 पेड़ काटे हैं, वैसे तो बड़ा गबन है, ये छोटा मामला है नहीं। लेकिन अपन उस पर नहीं जायेंगे, परंतु मेरा पहला पाइंट यह है ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इसकी परमिशन ली गयी या नहीं ली गयी और नहीं ली गयी तो सम्बन्धित जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का विचार रखते हैं क्या आप?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ पंचायतों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जैसे मोरपा, ढाबर, सुंदरी, सफीपुरा, ककराला, बाटोदा। इनकी मैं एक महीने में जांच करवाकर जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, उत्तर तो सुनिये। पहले बैठिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैंने यह प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्षः आप उत्तर सुनिये। नो।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है पंचायत समिति मद का, आप बता रहे हैं विधायक मद का। आप मुझे दे दीजिये लैटर कौनसी शिकायत आयी है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैं सबकी जांच कराऊंगा। ..(व्यवधान)..

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप मुझे बता दीजिये, आप सबकी जांच करा दीजिये। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप दोनों बैठिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): लेकिन मैं चाहती हूं ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। आपको जब कोई मंत्री उत्तर दे रहा है, उसके बाद आपको और अवसर दूंगा। आप पूछिये तो सही। ..(व्यवधान).. आप खड़े होकर कहिये, मैं दूसरे का जवाब दिलाऊंगा। आप पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से आपके पास जो लैटर है, उसमें पंचायतों का जो नाम दिया गया है, उसमें पंचायत समिति मद से कोई जांच का ..(व्यवधान).. मैंने जो प्रश्न लगाया है, वह अलग है और आप जो जवाब दे रहे हैं, वह अलग है। आपकी जो जांच हुई है, वह एम एल ए कोटे से करायी है, उसकी बेशक आप जांच कराइये। उसमें बिलकुल दिक्कत नहीं है। जो मैं दे रही हूं वह अलग बात है। वह पंचायत समिति मद की बात है। उसके बाद का जवाब ले रही हूं कि सबसे ज्यादा जिन पंचायतों में पैसा दिया गया है, क्या उनकी आप जांच करायेंगे और जांच भी पब्लिक के बीच में, पब्लिक को सूचना करके, ऐसे नहीं कि चुपचाप दो-चार आदमी चले गये और जांच करके आ गये। पेड़ों की अनुमति किसी से ली नहीं, और अगर ली है तो आप बता दीजिये और नहीं ली है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करायेंगे या नहीं करायेंगे? यह मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मुझे कुछ ग्राम पंचायतों की शिकायत प्राप्त हुई हैं। इनकी भी जांच कराऊंगा एक महीने के अन्दर और कोई भी शिकायत लिखित में आयेगी तो उसकी भी जांच कराऊंगा। एम एल ए कोष की भी

कराऊंगा और पंचायत समिति मद की भी करवाऊंगा, जिला परिषद मद वाली भी कराऊंगा।

दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है कि पेड़ो की कटाई के बारे में, यह सच है और इनकी बात सच है कि पेड़ों की कटाई के लिये अनुमति मांगी थी, लेकिन मिली नहीं। उसके पहले ही पेड़ों को काट दिया गया। इन्होंने जो पेड़ काटे हैं - बबूल काटे हैं 37, सफेदा काटे हैं 9, इनके लिये तो नियमों में कोई आपत्ति नहीं लेकिन इन्होंने सरस के 7 काट दिये, चिरेल के 9 काट दिये, अरडू के 2 काट दिये, शीशम का एक काट दिया और नीम के 3 काट दिये। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी इन पेड़ों को काटा है, जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और आज ही मैं इसमें जो लोग शामिल हैं, उनको निलम्बित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री चुन्नीलाल।

केशोरायपाटन में पंजीकृत मन्दिर

343. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कुल कितने मंदिर पंजीकृत हैं? उक्त मंदिरों से विगत पांच वर्षों में कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त मंदिरों में से कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में देवस्थान के मंदिरों के अधीन कितनी भूमि और सम्पत्ति कहां-कहां स्थित है? क्या उक्त भूमि व सम्पत्तियों पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार केशोराय भगवान मंदिर व कमलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार व विकास हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कुल 2 मंदिर राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री केशवरायजी केशोरायपाटन एवं राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री राधा दामोदर जी केशोरायपाटन देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित है। विगत 5 वर्षों में वर्णित मंदिर से हुई आय का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री केशवरायजी केशोरायपाटन में बजट घोषणा संख्या 69 वर्ष 2017-18 की क्रियान्विति के क्रम में स्वीकृति क्रमांक प.4(4)देव/2017 दिनांक 23.05.2017 के द्वारा 546.75 लाख की स्वीकृति जारी की गई। उक्त स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में पत्र क्रमांकप.4(2)देव/2020 दिनांक 29.07.2020 के द्वारा कार्यकारी एजेन्सी निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को कार्य करने हेतु 150 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बजट घोषणा संख्या 397 के तहत राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार

मंदिर श्री केशवरायजी केशोरायपाटन एवं राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री राधा दामोदर जी के.पाटन हेतु उक्त दोनों मंदिरों में पोशाक, रंग-रोगन एवं मरम्मत हेतु राशि 1.00-1.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

(3) मंदिर श्री केशवरायजी की 399.1 हैक्टर भूमि है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। मन्दिर श्री राधा दामोदर जी के नाम से कोई भूमि दर्ज नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में विभाग के मंदिरों के पास मंदिर श्री केशवरायजी केशोरायपाटन की 5 आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियॉं और मन्दिर श्री राधा दामोदर जी की 1 व्यावसायिक सम्पत्ति है। जिन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। जो परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

मंदिर श्री केशवरायजी की भूमि पर अतिक्रमण है। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री केशवरायजी भगवान केशोरायपाटन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा परिवर्तित बजट 2024-2025 दिनांक 10.07.2024 की घोषणा अनुसार 38/3 में मंदिर श्री केशवरायजी केशोरायपाटन जिला बूंदी का चयन मंदिर, सौन्दर्यीकरण व आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए किया गया है। मंदिर श्री कमलेश्वर महादेव प्रन्यास जिला बूंदी हेतु जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु वर्तमान में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पूरक प्रश्न पूछो।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केशोरायपाटन, जो एक धार्मिक स्थान का मन्दिर है, उसमें उस मन्दिर के कई पत्थर निकल चुके हैं और मन्दिर जीर्ण-शीर्ण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपको क्या हो गया? ..(व्यवधान).. माननीय मंत्रीजी, सदस्यों के सीट पर चिपके रहने की कोई व्यवस्था करूंगा। मेरे से पूछे बिना मत उठो।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मन्दिर के गुम्बद से पत्थर निकल चुके हैं। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने उसके लिये कितना बजट पास किया है और केशोरायपाटन में जो जमीन है, आपने बतायी कि 399 हैक्टेयर जमीन है तो उसका पैसा कहां जाता है? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: हां ठीक है, इसी तरह पूछो कहां जाता है, क्या करता है। माननीय मंत्रीजी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन मन्दिर प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिर श्री केशोरायपाटन है और इसमें एक ओर मन्दिर है राजकीय मन्दिर श्री राधा दामोदर जी केशोरायपाटन। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि केशोरायपाटन में पांच साल में जो आय-भेंट और कृषि भूमि से आय हुई, वह

राजकोष में जमा होती है और दूसरा मन्दिर है, राधा दामोदर जी केशोरायपाटन, जो बहुत ही छोटा मन्दिर है और मुख्य मन्दिर केशोरायपाटन मन्दिर से 500 मीटर दूरी पर है इसलिये सारे श्रद्धालु मुख्य मन्दिर में ही आते हैं। मन्दिर के अधीन कोई कृषि भूमि नहीं है। इसके अधीन मात्र एक व्यावसायिक सम्पदा है जो छोटी है व इसका उपयोग मन्दिर में उपयोग होने वाली सामग्री आदि रखने के लिये होता है। इस मन्दिर में किसी तरह की कोई आय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मंत्रीजी मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। मैं यह कह रहा हूं कि 399 हैक्टेयर जमीन का पैसा देवस्थान विभाग में जाता है या अन्य कोई और जगह जाता है? मेरा पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि कमलेश्वर मन्दिर जो कि बहुत पौराणिक मन्दिर है, पाण्डवों के टाइम का मन्दिर है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह मन्दिर देवस्थान विभाग के अधीन है या कोई और संस्था उसको चला रही है? इसका जो चढ़ावा आता है, वह किसको जाता है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि केशोरायपाटन मन्दिर में 399.1 हैक्टेयर कृषि भूमि है और कृषि भूमि से जो आय पांच सालों में हुई है, वह 8 लाख 13 हजार 500 रुपये हुई है और यह आय देवस्थान विभाग में जमा हुई है।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमलेश्वर मन्दिर का पूछ रहा हूं, यह केशोरायपाटन मन्दिर का बता रहे हैं।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बातें बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दोनों बता रहे हैं, आप सुन लो। उसके बाद दूसरा आप पूछ लेना।

Jyg/rtm/01.08.24/11.50/1f

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): ये जो केशोरायपाटन मन्दिर है यह देवस्थान विभाग का प्रत्यक्ष प्रभार का मन्दिर है, इसमें इतनी आय हुई है कृषि भूमि से और वह देवस्थान विभाग में आएगी और वो सीधे राज्य कोष में जमा होती है। एक प्रश्न का उत्तर तो यह है।

दूसरा प्रश्न है आपका कमलेश्वर महादेव मन्दिर का, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह मन्दिर हमारे देव स्थान विभाग का नहीं है, यह प्रन्यास का मन्दिर है, इसके ऊपर जो प्रन्यास बना हुआ है, वो इसका संचालन करता है, उसकी सारी आय प्रन्यास में जाती है, देवस्थान विभाग में उसकी कोई तरह की आय नहीं आती है।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कि बीजासन माता मन्दिर के लिए आपकी सरकार ने रोप वे मंजूर किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीजासन माता का मन्दिर बहुत पौराणिक मन्दिर है और देवस्थान के अंडर में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कब तक रोप वे की डीपीआर बन जाएगी और कब तक यह चालू हो जाएगा। ..(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): रोप वे की स्वीकृति तो पहले ही हो गई।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): अभी तो उसकी डीपीआर ही नहीं बनी। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको पूछने के लिए किसने कहा? वो इधर से मंत्रीजी को पूछेंगे।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो इस वर्ष बजट में घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं, उसके ऊपर अभी बजट सत्र खत्म होगा उसके बाद उस पर क्रियान्विति हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं, सम्बन्धित विभागों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनेगी और उसके क्रियान्वयन की कार्यवाही आगामी समय में होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. सुभाष गर्ग।

भरतपुर में जारी श्रमिक कार्ड

344. डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में विगत पांच वर्षों में कितने श्रमिक कार्ड जारी किये गये तथा कितने कार्ड जारी किया जाना शेष है? उक्त शेष कार्डों को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार सर्वे करवाकर प्रत्येक श्रमिक को श्रमिक कार्ड जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में विगत पांच वर्षों में 3565 श्रमिकों के पंजीयन किये गये तथा वर्तमान में 181 पंजीयन आवेदन लम्बित है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण विधान सभा क्षेत्रवार नहीं होकर भरतपुर जिले में कुल लम्बित आवेदनों में "पहले आए पहले जाए" के सिद्धान्त पर नियमित रूप से किया जा रहा हैं।

(2) केन्द्र सरकार के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में किये गये प्रावधानों में केवल निर्माण श्रमिकों अथवा निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का ही मण्डल में पंजीयन करने का प्रावधान है। अन्य श्रेणियों के श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीयन के पात्र नहीं है। वर्तमान में निर्माण श्रमिकों का सर्वे करवाकर पंजीयन किये जाने का विचार नहीं है क्योंकि निर्माण श्रमिकों का पंजीयन ऑनलाइन किया जाता है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। माननीय मंत्री महोदय से दो पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिए, जरूर पूछिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्या सरकार श्रमिक कार्ड बनवाने में जो भ्रष्टाचार होता है और सत्यापन के मामले में जो भ्रष्टाचार होता है, उस डिले का भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केवल श्रमिक से शपथ पत्र के आधार पर सत्यापन करवाने का विचार रखती है कि वो श्रमिक रहा है या नहीं रहा है?

दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा जो आवेदन कई बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कमियों की वजह से, कई श्रमिक बहुत अनपढ़ होते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, ई-मित्र और वहां एजेंट्स घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोब्लम आती है, तो क्या सरकार उन रिजेक्ट किए हुए आवेदनों पर, क्योंकि अपील भी कर दी जाती है वो भी रिजेक्ट हो जाती है तो क्या उनको दुबारा अवसर देने का विचार रखती है या नहीं रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो माननीय सदस्य भरतपुर से आने वालों ने प्रश्न पूछा है कि श्रमिक कार्ड पर भ्रष्टाचार के कारण जो इनका कहा गया है कि श्रमिक सत्यापन का विचार रखते हैं, स्वयं के सत्यापन पर, तो इसमें केन्द्र सरकार के भवन एवं संनिर्माण श्रमिक नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 में किए गए प्रावधान के अनुसार श्रमिक को जो हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है, ई-मित्र के द्वारा, फिर श्रम निरीक्षक द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाती है, उसी के तौर पर अभी हम यह करने का, कार्यवाही करने का, उसी का, श्रमिक का पंजीयन करने का विचार है, स्वयं पर अभी कोई विचार सरकार नहीं रखती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा इनका प्रश्न था कि क्या आवेदन निरस्त होने पर, तो उसकी भी प्रक्रिया है, आवेदन निरस्त होने पर भी आवेदन में यदि कमी रही है तो जिलाधिकारी जैसे श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक, उप श्रम आयुक्त के समक्ष भी आगे कार्यवाही के लिए, उस चीज के लिए अपील कर सकता है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है, ठीक है केन्द्र सरकार का कानून है, क्या प्रदेश सरकार यह सुझाव भेज नहीं सकती कि यहां की प्रोब्लम को देखते हुए और आप स्वयं देखते हैं, सारे सदस्य देखते हैं, कितना भ्रष्टाचार होता है, चाहे कोई भी रहे तो मेरा यह सुझाव है कि इस तरह का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जाए कि इसको कुछ संशोधन करने की जरूरत करनी चाहिए और केवल शपथ पत्र के आधार पर बहुत सारे काम होते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन से, वो वाली बात है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो रिजेक्ट कर दिया जाता है उसमें वो दुबारा अप्लाई कर सकता है, दुबारा अप्लाई करने का प्रावधान इसमें है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री महेन्द्र पाल मीना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केन्द्र का सवाल नहीं है। मैं इस विभाग का मंत्री भी रहा हूं। ये तो इसका बोर्ड बना हुआ है जो लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता में है। ..(व्यवधान).. आप चाहें तो डॉक्यूमेंट इसमें अलाउ कर सकते हैं। यहां के ऊपर है, इसमें केन्द्र सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। केन्द्र सरकार के निर्देश पर यह बोर्ड जरूर बना है लेकिन यह बोर्ड निर्णय लेने में सक्षम है।

श्री अध्यक्षः श्री महेन्द्र पाल मीना।

झील ट्यूरिस्ट विलेज यूनिट (जमवारामगढ़) का पुनः संचालन

345. श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में झील ट्यूरिस्ट विलेज यूनिट जमवारामगढ़ संचालित थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त यूनिट को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त यूनिट को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)(पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में झील टूरिस्ट विलेज, रामगढ़ का वर्ष 1982 से 09.11.2017 तक राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालन किया गया था।

(2) जी हां। मंत्रिमण्डल के निर्णय दिनांक 16.06.2015 के अनुसरण में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन पश्चात निरन्तर 10 वर्षों तक हानि की स्थिति में होने के कारण झील टूरिस्ट विलेज, रामगढ़ का संचालन दिनांक 10.11.2017 से बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल निर्णय व इकाई बंद करने के आदेश की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के संचालक मण्डल की बैठक संख्या 189 दिनांक 08.09.2022 एवं 190 दिनांक 30.11.2022 में लिए गए निर्णय अनुसार झील टूरिस्ट विलेज, रामगढ़ को ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेंस (O & M) आधार पर पुनः संचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्णयों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट- 'स' व 'द' पर संलग्न हैं।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है।

श्री अध्यक्षः दो पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। विश्व प्रसिद्ध रामगढ़ बांध पर 1982 में एशियाड नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, ईआरसीपी योजना से इस बांध में

पानी लाना मंजूर हो गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम झील ट्यूरिज्म विलेज को आधुनिक सुख-सुविधाओं का जीर्णोद्धार करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इनके प्रश्न के उत्तर में भी हमने बताया है कि जमवारामगढ़ बांध पर ट्यूरिस्ट विलेज था, इसमें पानी की कमी हो गई थी, सूख गया था और निरंतर हानि में चल रहा था इसलिए इसका 2017 में संचालन बंद करना पडा लेकिन 30.11.2022 की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार झील ट्यूरिस्ट विलेज रामगढ़ को ऑपरेशन एण्ड मेंटीनेंस के आधार पर पुनः संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो राजस्थान पर्यटन विभाग है और राजस्थान राज्य ट्यूरिज्म डवलपमेंट विभाग है उसकी वित्तीय स्थिति के अनुसार जो नियम लागू होते हैं, तो 1997 के नियम उस पर लागू हो रहे है तो उसके अनुसार उन पहले नियमों में यह नहीं था कि इनके ऊपर वर्तमान में नियमों में ई-बिड और ओ एण्ड एम संचालन का प्रावधान नहीं था तो इसमें नियमों में संशोधन किया जा रहा है और प्रक्रिया वो विचाराधीन है और जल्दी ही ओ एण्ड एम आधार पर इसको चालू करने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): दूसरा पूरक प्रश्न। क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम झील ट्यूरिज्म विलेज रामगढ़ बांध को प्रदेश की सांस्कृतिक गांव की झलक के साथ विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि हमने इनको जवाब में भी दिया है कि इसको विकसित करने का पूर्ण विचार है, चूंकि अभी नियमों में संशोधन किया जाना है और जल्दी ही इसको ओ एण्ड एम, क्योंकि जो भी इकाइयां जो घाटे में चल रही हैं और जो बंद हो गई हैं उनको पुनः संचालित करने का पूरा प्रावधान किया जा रहा है। इसमें नियमों में संशोधन होते ही इसमें, इसमें नियम विभाग को भेजे भी जा चुके हैं और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और जो बंद हुई हुई इकाइयां हैं उनको पुनः संचालित किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री अमित चाचाण।

नोहर में प्राकृतिक आपदा से नुकसान का मुआवजा

346. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में विगत पांच वर्षों में अतिवृष्टि व प्राकृतिक आपदा से कहां-कहां, कितना-कितना नुकसान हुआ? वर्षवार, ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की

मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में हुए नुकसान का मुआवजा शेष है? यदि हां, तो कितना? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार शेष मुआवजा राशि का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एव सहायता (श्री ओटा राम देवासी): (1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में विगत पांच वर्षों में अतिवृष्टि (बाढ़) से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नहीं हुआ किन्तु सूखा एवं ओलावृष्टि से फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है, जिसका वर्षवार, ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नोहर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक का फसल खराबे से प्रभावित 3 हजार 407 काश्तकारों को अनुमानित राशि रु. 5 करोड 31 लाख 60 हजार का कृषि आदान अनुदान भुगतान शेष है, जिसका विवरण परिशिष्ट- 'अ' के अनुसार है।

(3) भुगतान से शेष रहे काश्तकारों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा जनाधार, बैंक विवरण उपलब्ध करवाने के पश्चात इसी वित्तीय वर्ष (2024-25) में भुगतान करने की कार्रवाई की जावेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो मैं ही पूछ लेता हूं। खण्ड तो एक और है। इसमें यह लिखा है कि भुगतान से शेष रहे काश्तकारों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा जनाधार, बैंक विवरण उपलब्ध करवाने के पश्चात भुगतान किया जाएगा। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या तीन वर्षों से भुगतान बकाया है, क्या इन तीन वर्षों में इन्होंने बैंक अकाउंट या खाता इनको दिए ही नहीं है?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान से शेष रहे काश्तकारों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा जनाधार, बैंक विवरण उपलब्ध करवाने के पश्चात इनको 2024-25 में भुगतान करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उन काश्तकारों को आपके द्वारा सूचना दी गई है इन तीन वर्षों में कि आपका इतना-इतना मुआवजा आ रहा है आप अपने बैंक खाते हमें उपलब्ध कराएं? ऐसा नहीं हो सकता कि किसान तीन वर्षों तक अपने बैंक अकाउंट जमा न करवाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। ..(व्यवधान)..

श्री अमित चाचाण (नोहर): मंत्री महोदय, यह सरकार की व्यवस्था का सवाल है। यह आपका और मेरा नहीं है, किसानों के हितों का है। किसानों की जब भी बात आती है उसका विरोध आप करते हैं, मैं आपकी निन्दा करता हूं। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हो, उत्तर तो आने दो।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से 2019 और 2023 इनमें 3407 काश्तकार, जो भुगतान से लंबित हैं, उसमें 52160848 रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराणा (आहोर) के कक्षा-कक्षों का निर्माण

347. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराणा में अधिकांश कक्षा-कक्ष क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के कक्षा-कक्षों अथवा नवीन भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराणा में कुल 12 कक्ष है, जिनमें से विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार 6 कक्षा-कक्ष एवं 2 छोटे कक्ष आदेश दिनांक 12.03.2021 द्वारा जर्जर घोषित किये जा चुके हैं, विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2024-25 अन्तर्गत 2 कक्षा-कक्षों हेतु राशि रुपये 29.88 लाख स्वीकृत हुए हैं, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत कक्षा-कक्षों की आवश्यकता वाले विद्यालयों में कक्षों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार/निर्धारित नार्म्स के अनुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा-कक्षों की आवश्यकता वाले कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता हैं।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है माननीय मंत्रीजी से कि सराड़ा में आपने 2 कक्षा कक्ष दिए इसके लिए तो धन्यवाद है लेकिन पूरी स्कूल क्षतिग्रस्त है, क्या आप नए 4 कक्षा कक्ष देने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब और अभी तो आपके पास फण्ड भी आया है, आपने पत्र भी दिया है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि 4 कक्षा कक्ष की घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। कुछ सेकंड ही हैं।

MLS/RTM/01.08.2024/12:00/1g

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करेंगे,

विद्यालय की स्थिति देखकर एक-दो कमरे और स्वीकृत करने का प्रयास करेंगे।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): नहीं सर।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुनना पड़ेगा।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): कोशिश नहीं सर। एक कक्ष की घोषणा कर दें सर।

श्री अध्यक्ष: क्या उत्तर दें, यह आपका मुद्दा नहीं है। आपका काम प्रश्न पूछना है।

प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से जिले में चल रहे पर्ची सट्टे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति का भवन एवं कृषि मण्डी यार्ड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री गणेश घोगरा एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर के गांव पोपल्टी में दूषित जल के सेवन से हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की क्षतिग्रस्त सड़कों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तारानगर के उप-जिला अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले को सिंचाई हेतु यमुना जल समझौते अन्तर्गत जल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गणेश घोगरा, डॉ. ऋतु बनावत, श्री नरेन्द्र बुडानियां एवं डॉ. सुभाष गर्ग को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बांध एवं एनिकट निर्माण पर लगी रोक हटाये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री सोहन लाल नायक, सदस्य की ओर से नगरपालिका विजय नगर में बारिश के पानी की निकासी की समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से पोकरण, फलसुंड, बायतु, बालोतरा, सिवाना पेयजल योजना में विधान सभा क्षेत्र सिवाना के लिए वन डे वाटर स्टोरेज बनवाने के सम्बन्ध में।

6. श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से पुलिस थाना करणपुर में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट पर कार्यवाही में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी की भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

8. डॉ. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ढिंढोर, बहरोड़ का संचालन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की कतिपय मिसिंग लिंक एवं नवीन सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री लादु लाल पितलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में जनजाति बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री उदयलाल डांगी, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्षतिपूर्ति हेतु विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से उप-खण्ड मुख्यालय देवली जिला टोंक के न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में नवीन पंजीकरण हेतु पोर्टल पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में।

14. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में खान विभाग की लापरवाही से खनन पट्टाधारियों को हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में।

15. श्री शंकरलाल डेचा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में वर्ष 2023 की खरीफ फसल खराबे का मुआवजा वंचित किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 01.08.2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	पर्ची सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	9	श्री जेठानन्द व्यास	निविदा कर्मिकों को न्यूनतम मानदेय दिलवाने और पूर्व में निर्धारित न्यूनतम मानदेय में वृद्धि करने बाबत्।
2.	10	डॉ. शिखा मील बराला	चोमू विधान सभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति पर।
3.	14	श्री हरिमोहन शर्मा	बूंदी में मिनी सचिवालय बनाकर अन्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यालयों के भवन भी आसपास बनवाने के सम्बन्ध में।
4.	2	श्री रामस्वरूप लाम्बा	प्रदेश में आरएसआरडीसी द्वारा निर्मित राजमार्गों पर संचालित टोल नाकों की अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री गणेश घोगरा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पोपल्टी (उदयपुर) में दूषित जल से मौतें

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र की जनता की बात करूंगा। वहां के आदिवासियों की जो अभी समस्या है, आदिवासियों की आवाज बनकर ही मैं विधान सभा में बात कर रहा हूं। उदयपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर पोपल्टी गांव में 10-12 दिन पहले 4 आदिवासी व्यक्तियों की दूषित पानी पीने से मौत हो गयी। 2 तो बच्चे हैं और 2 वयस्क हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है? खड़े-खड़े बात कर रहे हैं। उधर माननीय, खड़े-खड़े क्यों बात कर रहे हैं?

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): उदयपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर दूषित पानी पीने से 4 आदिवासियों की मौत हो गयी, लेकिन सरकार गम्भीर नहीं है, प्रशासन गम्भीर नहीं है। सरकार ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। अधिकारियों ने सही जवाब नहीं दिया, आदिवासियों के लिए मुआवजा देने की कोई घोषणा नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन 4 मृतक आदिवासियों के परिवार वालों को 50-50 लाख रुपये देने की आप घोषणा करें और प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा करें।

जब कन्हैयालाल की हत्या होती है तो उसे 50 लाख रुपये दिये जाते हैं और उसके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी दी जाती है, लेकिन आदिवासियों के साथ ही अन्याय क्यों?

आदिवासियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन आदिवासियों के जो हक-अधिकार हैं, उन्हें छीनना चाहते हैं और आदिवासियों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन और सरकार ने इस मुद्दे पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अगर इसकी जगह और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके लिए सरकार आगे से पहल करती, लेकिन चूंकि यह आदिवासियों का मुद्दा है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह घोषणा करें।

श्री अध्यक्षः डा. ऋतु बनावत।

बयाना की क्षतिग्रस्त सड़कें

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि हमारा जो बयाना विधान सभा क्षेत्र है, उसकी सीमा तीन जिलों से लगती हुई है- दौसा, करौली और धौलपुर। उसकी सीमा यूपी से भी लगती हुई है। साथ ही, डांग क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से उन्नत है, लेकिन यहां सड़कों की जो स्थिति है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय में डवलपमेंट का क्राइटेरिया सड़कें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। हर क्षेत्र, हर गांव से एक ही शिकायत आती है कि सड़कें सही नहीं हैं।

मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था कि इन सड़कों पर काम किया जाये। पूरे क्षेत्र में 51 सड़कों की सूची मैंने सरकार को दी भी थी, जिसमें से केवल एक सड़क इस बजट घोषणा में आ पायी है। बहुत सारी सड़कों की स्थिति यह है कि जब यूपी बॉर्डर जब लगता है तो यूपी की सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन राजस्थान में घुसते ही पता चलता है कि यहां विकास का कोई क्राइटेरिया नहीं है।

मैं यह कहना चाहती हूं, बयाना विधान सभा क्षेत्र में गाटोली से मेड़था की सड़क यूपी बॉर्डर तक, रूपवास से पहाड़पुर वाया जटमासी, बयाना श्मशान घाट से शाहपुर की सड़क, बंदबारेठा सड़क, इन सब 51 सड़कों की लिस्ट मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से दी है। सरकार से आपके मार्फत् यह निवेदन करना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी इन सड़कों का निर्माण कराया जाये जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता जो सड़कों की खराब स्थिति के कारण प्रताड़ित महसूस कर रही है, वह न करे और क्षेत्र में विकास भी उन्नत दिशा में पहुंचे। ऐसी मैं अपील सरकार से करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः श्री नरेन्द्र बुडानियां।

mkd/rtm/31.07.2024/12.10/1h

तारानगर के उप जिला अस्पताल का भवन निर्माण

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, उप जिला अस्पताल, तारानगर के भवन

निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 12 बीघा जमीन का आवंटन किया गया। आवंटन के बाद इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई और उसके लिए 51 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसके टेंडर भी हो गये और टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर भी हो गये और उसका शिलान्यास भी हो गया।

अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन के बाद यह कहकर इसका काम रोक दिया गया कि इसमें विवाद है, जबकि मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विवाद रहित जमीन राज्य सरकार ने अलॉट की है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वहां के जो भूमाफिया हैं, वे पर उस जगह से दूसरी जगह बदलना चाहते हैं।

हमारे मंत्री जी बहुत एफिशिएंट मंत्री जी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल तक जमीन ढूंढने के बाद, शहर के नजदीक यह बहुत ही शानदार जमीन का चयन राज्य सरकार ने किया है। अब यदि इसको विवाद में डालकर इसके निर्माण कार्य में सालों साल लग जायेंगे। जमीन ढूंढना बहुत मुश्किल है, हम लोगों ने प्रयास करके बहुत मुश्किल से, सरकार के साथ मिलकर यह काम किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमाफियाओं से इसे बचाये और यह जमीन राज्य सरकार द्वारा आवंटित है, जिसमें शिलान्यास हुआ है। आप उस कार्य को तुरन्त चालू कराने के निर्देश दें।

श्री अध्यक्षः डॉ. सुभाष गर्ग।

भरतपुर को यमुना जल समझौते के तहत सिंचाई का पानी

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर)ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये भरतपुर जिले को यमुना जल समझौते के तहत पानी उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि 1994 में एक यमुना जल समझौता हुआ था, जिसमें दो हैड हैं, ताजेवाला बैराज और दूसरा ओखला बैराज। ताजेवाला बैराज जो है, सीकर, झुंझुनूं और चूरू को पानी देने की व्यवस्था की बात करता है। ओखला हैड भरतपुर को पानी देने की व्यवस्था करता है। उसमें 1200 क्यूसेक्स पानी मिलना तय हुआ था। दुर्भाग्य से, मुझे कहना पड़ रहा है कि भरतपुर जिला सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए, पानी के लिए तरसता रहता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब के तहत, जो 1994 में जो समझौता हुआ, उसके तहत भरतपुर फीडर को 1200 क्यूसेक्स पानी मिलना तय हुआ है, उसको भरतपुर के अजान बांध के जरिये, भरतपुर फीडर में पहुंचाने की बात करें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जो समझौता करके आये हैं। उसमें ताजेवाला हैड की बात तो करते हैं, लेकिन ओखला हैड का जिक्र नहीं है। ओखला हैड का जिक्र न होने के वजह से केवल 200 क्यूसेक्स पानी अभी मिल पा रहा है। भरतपुर को 1000 क्यूसेक्स पानी नहीं मिल पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ओखला हैड बैराज के सम्बन्ध

में समझौते के अनुसार पानी दिलवाने के व्यवस्था करें।

व्यवस्था

माननीय सदस्य आसन से अपने सचेतक अथवा सचिव, विधान सभा के माध्यम से सम्पर्क करें

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को एक जानकारी देनी है कि किसी भी माननीय सदस्य सीधे नहीं आ सकता। अपने-अपने सचेतकों के माध्मय से कोई भी बात करनी है, स्लिप भेजनी है, उनके द्वारा ही भेजें।

यहां मैं देख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा स्लीप आ रही है। निर्दलीय भी अपने में से एक को तय कर लें या फिर यहां नीचे दे दें। एक व्यवस्था बननी चाहिए, उस व्यवस्था के अनुसार हम लोग काम करेंगे तो सुविधा होगी। यहां यदि मैं बुलाऊं या दोनों दलों के सचेतक, कभी विशेष परिस्थितियों में मेरे से सीधे बात कर सकते हैं। हर सदस्य आ रहा है। साहब, मेरी स्लिप। साहब, मुझे दे दो। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। आगे से हम सब लोग इसका ध्यान रखें। अगला, श्री चेतन पटेल कोलाना।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पीपल्दा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की सीएचसी ईटावा, जिसे इस बजट में उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है जिनके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही, सीएचसी सुलतानपुर, सीएचसी खातोली व पीएचसी बूढादीत व अन्य पीएचसी में चिकित्सा अधिकारियों के 10, नर्सिंग अधिकारियों के 12 पद, फार्मासिस्ट के 9, लैब टेक्निशियन के 8 पद, एएनएम/प्रसाविकाओं के 13 पद, रेडियोलॉजिस्ट का 1 पद, स्वीपर के 2 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों में स्त्री रोग, हड्डी रोग, फिजिशियन, शिशु रोग के पद खाली हैं। रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में ईटावा व सुल्तानपुर की सोनोग्राफी मशीन बन्द पड़ी है।

सुल्तानपुर में बीसीएमओ कार्यालय का भवन नहीं होने से कार्यालय का संचालन किराए के मकान में किया जा रहा है।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की पीएचसी बडौद, कोटडा दीपसिंह एवं लाखसनीजा को वर्ष 2015 में पीपीपी मोड पर बनाया गया था। इन पीएचसी में दो-दो पद नर्सिंग ऑफिसर के स्वीकृत थे, जिन्हें सरकार ने विलुप्त कर दिया है। बिना नर्सिंग स्टाफ के पीएचसी में कार्य नहीं हो पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में सुचारु कार्य

संचालन हेतु रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति प्रदान करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री ललित यादव।

मुण्डावर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री ललित यादव (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत में सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान आंदोलन की वजह से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की काफी सडकें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिससे आम जन को काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। एक तरह से अब उक्त मार्गों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। गड्ढे भी एक-दो फीट गहरे बने हुए हैं। किसानों के आंदोलन के कारण बंद हुए सड़क मार्ग की वजह से हुआ है। क्षतिग्रस्त सडकों की वजह से मार्ग पर पड़ने वाले गांव, ढाणियां तथा छोटे शहर कस्बों के निवासियों के आवागमन के रास्ते में बहुत गहरे गढ्ढे हो गये हैं, जिससे लोग आये दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इससे निजात दिलाने के लिये सरकार निम्नांकित सड़कों को तुरन्त प्रभाव से बनवाने का श्रम करें जिससे आमजन को राहत मिल सके:-

1. शाजहानंपुर से पलावा दाधिया होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक।
2. एन एच 48 से सकतपुरा एवं माणका गादली होते हुए बीजवाड तक।
3. घिलोट रीको 200 फुट से कुतिना कांतर होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक ।
4. शाजहानंपुर एन 48 से जोनाचया खुर्द सिरयाणी होते हुए घिलोट रीको तक।
5. जाट भगोला से शीलगांव होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक।
6. भानोत बाईपास से अजरका की सड़क को बनाने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्षः श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में बांध व एनिकट निर्माण पर लगी रोक

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जो कि अरावली पहाडी क्षेत्र है व सबसे ऊंचे स्थान पर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसका कारण है कि जो पहाडी क्षेत्र उन पहाडियों पर घने जंगल है। जिस कारण से वर्षा तो होती है, मगर जो वर्षा जल पहाडियों से बह कर अलग-अलग दिशा में बह कर चला जाता है, जो पानी बह कर जाने वाले निचले क्षेत्रों में कई परियोजना बना ली गई भी जैसे देवास ।।, III, IV योजना जो उदयपुर के लिए बनाई गई पश्चिम दिशा में सई नदी पर सई बांध में जाता है। जो सुरंग द्वारा मारवाड के जवाई बाँध, बनास नदी भी मेरे क्षेत्र में जवाई बांध में जाता है। बनास नदी भी मेरे क्षेत्र से बहती है। बनास नदी पर बीसलपुर परियोजना बनी है।

उपरोक्त सभी योजनाएं बनने से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एनिकट से लेकर पेयजल हेतु तक बनाने पर प्रतिबन्ध है। मेरी सरकार से मांग है कि उक्त लगे प्रतिबन्ध को शिथिलता

देकर पेयजल हेतु बांध व एनिकट निर्माण की छूट प्रदान करायी जावें।

श्री अध्यक्ष: श्री सोहन लाल नायक।

विजय नगर में वर्षा जल की निकासी

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, रायसिंहनगर की नगरपालिका विजय नगर में बरसात के समय गन्दे पानी की निकासी नहीं होने से वहां आस-पास रहने वाले वार्डवासियों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है तथा बरसात का पानी इकट्ठा होकर गन्दे पानी की नालियां भी अवरुद्ध हो जाने से घरों में पानी चला जाता है।

महोदय जी, उक्त समस्या के कारण यहां के निवासियों का जीना दुष्कर हो रहा है। नगरपालिका प्रशासन समय-समय पर कम राशि खर्च कर लीपा-पोती करता है। इस समस्या का हल निकालने से वहां से गन्दे पानी को पाइप द्वारा किसानों को दिया जावे। किसान उक्त पानी को लेने के लिये तैयार हैं, जिससे नगर पालिका का रेवन्यू भी बढ़ेगा तथा क्षेत्र के लोग इस गन्दे पानी से निजात भी पायेंगे।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र एक प्रोजेक्ट बनाया जावे तथा क्षेत्रवासियों को उक्त समस्या से निदान मिल सके। जय हिन्द। जय संविधान।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित)। श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर।

Bhs/Rtm/1.8.24/12.20/1j

करणपुर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट पर कार्यवाही में निर्धारित प्रक्रिया का पालन

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पुलिस थाना श्रीकरणपुर में दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2024 में नियुक्त जांच अधिकारी ने श्री शिवराज सिंह, चक 6 एफ.एफ. जो नामजद मुलजिम था का जुर्म प्रमाणित नहीं माना, इसके विपरीत संबंधित पुलिस अधिकारी ने अवकाश पर रहते हुये राजनीतिक द्वेषता से जांच अधिकारी को निर्देश नहीं देकर अपने अधीनस्थ दूसरे पुलिस थाना पदमपुर में तैनात अधिकारी व तीन अन्य पुलिस कर्मियों को मौखिक आदेश दिया कि आप तुरन्त प्रभाव से चक 6 एफ.एफ. जाकर श्री शिवराज सिंह को गिरफतार कर पुलिस थाना श्रीकरणपुर लेकर जावें। संयोगवश मैं स्वयं गांव 6 एफ.एफ. में मौके पर उपस्थित था। मेरे द्वारा पुलिस अधिकारी व कर्मचारी से जानकारी चाही की श्री शिवराज सिंह की गिरफ्तारी किस आधार पर की जा रही है, क्या आप

इस प्रकरण में जांच अधिकारी हैं, तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया तथा बताया कि मेरे पास उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। हमें हमारे उच्चाधिकारी के मौखिक निदेश हैं कि श्री शिवराज सिंह निवासी 6 एफ.एफ. जो मुलजिम है को गिरफ्तार कर पुलिस थाना श्रीकरणपुर लेकर जाना है। मौखिक निर्देशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात श्री शिवराज सिंह निवासी 6 एफ.एफ. को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया तथा साथ में मुझे भी उस गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाना श्रीकरणपुर लाया गया।

इस प्रकरण में कौन-कौन पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं तथा किस उच्चाधिकारी के निर्देशों पर इस प्रकार की कार्यवाही को अंजाम दिया गया?

मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, 295 अपने वरिष्ठ लोगों से पूछ लीजिये कि किन-किन मुद्दों पर लिखा जाना चाहिये। यह विषय ऐसा नहीं है। वैसे 295 में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यह ऐसा विषय नहीं है, यह तो किसी और नियमों में आता।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही करवायें।

श्री अध्यक्षः किसी और माध्यम से आयें। श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत सिटी के राजकीय महाविद्यालय की भूमि का महाविद्यालय के नाम इन्द्राज

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के तहत सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी, जिला-पाली वर्ष 2006-07 में स्वीकृत हुआ था।

श्री अध्यक्षः एक मिनट। सभी सदस्य एक पेज पर लिखें यदि ज्यादा है तो दूसरे पेज पर लिखें, एक पेजे के पीछे नहीं लिखें। एक पेज लिखा, फिर उसके बेक में लिखते हो यह यहां की परम्परा और व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): यह भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजत शहर के खेल मैदान की भूमि पर बनाया गया है और विद्यालय को इतनी ही जमीन खेल मैदान हेतु श्री शांतिलाल मेहता, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोजत द्वारा दान में दे दी गई थी। लेकिन उक्त भूमि महाविद्यालय के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण महाविद्यालय को यू.जी.सी. एवं अन्य उच्चतर शिक्षा योजना के तहत प्राप्त होने वाले अनुदानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे महाविद्यालय का विकास अवरुद्ध हो रहा है।

वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम सोजत चक-1 के खसरा नं. 4480 रकबा 8.3940 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मैदान शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। इसी खसरे में राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी का परिसर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजत का परिसर स्थित है। राजस्थान भू-राजस्व नियम (विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपभोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित

राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के खण्ड-2 (ग) के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन, छात्रावास, खेल मैदान आदि को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 7 एकड़ अर्थात 2.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया जाने का प्रावधान है।

अतः महाविद्यालय द्वारा मौका काबिज भूमि (4.63 हैक्टेयर) राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी के नाम दर्ज हो सके इस हेतु अविलम्ब ही विभाग को आदेशित करवाया जाये ताकि महाविद्यालय को यू.जी.सी. एवं अन्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाला अनुदान मिल सके जिससे महाविद्यालय एवं उसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूं पुनः धन्यवाद।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

ढिंढोर (बहरोड़) के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का शीघ्र संचालन

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मेरे बहरोड विधान सभा क्षेत्र में बजट सत्र 2017-18 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ढिंढोर-बहरोड़ स्वीकृत हुआ था जिसका भवन बनकर तैयार है, बिजली/पानी का कनेक्शन भी उपलब्ध है, समुचित व्यवस्था है व 10 ट्रेड स्वीकृत हैं, परन्तु आज दिनांक तक उक्त संस्थान शुरु नहीं किया गया है।

महोदय, उक्त संस्थान की एक ट्रेड में 20 विद्यार्थियों के अनुसार कुल 200 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जा सकता है तथा गत 05 वर्षों में कुल 1000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता था, परन्तु संस्थान के शुरू नहीं होने के कारण 1000 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डुबो दिया गया है। इसलिए विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ढिंढोर-बहरोड को शीघ्र ही शुरू किया जाना आवश्यक है।

महोदय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ढिंढोर-बहरोड को अबतक शुरु क्यों नहीं किया गया है? क्या कारण है और उक्त संस्थान को कब तक शुरु किया जायेगा?

श्री अध्यक्षः श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना की मिसिंग लिंक एवं नवीन सड़कों का निर्माण

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण यहां के निवासियों को आवागमन में बहुत अधिक कठिनाइयां होती है। सड़कों पर मार्ग में गहरे-गहरे गड्ढे हो गये हैं। कई स्थानों पर सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि आवागमन के साधन निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में सड़कों की समय-समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। काफी राजस्व गांवों में

सड़क नहीं है व रास्ते बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं इसलिए नवीन सड़कों का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। यहां के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, मनोहर थाना क्षेत्र में वर्तमान में कई मिसिंग लिंक नॉन पेचेबल सड़कों के काम चल रहे हैं उनकी गति धीमी है। जगह-जगह टोल वसूला जा रहा है और बहुत ही गलत है इसलिये टोल को बन्द किया जाये और नयी सड़कें बनवाई जाये।

मिसिंक लिंक के निर्माण कार्य करवाये जायें:-

कचनारी गोवर्धनपुरा से गोपालपुरा

भुलनखेडी से बांसखेडा वाया राजपुरा मय पुलिया

सम्पर्क सड़क लसूडियाशाह से गोकुलपुरिया

हरनावदा मनोहरथाना रोड से पीलिया खाल से बनेठ वाया शागोनी देवमहाराज मन्दिर

नॉनपेचेबल के निर्माण कार्य करवाये जायें:-

पाडलिया से बुरुबेह

मनोहरथाना से हरनोदा रोड से रीछडी तक 4 किलोमीटर

बांसखेड़ी मेवातियान तो हनोटिया मेवतियां

कंवरपुरा से खजूरी होते हुए मोहम्मदपुरा

वैरा गढ़ से महुआखेड़ा वाया मोतीपुरा

ए/आर से महेशपुरा से होडा की माताजी (एमपी बोर्डर) बीटी कार्य

गणेशपुरा से कोटडा कागला

खेरखेडा से तोराखेड़ा

गरबोलिया घाटी से मोहनपुरा सड़क मध्य प्रदेश सीमा तक

गेहुखेरी रोड से देवली

किमी 18/100 बकानी भालता रोड से बिंदाखेड़ा

इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान करवाकर समस्या का अति शीघ्र समाधान करवाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की काफी गभीर समस्या का तुरन्त समाधान करवाया जावे।

सधन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लादु लाल पितलिया।

सहाड़ा में जनजाति बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाडा में जनजाति के लोगों की बस्ती में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन बस्तियों के विकास के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बजट

आंवटित किया जाता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र बहुत कम राशि आंवटित की जाती है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक 19036-43 दिनांक 26.05.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत नान्दशा (जागीर), खाखरमाला, नाथ्डियावास, पालरा, पीथाखेडा, नाहरी, चावण्डिया, अडसीपुरा, भूणास, खाखला, भीटा, बागड, बारियापुरा एवं थला में विभिन्न विकास कार्यों हेतु जनजाति भागीदारी योजना अन्तर्गत प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की गई लेकिन आज दिनांक तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से कार्य बाधित हो रहा है। ग्रामवासियों एवं जनजाति बहुल क्षेत्र के लोगों द्वारा उक्त स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्वीकृत जारी करवाने हेतु बार-बार मांग की जा रही है। ग्राम पंचायत नान्दशा (जागीर), खाखरमाला, नाथडियावास, पालरा, पीथाखेडा, नाहरी, चावण्डिया, अड्सीपुरा, भूणास, खाखला, भीटा, बागड, बारियापुरा एवं थला जो आदिवासी बस्ती अधिक है। इन जनजातीय बस्ती में मूलभूत सुविधा की बहुत कमी है। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदना करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2024 को जारी प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावें, ताकि जनजाति क्षेत्र की बस्तियों का विकास हो सके।

Kas/rtm/01.08.2024/12.30/1k

श्री अध्यक्षः श्री रफीक खान।

देवली के न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा सन् 1992 में राजस्थान सरकार के द्वारा उपखण्ड मुख्यालय देवली जिला टोंक राजस्थान में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। उपखण्ड देवली मुख्यालय में स्थापित न्यायालय देवली एवं न्यायालय दूनी में लगभग 150 अधिवक्ता नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं।

यह कि विगत काफी वर्षो से लगातार अभिषभाषक संघ एवं आमजन के द्वारा उपखण्ड मुख्यालय देवली में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय खुलवाने हेतु हर प्रकार से मांग की जा रही है, परन्तु सभी मापदण्डों को पूर्ण करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में देवली में उक्त वर्णित न्यायालय खोलने के संबंध में किसी तरह का कोई प्रस्ताव घोषणा नहीं की गई है। उक्त मांग काफी वर्षो से की जा रही है। आमजन को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं रही है। जिला मुख्यालय टोंक से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले आमजन को लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय का टोंक जिला मुख्यालय पर न्याय हेतु आना-जाना

पड़ता है।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उपखण्ड मुख्यालय देवली जिला टोंक राजस्थान में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के क्षेत्राधिकार को क्रमोन्नत करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

खाद्य सुरक्षा योजना में नवीन पंजीयन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत वर्ष 2013 में भाजपा शासन के दौरान की गई थी। जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को पर्याप्त गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है, परन्तु विगत कुछ वर्षों से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद हो जाने के कारण राज्य की जनता बहुत परेशान हो रही है। गरीब व निम्न आय वर्ग के लोगों को खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। पोर्टल बंद होने के कारण नये परिवार उक्त योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही वे परिवार जो रोजगार अथवा अन्य किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने चले जाते हैं, उनके सामने तो समस्या और गंभीर हो गई है। वे लोग अपना नाम नई जगह पर जुड़वाने हेतु दर-दर भटकते हैं, परन्तु उनका नाम नई जगह पोर्टल बंद होने क कारण जुड़ नहीं पाता है, जिसके कारण उन्हें बाजार मूल्य पर खाद्य सामग्री को खरीदना पड़ता है। किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा किसी का जन्म होता है, तो वह परिवार पोर्टल बंद होने के कारण ना तो उसमें से नाम कटवा सकता है और ना ही नया नाम जुड़वा सकता है। खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत परिवारों को आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ स्वतः ही मिल जाता है, परन्तु उक्त योजना में पंजीकरण नहीं होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ नहीं मिला पा रहा है। पोर्टल के बंद रहने से सरकार की योजना भी विफल हो रही है।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के तहत खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल पुनः खोला जाकर गरीब लोगों को उक्त योजना का समुचित लाभ प्रदान किये जाने की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह चौहान। चन्द्रभान जी, यह एक तरफ ही होना चाहिये, पीछे नहीं।

खान विभाग की लापरवाही से खनन पट्टाधारियों को कारित समस्या

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): ठीक है साहब। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एव कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माइनिंग क्षेत्र में विभाग की लापरवाही से खनन पट्टाधारियों को हो रही समस्या के सम्बन्ध में निवेदन है कि खनन व्यवसाय प्रदेश की आय का मुख्य

साधन है। इससे जुड़े पट्टाधारियों को विभाग की लापरवाही से कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

1. अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसको उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, जिससे पट्टाधारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

2. राज्य सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया से खान आवंटित की जाती है, परन्तु खनन क्षेत्र में आने वाली भूमि व रास्ते एवं खनन से निकलनें वाली मिट्टी (ओवर बर्डन) के निस्तारण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। साथ ही सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिये जाने के कारण पट्टाधारी नीलामी राशि जमा करवाने के बाद भी कई महीनों तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, जिससे वह भारी कर्जे में डूब कर दिवालिया हो रहे हैं।

3. पर्यावरण संरक्षण एवं खनन क्षेत्र के विकास हेतु डीएमएफटी के नाम से पट्टाधारियों से राशि वसूल करने के बाद भी पट्टाधारी पर वृक्षारोपण हेतु दबाव बनाया जाता है। राज्य में पुराने आवंटित सभी पट्टे पांच हैक्टेयर भूमि से कम होने के कारण खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता को देखते हुए वृक्षारोपण करना संभव नहीं है।

4. पूर्व में आवंटित सभी पट्टों की भूमि तत्कालीन समय के प्रचलित यत्रों द्वारा मापी गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान में सेटेलाइट उपकरणों द्वारा नापने पर पट्टा भूमि भिन्न स्थान पर दर्शाती है, जिससे पट्टाधारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

5. 5 हैक्टेयर व उससे छोटे खनन क्षेत्रों में खान सुरक्षा निदेशालय विभाग के निर्धारित मापदण्डों के पालन करने से मिनरल का पूरा खनन नहीं हो पाता है एवं खनन कार्य में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होता है। 5 हैक्टेयर व उससे छोटे खनन पट्टाधारियों के लिए खान सुरक्षा निदेशालय के मापदण्डों में संशोधन करवाने की आवश्यकता है।

6. खनन पट्टाधारी द्वारा खनन उत्पादन व निर्गमन के आंकडें ऑन लाइन किये जाने के बाद भी विभाग द्वारा स्वत: असेस्मेंट नहीं किया जाकर पट्टाधारी को विभाग के अनावश्यक चक्कर लगवाये जा रहे हैं।

अत: राज्य सरकार खनन पट्टाधारियों की उक्त समस्याओं का निदान करवा कर उन्हें राहत प्रदान करें, जिससे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यवसाय बंद होने से बच सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर लाल डेचा।

डूंगरपुर में खरीफ फसल खराबे का मुआवजा

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से खरीफ फसल खराबा वर्ष 2023 का तहसील ओबरी, गलियाकोट, चिखली, सीमलवाडा, ओबरी के किसानों को प्रशासन की लापरवाही से वंचित करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि डूंगरपुर जिले के तहसील सीमलवाडा, झोथरी, चिखली, गलियाकोट, एवं ओबरी तहसीलों के किसानों को खरीफ फसल 2023 का फसल खराबा मुआवजा, वर्षा औसत से भी कम होने से फसलें क्षतिग्रस्त हो कर फसलों का खराबा

तहसील वाइज क्रमशः सीमलवाडा 70.67%, झोथरी 70.86%, चिखली 67.17%, गलियाकोट 57.77% व ओबरी 67.02% हुआ है। जिसको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार बताया गया है व संशोधित अधिसूचना जारी कराने आपदा प्रबंधन सहायता सचिव राजस्थान सरकार को संशोधित नोटिफिकेशन जारी कराने भेजा गया।

संदर्भ पत्रक क्रमांक 2 के अनुसार आपदा प्रबंधन सहायता सचिव राजस्थान सरकार से समयावधि 31 अक्टूबर तक किये जाने का प्रावधान है के अनुसार उक्त तहसील के किसानों को सरकार के आपदा राहत से वंचित रखा जाने से किसानों में भारी रोष व आक्रोश है। जिले के सभी किसान कभी आन्दोलन व धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। राजस्थान सरकार के प्रति समूचा किसान वर्ग नाराज है व सरकार विरोधी प्रदर्शन करेगा। उक्त तहसीलों का फसल खराबा 7D रिपोर्ट के अनुसार 33% से अधिक होने पर भी अधिसूचना में नहीं जोड़ना जांच का विषय है।

अतः समय रहते किसानों की आपदा राहत कि अधिसूचना जारी कर राहत प्रदान कराने आग्रह करता हूं, धन्यवाद।

Msk/rtm/01.08.24/1240/ 1l

श्री अध्यक्ष: पर्ची। श्री जेठानन्द व्यास।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

निविदा कार्मिकों को न्यूनतम मानदेय एवं पूर्व में निर्धारित न्यूनतम मानदेय में वृद्धि

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं पर्ची के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार थी, वह गरीबी हटाओ, लेकिन वह गरीबी हटाओ नहीं, बल्कि उसने गरीब को हटाना ही अपना लक्ष्य बनाया था। मैं पर्ची के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हमारी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो प्लेसमेंट के माध्यम से निविदाकर्मी लेती हैं। सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, सरकार के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान, इत्यादि प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत अकुशल, अर्द्ध कुशल, उच्च कुशल श्रेणी के कार्यरत कार्मिक जैसे सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिकों को प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा लेती हैं। इनको मानदेय ये छह से सात हजार रुपये तक ही देते हैं। आज इस समय में क्या कोई छह-सात हजार में अपने परिवार को चला सकता है? ऐसा संभव नहीं है। मैं पर्ची के माध्यम से बताना चाहता हूं कि निविदाकर्मियों को प्लेसमेंट एजेंसियां पूर्ण वेतन नहीं दे रही हैं, जो कि इनके साथ आर्थिक शोषण के समान है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ऐसे निविदा माध्यम से लगे हुए कार्मिकों को हो रहे शोषण से मुक्त कराया जाये और कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनको कम से कम 15 हजार रुपये मिले, ऐसी अपेक्षा की जाती है। भारत माता की जय।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पर्ची और 295 में अन्तर है। हम पर्ची को भी 295 की तरह पढ़ते हैं, वह उचित नहीं है। जो पर्ची लगाते हैं, उस विषय पर अपना विषय बिना पढ़े हम रखेंगे तो ही उसके साथ न्याय होगा। डॉ. शिखा मील बराला।

चौमूं में अघोषित बिजली कटौती

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सदन को नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे पर्ची व्यवस्था के अन्तर्गत चौमूं में अघोषित बिजली कटौती पर बोलने का मौका दिया। यहां मैं नहीं, चौमूं के ढाई लाख वोटर बोल रहे हैं, पांच लाख जनता की व्यथा बोल रही है। पिछले चार-पांच महीने से हम लोग अंधकार के आतंक को झेल रहे हैं। छह-छह, आठ-आठ घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिसके लिए कर्मचारी-अधिकारी जनता के फोन नहीं उठाते हैं। हम लोग बात करते हैं तो हमें खीझ भरा जवाब मिलता है कि हम क्या करें, सरकार के पास बिजली नहीं है। बचपन में हम एक सीरियल शक्तिमान देखते थे। बहुत सारे माननीय सदस्यों को याद भी होगा, मुझे वर्तमान सरकार उस भूमिका में नजर आती है, उस तमराज किलविश की भूमिका में, जिसका तकिया कलाम था, अंधेरा कायम रहे। अभी यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राज्य में लोग अपना काम-धंधा कर, पूरे दिन उमस से बेहाल होकर जब घर लौटते हैं, महिलाएं खाना बना रही होती हैं, दीया-बत्ती का टाइम होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सोने का समय होता है, तब बिजली गुल हो जाती है।

हमारा क्षेत्र पशुपालन प्रधान क्षेत्र है, वहां सब्जी मण्डी का भी काफी कार्य होता है। लोग 8-9 बजे सोकर 01 बजे तो उठ जाते हैं और 8 से 1 बिजली गायब रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के वोट की कीमत क्या कम है कि उन्हें ही यह सारा दंश झेलना पड़ता है। क्यों नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती कर इस बैलेंस को बैठाया जाता है, क्राइसेस को मैनेज करने के लिए।

श्री अध्यक्षः दो-दो मिनट, आज समय कम है।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): डबल इंजन की सरकार है, पर फेल होती नजर आ रही है। मैं ही नहीं, हमारा पूरा प्रतिपक्ष इस सरकार को चेता रहा है कि अब आप बतायें कि क्या-क्या राजस्थान सहेगा? वह दिन दूर नहीं है कि अगर आपने इस समस्या को बहुत अच्छे से जल्दी एड्रेस नहीं किया तो जिन लोगों ने आपको जनादेश दिया था, जो लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, वही लोग सड़कों पर उतरकर आपके खिलाफ आयेंगे, इसका समाधान किया जाये।

श्री अध्यक्षः बैठें, इस पर कल भी चर्चा है। श्री हरिमोहन शर्मा। दो मिनट में, समय देख लें।

बून्दी में मिनी सचिवालय के निर्माण द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की एकीकृत उपलब्धता

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बून्दी शहर प्राकृतिक सौन्दर्य की

अनुपम भेंट है। ऐतिहासिक शहर है, झीलों से घिरा हुआ है। हरियाली से आच्छादित है और वहां पर इस समय पूरे जिले की 15 लाख की आबादी है। पुराने समय से ही, स्टेट के समय से ही बून्दी में अंग्रेजों के खेलने का जो क्लब था, उसमें कलेक्ट्रेट का कार्यालय स्थापित किया गया था। आज उस कलेक्ट्रेट के परिसर में 10-15 तो अदालत के परिसर हैं, जिला परिषद है, एसडीओ है, एडीएम है, ट्रेजरी है और अनेक कार्यालय उसमें स्थापित हो चुके हैं। वहां पर हजारों की संख्या में आदमी आते हैं और परिसर इतना छोटा हो गया, अदालतों के कारण, आवागमन के कारण कि वहां पर वह कार्यालय व्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रहे हैं। मैंने सरकार को एक सुझाव दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा कि बून्दी का वर्तमान में जो परिसर है, वह 36 बीघा में स्थित है और उसके पास ही रोडवेज का परिसर 17-18 बीघा में स्थित है और दोनों ही पास में जुड़े हुए हैं। रोडवेज परिसर के लिए विकल्प के रूप में पुरानी कृषि मण्डी जो बून्दी में थी, जिसका 27 बीघा का एक पुराना परिसर था। कृषि उप मण्डी वहां से दूर स्थापित होकर 400 बीघा में नयी कृषि उपज मण्डी बन गयी है। कृषि उपज मण्डी जो स्टेट हाई-वे पर स्थित है। अगर रोडवेज का भवन वहां पर स्थानान्तरित हो जाता है। रोडवेज का स्थान अगर परिसर को मिल जाता है तो ये दोनों ही, अदालत और जिला कलेक्टर का कार्यालय एक स्थान पर नये रूप में स्थापित किये जा सकते हैं। वहां पर आवागमन की सुविधा है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखकर निवेदन किया था कि इसमें तीन विभाग हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ट्रांसपोर्ट(यातायात मंत्री), जीएडी, इन तीनों विभागों का निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी के बिना नहीं हो सकता। मैं आपके मार्फत निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर नया परिसर स्थापित किया जाये

श्री अध्यक्षः हो गया, माननीय सदस्य। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

आर एस आर डी सी द्वारा निर्मित राजमार्गों पर संचालित
टोल-नाकों की अवैध वसूली

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के स्टेट हाई-वेज पर ओवरलोड वाहनों से जो अवैध वसूली हो रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरएसआरडीसी के जो रोड बने हुए हैं, उन पर कई टोल बने हुए हैं, उन टोल्स पर कोई वज़न मापने की मशीन नहीं है, न ही वे जो पर्ची दे रहे हैं, न ही उसमें ओवरलोड की श्रेणी या दर दे रहे हैं और न ही कोई फिक्स दर है। किसी वाहन से सौ ले लिए, किसी से दो सौ ले लिए। पिछले तीन वर्षों से पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही यह वसूली चालू है। लगभग 200-300 करोड़ का नुकसान राजस्थान सरकार को हुआ है। नसीराबाद ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यवसाय से ही जुड़ा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो टोल के संवेदक हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और इन्होंने जो निर्धारित दर से अधिक की वसूली की है, उस वसूली को भी पैनल्टी के माध्यम से सरकार अपने खातों में ले। सार्वजनिक निर्माण

विभाग के हमारे जो मंत्री हैं, वे इस पर ध्यान देकर कार्यवाही करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरी पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है। आज सुबह मेरे यहां पर राजस्थान रोडवेज के द्वारा..

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सरकार राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं के प्रति तत्काल आवश्यक कदम उठाये

श्री अध्यक्ष: मेरे पास आ गया। विराजें। मैं दे रहा हूं। आज सबेरे से जयपुर, अजमेर, करौली के कई सदस्यों ने पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन में कहा कि जिस प्रकार की बरसात आज प्रान्त भर में हुई है, उसमें कच्ची बस्तियों में, कई गलियों-सड़कों पर पानी भर गया है और आपात जैसी परिस्थितियां भी पैदा हो गयी हैं। मैं माननीय संसदीय मंत्री के माध्यम से सरकार से आग्रह करुंगा कि तत्काल उचित कदम हर जगह, जहां भी अतिवृष्टि हुई है, क्योंकि यह अलवर जिले का नहीं है। इसमें जयपुर का भी आ गया, करौली का आ गया, अजमेर में भी। राजस्थान में जहां-जहां भी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि में पूरा राजस्थान ले रहा हूं। ...(व्यवधान)... पूरे राजस्थान की कह रहा हूं। ऐसे एक-एक का नाम लेंगे तो इसका कोई अन्त ही नहीं है। पूरे राजस्थान में जहां-जहां भी अतिवृष्टि हुई है, वहां पर जन सामान्य की दिनचर्या में बाकी सारी कठिनाइयां खड़ी हुई हैं। सरकार इस ओर तत्काल आपातकालीन कदम उठाये, ताकि कहीं भी न तो जनहानि हो और न ही पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति के कारण कोई बीमारी की परिस्थितियां पैदा हों। यह सारे राजस्थान के हित में है। पक्ष-विपक्ष हम सब एक हैं। सरकार इस पर उचित कदम उठाये। इतनी ही मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी।

mdp/rtm/01.08.2024/12:50/1m

सूचना

रोडवेज बस दुर्घटना में दो कांवड़ियों की मृत्यु

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मेरा विषय दूसरा है। सुबह राजस्थान रोडवेज की बस से दो कांवड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। एक की मौत हो गयी, एक सीरियस है। सुबह से ही वहां जाम लगा हुआ है। पूरा इलाके में हजारों लोग हाइवे को जाम करके बैठे हैं। सरकार संज्ञान ले, परिवार की मदद करे और व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष: सरकार संज्ञान ले। आज चूंकि पानी पर चर्चा है और साथ में विधेयक भी है। एक बार मैं बोल देता हूं फिर आपका। इसलिए भोजनावकाश आज भी कैंसिल किया जाता है। चूंकि चर्चा 1 बजे से शुरू होगी, दो ध्यानाकर्षण हैं। इसलिए 1 बजे से लेकर आज 6 बजे तक का सदन का समय है। आप कुछ कह रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दो विषय हैं।

श्री अध्यक्ष: आज 6 बजे सदन की कार्यवाही समाप्त होगी, क्योंकि उसके बाद मंत्रिमंडल

और सारी बैठकें हैं। अपने पास 1 से लेकर 6 बजे तक 5 घंटे अपने पास है। उस 5 घंटे में विधेयक के लिए भी हमको समय देना है, डेढ़ घंटा, दो घंटा, जो भी हम तय करें। 3 घंटे पानी की बहस होगी। उसमें सवा-सवा घंटा दोनों पक्ष और 15-20 मिनट निर्दलीय और जो बीच के लोग हैं। समय और सूची दोनों दल, इसीलिए मेरा दोनों सचेतकों से आग्रह है कि अपनी सीमित सूची दें और बोलने वालों का समय भी उसी प्रकार से निर्धारित करें कि आपका सवा घंटे में समाप्त हो और 15-20 मिनट इधर। अंतिम दो घंटे हम बिल पर चर्चा करेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि सूची बहुत लंबी है। हर सदस्य बोलना चाह रहे हैं। समय भले ही आप कम दें लेकिन बात सबकी आ जाए।

श्री अध्यक्ष: आज पानी खूब आ गया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरी सूची 30 लोगों की है। कैसे उसको करेंगे?

श्री अध्यक्ष: सूची को छोटा करना है। आप कुछ कह रहे थे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 6 बजे का ही आपने राइडर क्यों लगाया? 9 बजे तक भी चलाएं तो क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष: 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सर, वह आगे हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आगे नहीं होगी। तय हो गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आगे हो जाएगी। इससे महत्वपूर्ण थोड़े ही है, मंत्रिमंडल की बैठक?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं निवेदन करूं। इंर्फोमेशन दूं पता लग जाएगा।

श्री अध्यक्ष: एक बार इनको पूरी कर लेने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रिमंडल की बैठक के लिए विधान सभा का समय कम करना, पूरे प्रदेश के मुद्दे आएंगे। ये 9 बजे कर लेंगे। हम तो रात को 11-11 बजे तक करते थे।

श्री अध्यक्ष: चलिए, आप बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फाइनेंस कमीशन की जो टीम आयी है। 16वें फाइनेंस कमीशन की जो टीम आई है, उसमें बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनके अधिकारियों, सेक्रेटेरिएट के सभी लोग और उनके साथ मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की मीटिंग रखी गयी है, जो देश हित में और प्रदेश के हित में बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि ये जो पानी का विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनेंस के सम्बन्ध में स्टेट को ज्यादा मिले, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए

समय 6 बजे से 5-10 मिनट पहले कर दें, संशोधन कर सके, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, आपने जो विषय रखा, जानकारी प्राप्त करके जो भी उचित कदम होगा, वह कदम उठाएंगे।

तीसरा, आपने जो विषय रखा प्रदेश में अनेक स्थानों पर बिलकुल बरसात नहीं हुई और अनेक स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। इन्द्रदेव की मेहरबानी हुई है। हां, इन्द्रदेव की अधिक मेहरबानी से तकलीफ अवश्य हुई है। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है, परंतु फिर भी सरकार इस सम्बन्ध में...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यहां जयपुर में बेसमेंट में ...(व्यवधान)... पानी भरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय कालीचरण जी। जब कोई बोल रहा है तो बीच में खड़े होकर नहीं बोलते हैं। आपको कहना है तो मेरे से अनुमति लेकर बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसीलिए सरकार इस पर सजग है। सभी स्थानों पर जिला कलक्टर की मार्फत पूरी टीमों को, जो आपदा टीमें हैं, उनको सतर्क कर दिया गया है। पूरी निगरानी रखी जा रही है। जहां-जहां पानी का भराव हो रहा है या यातायात में बाधा हो रही है या आने-जाने में बाधा हो रही है या अंडरग्राउण्ड में पानी भरने की संभावना है, इस सम्बन्ध में सरकार पूरी सतर्कता से कार्यवाही कर रही है। आवश्यक सभी कदम उठाएं जाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार कह रही है, जनहानि नहीं हुई और सरकार का एमएलए कह रहा है दो आदमी मर गये। ये क्या जवाब है आपका? आपको जानकारी ही नहीं है तो खड़े ही क्यों होते हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमें पूरी जानकारी है और आपको खड़े होने की बीमारी है, इसकी भी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती कल्पना देवी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

देवस्थान विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं व्यवस्था के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि ये जो ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव माननीय सदस्य 15 दिन या 10 दिन पहले लगाते हैं और उनका जवाब आता है, उसके बाद में वह लिस्टेड होते हैं। इनका बिना जवाब के ही लिस्टेड हुआ, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्या नाराज है कि जवाब नहीं आया और उससे पहले ही लिस्टेड हो गया। ये थोड़ी-सी यहां की व्यवस्था के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने देवस्थान विभाग के राजस्थान के मंदिरों और भूमियों पर लम्बे समय से चले आ रहे।

श्री अध्यक्ष: आप तो रिप्लाई दीजिए। ध्यानाकर्षण लिस्टेड तो हो गया।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): भविष्य में ध्यान के लिए। जवाब नहीं आया था, लिस्टेड पहले हो गया, जवाब बाद में आया।

श्री अध्यक्ष: आप तो जवाब दे दीजिए। लिस्टेड बाद में नहीं हुआ।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने देवस्थान विभाग के राजस्थान के मंदिरों और मन्दिर की भूमियों पर लम्बे समय से आ रहे अतिक्रमण के बारे में चिंता की है और अपने सुझाव भी दिए हैं। मैं माननीय सदस्या का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने देवस्थान विभाग की जो भूमियां हैं, उनके बारे में चिंता की।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि देवस्थान विभाग समय-समय पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही भी करता है। अब तक जो कार्यवाही हुई उस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहूंगा। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिर, आत्मनिर्भर मंदिरों की कुल 7294.43 हैक्टेयर भूमि है, जिसमें 2768.6064 हैक्टेयर भूमि पर 1773 अतिक्रमियों का कब्जा हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 263 वाद विचाराधीन हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व ग्रुप-6 विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2007/पार्ट-5 दिनांक 12.9.2018 से मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलेक्टर मूर्ति मंदिर के भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चरागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा-91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी नियंत्रण करेंगे, के निर्देश दिये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव महोदय की समीक्षा बैठक दिनांक 5.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में देवस्थान विभाग की कृषि भूमि पर काबिज अतिक्रमियों के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 12.9.2018 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्रांक प.12(9)देव/2020 दिनांक 31.5.2021 लिखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को अर्द्ध शासकीय पत्रांक एफ 3(2)संपदा/देव/2018/599 दिनांक 16.6.2021 लिखा गया। इसी क्रम में समस्त सहायक आयुक्तों को विभिन्न तारीखों में आठ-दस बार पत्र लिखे गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग में निर्माण शाखा नहीं है और न ही कोई

अतिक्रमण हटाने के लिए हमारे पास विशेष दस्ते हैं। जिला प्रशासन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अतिक्रमण एक बहुत ही जटिल और पुरानी समस्या है। जब से विभाग प्रारम्भ हुआ है, तभी से अतिक्रमण की समस्या है एवं कालांतर भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। देवस्थान विभाग हमेशा उपेक्षित रहा है।

Ans/rtm 13.00 1n 01.08.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भी स्वयं ही बताया है कि देवस्थान की भूमियों पर अतिक्रमण की शिकायतें आती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): एवं हटाने पर जनता के भारी रोष का सामना करना पड़ता है। कई बार हटाने जाते हैं तो जनता ही अतिक्रमियों के पक्ष में आ जाती है। इसके बावजूद भी लगातार हमारा विभाग अतिक्रमियों से देवस्थान विभाग की भूमि को अपने कब्जे में लेने हेतु प्रयासरत रहता है। अब तक पूरे राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा 44 अतिक्रमियों में से 7.44 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमण से हटाकर देवस्थान विभाग के कब्जे में ली है। इस प्रकार देवस्थान विभाग कृषि भूमियों पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है। पुराने रियासतकालीन समय से, राजा-महाराजाओं ने मंदिरों के लिए यह जमीन अलॉट करके, मन्दिर के अधीन जो जमीन रखी गई थी, इसलिए रखी गई थी कि मंदिरों के रख-रखाव में कोई कमी नहीं आए और वहां जो पुजारी सेवा दे रहे हैं, वह अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। नियम तो बहुत बने हैं, पता नहीं कितने सालों से हम नियम की बात कर रहे हैं। उस नियम की पालना की कोई नहीं कर रहा है, हम यह देख रहे हैं।

मंत्री जी अभी जो आपका जवाब मुझे मिला है, आपके माध्यम से मुझे यह बताया गया है कि माननीय सदस्य ने भी स्वयं ही बताया है कि देवस्थान की भूमियों पर अतिक्रमण की शिकायतें आती है एवं हटाने पर जनता के भारी रोष का सामना करना पड़ता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है। जनता में रोष है, इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की है। मैं लगातार अतिक्रमण की बात कर रही हूं। मुझे बताए किस अधिकारी को मैंने यह दूसरी बात कही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार अपने जवाब में इतने सारे पत्र का जिक्र कर रहे हैं। मैं सिम्पल चीज पूछना चाहती हूं कि जो मंदिरों की जमीन है, उन पर अतिक्रमण हुए हैं, उनको कब मुक्त कराया जाएगा? पिछली सरकार में भी मैंने इसी सदन में एक प्रश्न लगाया था, जिसका मुझे जवाब दिया गया था कि सीमा ज्ञान कराएंगे और बाउण्ड्रीवॉल कराएंगे।

परन्तु उनसे तो उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद रखते हुए मैंने दुबारा ध्यानाकर्षण लगाया है। बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जैसे कि भूमियों को चिह्नित कर विभाग अपना बोर्ड लगाए, चारदीवारी करवाए या फिर सीसीटीवी लगाकर निगरानी भी करे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो देवस्थान विभाग के मंदिरों पर जहां बोर्ड नहीं है, हम वहां पर बोर्ड लगवाएंगे। देवस्थान की परिसम्पत्तियों पर जो अतिक्रमण से मुक्त है, उन्हें चिह्नित कर उन सम्पत्तियों पर सहज दृश्य स्थानों पर कलर, पेंट व लेखन भी करवाएंगे। विभाग के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और उनकी उपलब्धता होने पर प्रमुख मंदिरों को चिह्नित कर सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे। हम हमारे मंदिरों और मंदिरों की परिसम्पत्तियों के समग्र विकास एवं सुरक्षा के लिए विचार मंथन कर ठोस कदम उठाएंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी जवाब में बताया,पूरे राजस्थान में 1773 अतिक्रमियों ने देवस्थान की भूमियों पर कब्जे कर रखे हैं,उनके खिलाफ 263 वाद कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें हम लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कोर्ट जो फैसला देगा उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। अतिक्रमियों के विरुद्ध विभाग सम्बन्धित जिला प्रशासन की मदद लेकर, ठोस कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री अमित चाचारण।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज।

श्री अध्यक्ष: हां बोलिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): कब तक करेंगे, कब तक यह अतिक्रमण हटाएंगे और बाउण्ड्री व सीमा ज्ञान कब तक करेंगे और बाउण्ड्री कब तक बनाएंगे? बार-बार आश्वासन दे रहे हैं, मुझे बताएं कि कब तक करेंगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मन्दिर अतिक्रमण से मुक्त है, जिन पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, वह देवस्थान विभाग संचालित कर रहा है और जो विवादित है, 263 अतिक्रमण है, वह कोर्ट में विचाराधीन है। उसका समय हम तय नहीं कर सकते, उसका समय कोर्ट तय करेगा। कोर्ट से फैसला होते ही हम निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे प्रशासन की मदद से।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

नोहर के कतिपय खसरा नम्बर की खातेदारी निरस्त कर आबादी भूमि में परिवर्तन

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नोहर में रौही मौजा चक राजासर, तहसील नोहर के..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण करिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): खसरा नम्बर, 66,67/1 की खातेदारी निरस्त कर आबादी भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 66...

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा पूछ सकता हूं क्या?

श्री अध्यक्ष: नो। जब यह जवाब दे दें, उस पर आपको कुछ कहना है तो एकाध मिनट।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 66 की 4.0850 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 67/1 की 1.8340 हैक्टेयर भूमि कुल 5.9190 हैक्टेयर भूमि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर में प्रियागचंद पुत्र अनुराग के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखण्ड अधिकारी नोहर के यहां इनके वारिसों ने, श्री देवकृष्ण कुमार पुत्र गंगाबिशन जाति मोची निवासी नोहर ने रोही मौजा चक राजासर की उक्त भूमि के संबंध में राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत पैतृक सम्पति में अपने हक की घोषणा करने के लिये उपखण्ड कार्यालय में वाद दायर किया गया। वादी के वाद को न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 582/2023 अनवानी देवकृष्ण पुत्र गंगाबिशन दर्ज किया जाकर न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाकर वादी का वाद दिनांक 28.12.2023 डिक्री कर दिया तथा निर्णय की पालना में पर्ची डिक्री जारी की गई। वादी के द्वारा ईजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार ईजराय आदेश जारी किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार नोहर ने पर्ची डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया।

इसमें तृतीय पक्षकार, अमरसिह बुधराम के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय के खिलाफ दिनांक 28.12.2023 के राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रथम अपील 33/2024 अनवानी अमरसिह बनाम देवकृष्ण आदि प्रस्तुत की गई। जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.06.2024 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई।

इसके बाद, तृतीय पक्षकार बुधराम आदि ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 24.06.2024 के विरुद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में द्वितीय अपील 4351/2024 अनवानी बुधराम बनाम देवकृष्ण कुमार प्रस्तुत की गई जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 05.07.2024 को भी अपील खारिज कर दी गई।

तत्पश्चात परिवादी बुधराम जी द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का सोनडी से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने उक्त कृषि भूमि अकृषि उपयोग में ली जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तहसीलदार नोहर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत एवं अन्य प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में प्रस्तुत किया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा उक्त वाद/प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट बाद सुनवाई उभयपक्ष साबित नहीं होने के कारण दिनांक 16.05.2024 को खारिज किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 16.05.2024 के विरुद्ध पेरोकार राज के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें तारीख पेशी दिनांक 12 अगस्त 2024 नियत है।

VPS-RTM-01.08.2024-13.10-1o

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि जिस तरह से अधिकारियों ने गोलमोल जवाब मंत्री महोदय को पढ़वाया है पर मौके की स्थिति के अनुसार आज वहां पर दो सौ, तीन सौ घरों की आबादी बसी हुई है, उन तमाम के राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर कार्ड बने हुए हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन उनके किये हुए हैं, सड़कें उनकी बनी हुई हैं, नगरपालिका की पेरिफेरी यह जमीन आयी हुई है, किसी भी तरह की वहां पर कृषि भूमि मौजूद नहीं है। माननीय, इसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है और अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि विधान सभा में बोलने से क्या कार्यवाही होगी? उन्होंने तो विधान सभा को भी चैलेंज कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में वहां पर कृषि भूमि मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी उस तहसीलदार ने यह रिपोर्ट की। पटवारी ने रिपोर्ट की, गिरदावर ने रिपोर्ट की कि वहां पर यह आबादी बसी हुई है, उसके बाद अधिकारियों ने इसमें यह जो नाम दर्ज किया है, यह बिलकुल नियमों के विरुद्ध है और मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जिस तरह से यह सरकार कहती है कि हम गरीबी को हटाना चाहते हैं लेकिन आपके अधिकारियों द्वारा वहां पर गरीबों को हटाया जा रहा है। इसलिए, मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बसी हुई आबादी है, जहां बिजली, पानी के कनेक्शन हो गये, राशन कार्ड हो गये, वोटर कार्ड हो गये, क्या उसकी खातेदारी दी जा सकती है? अगर नियम विरुद्ध यह दी गयी है तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपके तहसीलदार ने, जिन्होंने दावा किया, आपके तहसीलदार ने, यह आर.ए.ए. में गये हैं, लेकिन सबको नकार दिया, क्योंकि बड़ा खेल वहां पर भ्रष्टाचार का हुआ है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इससे स्वायत्त शासन मंत्री को भी अवगत करवाया था कि आप इसकी 177 की कार्यवाही करते हुए जो वहां पर बसावट है, उन आवासियों को सुओमोटो कार्यवाही करके उनको लाभ देना चाहते हैं या नहीं चाहते? कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं चाहते? यह आप मुझे बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप कुछ कहेंगे?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): बिलकुल हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाकर उभय पक्षों से जवाब, साक्ष्य, सबूत लिये जाने के उपरांत ही निर्णय पारित किया जा सकता है। चूंकि, प्रकरण में वाद भूमि के सम्बन्ध में कई पट्टे, इकरारनामों का भी उल्लेख किया गया है अतः अग्रिम कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के निर्णय उपरांत ही सम्भव हो सकती है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह न्यायालय विधान सभा से बड़ा नहीं है। जो आर.ए.ए., नहीं-नहीं, सर। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया। अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जो न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है, उस पर यहां पर डिस्कस नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

श्री अमित चाचाण (नोहर): सर, मैं यह पूछ रहा हूं कि आप कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो बतायें मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर प्रियंका चौधरी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): यह सरकारी जमीन नहीं है, यह खातेदारी की जमीन है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, माननीय मंत्रीजी। आप बैठिये। इसमें न्यायिक प्रक्रिया लिखा है, न्यायिक प्रक्रिया के आगे कुछ भी नहीं है। नो। आप बोलिये। आप ध्यान आकर्षित कीजिए। ...(व्यवधान)...

बाड़मेर जिला मुख्यालय में बरसाती पानी की निकासी हेतु
वाटर ड्रेनेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अंतर्गत बाड़मेर जिला मुख्यालय में बरसाती पानी की निकासी हेतु वाटर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत कराने के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है, आप परमिशन देंगे तो?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, उसके अनुसार उन तथ्यों से यह पता लगता है कि यह न्यायालय में लम्बे समय से विवाद चल रहा है और जब ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह तर्क का विषय थोड़े ही है, आप सुनिये। नहीं।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप मेरे को लिखकर दीजिए। मेरे को लिखकर दे दो, मैं कार्यवाही करूंगा। मंत्रीजी, कोई विशेष बात है क्या? माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, इस विषय पर तो हो गया। अगला।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): व्यवस्था का निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ऐसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर नहीं लग सकते जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इनको यह पता नहीं है कि ...(व्यवधान)...

श्री अमित चाचाण (नोहर): विधान सभा से बड़ा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: है। न्यायालय बड़ा है। न्यायालय में लम्बित है, उसकी यहां पर चर्चा नहीं हो सकती। नो। अंकित नहीं होगा।

श्री अमित चाचाण (नोहर): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनको यह पता नहीं है, यह नियम को नहीं पढ़ते हैं और जो नियम को नहीं पढ़ते हैं वे ऐसे ही तर्क करते हैं।

श्री अध्यक्ष: न्यायालय से विधान सभा कहां पर बड़ा है, कहां छोटा है, पर न्यायालय में यदि विचाराधीन है तो उसकी विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती, यह नियम है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): उसका कोई ध्यानाकर्षण नहीं लगता है। मेरा आपके सचिवालय से भी यह रिक्वेस्ट है कि जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो इसका डिस्कशन भी हाउस में नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया। कह दिया, हां। माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदया और सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि 16वीं विधान सभा के द्वितीय सत्र में विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम- 131 के तहत श्रीमती प्रियंका चौधरी, माननीय विधायक, राजस्थान विधान सभा द्वारा बाड़मेर जिला मुख्यालय में बरसाती पानी की निकासी हेतु वाटर ड्रेनेज को मजबूत कराने से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, जिसके संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि बाड़मेर शहर में गांधीनगर, शास्त्री नगर, जटियों का नया बास, जाटावास, ढाणी बाजार, पीपली चौक एवं आधा पुराना शहर का पानी चामुण्डा चौराहे से होते हुए सिणधरी चौराहे से कुडला जाता है। इसी प्रकार पुरानी सब्जी मण्डी, सरदारपुरा, राय कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, इन्द्रा कॉलोनी, इन्द्रा नगर, महावीर नगर एवं आधे पुराने शहर का पानी सर्किट हाउस से जोधपुर रोड होता हुआ लालणियों की ढाणी से कुडला जाता है। इस बरसाती पानी की निकासी हेतु सिणधरी चौराहे से कुडला तक नाला निर्माण किया गया है तथा आस पास के निचले क्षेत्र (बलदेव नगर, विष्णु कॉलोनी के आस-पास का क्षेत्र) को मुख्य नाले से जोडा गया है, जिससे बरसाती पानी की निकासी लगभग 3 से 5 घंटे में हो जाती है। बाडमेर शहर की शिवकर रोड

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है तथा सेंटपॉल स्कूल से शिवकर रोड तक के इस क्षेत्र में भरने वाले पानी के निकास के लिए नाले का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जायेगा। चूंकि, बाड़मेर में सीवरेज आरयूआईडीपी फेज चतुर्थ में 94 करोड़ रुपये की लागत से 72 किलोमीटर का कार्य नगर परिषद क्षेत्र में प्रगतिरत है। साथ ही, मैं माननीय विधायक महोदया को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि नगर परिषद, बाड़मेर की आर्थिक स्थिति माइनस में चल रही है, देनदारियां ज्यादा हैं फिर भी मैंने उनसे चर्चा करके एक रास्ता निकाला है जिसमें परिषद की महाराणा प्रताप नगर योजना में कुल 26 प्लाटों की नीलामी ई-नीलामी द्वारा की जा रही है, जिसमें नीलामी सफल होने के पश्चात नियमानुसार आने वाले चार-छह महीने में चार से पांच करोड़ की आय प्राप्त होने की संभावना है। हमने बाड़मेर नगर परिषद को यह निर्देशित किया है कि इस कॉलोनी के विकास के बाद शेष बची राशि या राज्य सरकार से जो भी राशि मिले, उससे सबसे पहले इस पानी की निकासी के कार्य को प्राथमिकता के साथ करवाया जायेगा।

साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वस्तुतः वर्तमान में बाडमेर शहर की सीमा का विस्तार हो चुका है, ऐसी स्थिति में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने नगर परिषद को निर्देशित किया है कि वह विस्तृत डी.पी.आर. तैयार करवाये और डी.पी.आर. तैयार करवाकर विभाग को भिजवाये ताकि आने वाले समय में जैसे ही बजट उपलब्ध हो, डी.पी.आर. की स्वीकृति के बाद प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को करवाया जा सके और इस समस्या का स्थाई रूप से समाधान किया जा सके।

साथ ही, उनकी एक आशंका और थी तो मैं माननीय विधायक महोदया और सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि अगर बहाव क्षेत्र में कोई स्थाई, अस्थाई या पक्का अवैध निर्माण या अतिक्रमण, फिलहाल तो नगर परिषद का मानना है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको यह निर्देशित किया है कि आबादी क्षेत्र में पहाड़ से पानी बहकर आता है, जो आबादी क्षेत्र में निर्मित नालियों से बहकर निकल जाता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं उस रास्ते में रुकावट हो तो उसकी पुनः जांच करें और जांच करने के बाद यदि बहाव क्षेत्र में कोई रुकावट अवैध निर्माण से आयी हो तो उसे नियमानुसार हटाने की कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: आपको कुछ कहना है?

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी क्योंकि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं पूछना है, आपको नहीं कहना है।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी क्योंकि मेरे बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र की यह बहुत ही बड़ी समस्या है और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मंत्रीजी के निर्णय से मेरे बाड़मेर की जो जनता है, उनको जरूर लाभ मिलेगा लेकिन जो उत्तर आया, मैं आपका ध्यान उस पर जरूर आकर्षित करना चाहूंगी कि इसमें यह जवाब दिया गया है कि शहर के कुछ हिस्से, गांधीनगर, शास्त्रीनगर और जो

कॉलोनियां हैं, उनका पानी चामुण्डा चौराहे से होते हुए सिणधरी चौराहे से कुडला जाता है। यह अधिकारियों ने जो जवाब दिये हैं, यह सारे जवाब मंत्रीजी, बिलकुल गलत हैं।

SSY/RTM/01.08.2024/13:20/1p

क्योंकि आज ही के अखबारों की हैड लाइन देखेंगे तो जिन कॉलोनियों को जोड़ने की बात नगर परिषद ने अपने जवाब में दी है, वह कॉलोनियां जलमग्न हैं। चामुण्डा चौराहे से सिणधरी चौराहे तक, पहली बात, नगर परिषद का कोई नाला ही नहीं है। जो नाला है, वह हाईवे वालों ने बनाया हुआ है इसलिए नगर परिषद उसकी कोई देखभाल नहीं करती। वहीं कृषि मंडी है। जब बारिश का मौसम होता है तो वहां 3-3 फीट पानी भर जाता है। वहां ना तो किसान अन्दर जा पाता है, ना मजदूर, ना दुकानदार, ना व्यापारी, और आवागमन का रास्ता भी बंद हो जाता है। पहली बात तो यही है कि इसका जवाब गलत है।

दूसरी बात है कि जो लालानियों की ढाणी से लेकर कुरला तक नाले की बात की है, लालानियों की ढाणी के बाद कोई नाला बना हुआ ही नहीं है, जो कुरला तक पानी ले जाता हो। वहीं पर कॉलोनियों के अन्दर गंदा पानी जाता है। बाड़मेर शहर की इतनी विकट स्थिति है कि मुख्य कार्यालय, यहां तक कि कलेक्ट्रेट, कलेक्टर का आवास, एसपी का आवास, आपकी कृषि मंडी, जिला अस्पताल, बस स्टैंड सारे जलमग्न हो जाते हैं। कहीं से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती।

इसमें सीवरेज की बात की है, 97 करोड़ सीवरेज का कार्य, सीवरेज सिस्टम कहां है? जो काम हुआ है वह भी आधा-अधूरा है। प्रोपर कनेक्शन ही नहीं हुए। 11 वार्ड अभी भी वंचित हैं। यह जो नगर परिषद काम कर रही है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि पिछली बार हमारे जो नगर से लगे हुए क्षेत्र हैं, जिनका अभी सीमा विस्तार होना बाकी है, वहां खाली प्लाट थे, चूंकि वहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो खाली प्लाटों में पानी भर गया। एसडीओ ने आदेश निकाला कि अगर आपने इसमें मिट्टी नहीं डलवायी तो आपका यह प्लाट खारिज कर दिया जायेगा। कई लोग जो गरीब थे, उनको अपना प्लाट बेचना पडा।

श्री अध्यक्ष: हो गया, ध्यानाकर्षित हो गया।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): मेरी आपसे विनती है कि यह जो नगर परिषद के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, यह गलत जवाब दे रहे हैं, इनकी जांच करवायें और अपनी निगरानी में डीपीआर बनवायें। अपनी निगरानी में पूरा प्लान बनवायें, ताकि बाड़मेर की जनता को सच में, इस ड्रेनेज सिस्टम में सुधार हो सके और राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर किसी भी अधिकारी ने गलत जवाब दिया है तो उसकी जांच करवाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। चूंकि बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, अभी वहां पली-बढ़ी हैं, मैंने

सिर्फ 2 बार बाड़मेर देखा है, तो जैसे ही बरसात होती है पानी भराव हो जाता है। पानी निकलने के रास्ते कम हैं।

मैं नगर परिषद को निर्देशित करुंगा कि बरसात के मौसम में जब तक स्थाई निकासी की व्यवस्था नहीं हो, तब तक अस्थायी रूप से मड पंप से या किसी दूसरे माध्यम से समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करेंगे। भविष्य के स्थाई समाधान के लिए जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, मैंने डीपीआर के लिए निर्देशित कर दिया है। डीपीआर बनने के बाद फिर एक बार मैं बाड़मेर के जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करने के बाद डीपीआर को फाइनल करके उस काम को आगे बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। चलिये। याचिकाओं का उपस्थापन।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो आप मड पंप की बात कर रहे हैं...।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल। बैठिये, हो गया। इतना आश्वासन दे दिया, आपके साथ बैठेंगे।

याचिका

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 2 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बिलाड़ा में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय की स्थापना

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (A.C.T.O.) कार्यालय की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में एवं

बिलाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: श्री विनोद कुमार।

रावतसर-पीलीबंगा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार रावतसर-पीलीबंगा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रियंका चौधरी।

असाड़ा की बेरी राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत जसाई, ब्लाक बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व ग्राम असाड़ा की बेरी, ग्राम पंचायत जसाई, ब्लाक बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार। मैंने दोनों सचेतकों, वह बाद में

करेंगे। विधेयक बाद में लेंगे। वैसे दोनों कॉरिलेटेड विषय हैं। इसलिए मेरा यह है कि जो इसमें बोल लें वह उसमें ना बोलें। दोनों समान हैं। पहले विधेयक लें, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं विधेयक पर। बोलने की अनुमति या तो नहीं दें। चलो, श्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब सभी सदस्य, चूंकि इसमें लंबी-चौड़ी 30-40 की सूची है। इसलिए सलेक्टेड कोई लोग बोलें। 5 लोग ही कोई बोलें और वह 2-2 मिनट ही बोलें। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में तो नहीं बोल पायेंगे क्योंकि बिल पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलना है तो इतना ही समय है आज। बिल है मुझे पता है। आज हमको 5 बजे तक खत्म करना है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 5 बजे तक खत्म करना है तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास 40 लोगों की सूची है। आप 2 मिनट में करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कल्पना जी बोल रही हैं कि मेरा समय भी ले लो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर चर्चा हो रही है। मैं, सबसे पहले तो सरकार का आभार व्यक्त करुंगी, धन्यवाद दूंगी कि बहुत लंबे समय बाद, बहुत देरी से यह बिल यहां पर आया है।

भू-जल का संरक्षण और प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। पानी नहीं तो पीओगे क्या? बिना पानी जीओगे क्या? जल है तो कल है। बचाओ जल तो बचेगा कल। एक पंक्ति है, रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून। पानी गये ना उबरे मोती, मानस, चून। पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हैं, वह जल स्रोत कैसे सूख रहे हैं वह हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उन पर अतिक्रमण हो गये हैं। लोगों ने उन बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमण करके उनको अपने अधिकार में ले लिया है। ना केवल अधिकार में ले लिया है बल्कि पानी का स्रोत ही खत्म कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, बिल की जो धारा 13 है, उसमें प्राधिकरण की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य का उल्लेख करती है। इस धारा में राजस्थान भू-जल प्राधिकरण जो है, वह विद्यमान भू-जल निकासी संरचनाओं का प्रचलन और उनके नियमितीकरण की शर्तें रखने के लिए बाध्य करता है। भू-जल के उपयोग पर निर्बंध करता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर औद्योगिक प्रचलनों और प्रक्रियाओं सहित भू-जल उपभोक्ताओं, भू-जल का उपयोग नहीं करेंगे या कतिपय शर्तों और रक्षा उपायों के अध्याधीन रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा की उप धारा 6 है, उसमें उल्लेख किया गया है कि ऊर्जा के साधनों के माध्यम से भू-जल निकासी करने वाले उपभोक्ताओं को प्राधिकरण या दी गई कालावधि के भीतर प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किसी अन्य निकाय के साथ निकासी संरचना को रजिस्टर्ड करना, इसका मतलब सीधा-सीधा है कि बिजली के द्वारा, ऊर्जा के साधनों के माध्यम से लिखा है, तो मैं, सीधा-सीधा यह समझती हूं कि बिजली से भू-जल निकासी जो उपभोक्ता करेंगे, उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि कितने लोग बिजली से भू-जल की निकासी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक शंका है, माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रकट करना चाहूंगी कि कृषि कार्य में भी बहुत सारे कृषक भू-जल की बिजली के माध्यम से ही निकासी करते हैं। तो क्या पूरे प्रदेश भर के कृषकों को भी उसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा? मेरी यह शंका है। इसके लिए आप समाधान करें, जब आप बोलें तब।

इसके अतिरिक्त जो धारा 14 है, उसमें उल्लिखित किया गया है कि अनुज्ञाएं लेने के लिए एक समय सीमा से कम से कम एक वर्ष निर्धारित क्योंकि पहली बार यह बिल आया है, जिनकी पूर्व में संरचनाएं बनी हुई हैं, जिन्होंने बोरवेल खुदवा रखे हैं, उनको भी अनुज्ञाएं लेनी पड़ेंगी क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है। तो एकदम बाढ़ सी जैसी आ जायेगी। मेरा निवेदन है, मेरा इसमें सुझाव है कि आप इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करें और वह समय सीमा कम से कम एक वर्ष की हो।

इसके अतिरिक्त जांच अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान आपने सैक्शन 17 में किया है। आपने सैक्शन 19 में, अप्राधिकृत कार्य के लिए भू-जल की गुणवत्ता को विभोहित और निम्नीकृत या दूषित करता है या भू-जल की गुणवत्ता में निम्नीकरण करने के क्रम में अपहानि करता है या अपहानि कराता है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्षः श्रीमती कल्पना देवी। (अनुपस्थित) श्री अर्जुन लाल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्योंकि जो भू-जल है, उस भू-जल को प्रदूषित तो फैक्ट्रियां भी करती हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

Spp/Rtm/01.08.2024/13:30/1q

श्री अध्यक्षः श्री अर्जुनलाल। ..(व्यवधान)..

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000 ..(व्यवधान)..

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, 2024 माननीय मंत्री महोदय द्वारा रखा गया था। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः चार मिनट दे दिये। ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य, आप बोलिये नहीं तो आपके आगे का नम्बर बोल रहा हूं। ..(व्यवधान).. आप बोलो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप बोलो न।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर ..(व्यवधान)..

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अध्यक्षः अब अंकित ही नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)..

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000 ..(व्यवधान)..

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): कृषि विभाग के लिये इसमें सिंचाई के लिये ..(व्यवधान).. आपका नोट नहीं हो रहा है, आप बैठिये न। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आपका अब अंकित नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान).. आप बोलिये, नहीं बोलेंगे। ..(व्यवधान).. श्री छगन सिंह राजपुरोहित। ..(व्यवधान).. आप बैठिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप नहीं बोल रहे तो मैं क्या करूं? ..(व्यवधान)..

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अब यह बीच में ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः बीच में, यह तो सब चलेगा ..(व्यवधान).. यह तो हल्ला मचता है तब भी बोलते हैं ..(व्यवधान).. आप बैठिये। श्री छगनसिंह राजपुरोहित। ..(व्यवधान)..

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अध्यक्षः छगनसिंह जी, बोलिये। दो-दो मिनट। ..(व्यवधान)..आप बैठिये, हो गया। नो। ..(व्यवधान).. अब हो गया, बैठिये। आप बोलिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजनलाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रभारी मंत्रीजी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बिल लेकर आये हैं। राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, 2024..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप उस पर बोल लेना। पानी पर जब चर्चा हो, उस पर बोल लेना। समय ही इतना है। सबको आवश्यक नहीं है, बैठिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): जिस प्रकार से राजस्थान सरकार का बजट आया उसमें सर्वजन हिताय और विकसित राजस्थान 2047 की कल्पना को लेकर जो 10 संकल्प लिये थे, उसमें पेयजल के लिये व्यवस्था करने के लिये जो एक ठोस कदम उठाने के लिये यह बिल लाया गया है, मैं पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का और प्रभारी मंत्रीजी का स्वागत और अभिनन्दन करना चाहूंगा। जैसा इस बिल के उददेश्य को पढ़ा कि राजस्थान में पेयजल की और पानी की कमी है और इस कमी को लेकर ऐसे बिल को लाना आवश्यक था और उसमें भूजल, जो ग्राउंड वाटर है, उसके लिये यह बिल लेकर आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो-तीन प्रावधान, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने अध्यक्ष के लिये मुख्य सचिव स्तर के या प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन के स्तर के लिये, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में या तो 65 साल या 3 वर्ष का कार्यकाल, इसमें 65 वर्ष की जगह 70 वर्ष करें तो उनके समकक्ष आने वाले अधिकारी होंगे, तो किसी और को भी मौका मिलेगा, नहीं तो एक साथ में जो रिटायर होते हैं, और कोई अच्छे अधिकारी होते हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा। इसलिये इसमें यह प्रावधान थोड़ा-सा करना चाहिये। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिस प्रकार से आज ग्राउंड वाटर की चर्चा हो रही है, हमारे पूर्वज, क्योंकि आज जहां पर ग्राउंड वाटर था, वहां पर नदियों के किनारे बसते थे, और नदियों के किनारे बसने का मतलब वहां पर ग्राउंड वाटर था, कुएं खोदते थे तो कुओं में से पानी निकलता था। लेकिन कालान्तर में जगह-जगह पर डैम बन गये और डैम बनने के कारण जहां पर प्राकृतिक बहाव था, वहां का भूजल स्तर पूरी तरह से नीचे आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस बिल को लेकर यहां पर आये हैं, हमें इसमें यह प्रावधान करना चाहिये कि जितने भी बांध और डैम बने हैं, इसके प्राकृतिक बहाव में आने वाले जो गांव हैं, उनके नीचे नदियां बहती हैं, उनका संरक्षण करते हुये उस डैम में 15-20 प्रतिशत पानी छोड़ने की एक व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिये। ..(व्यवधान).. (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर तो थोड़ा बोलने दीजिये। ऐसा गंभीर बिल आया है।

श्री अध्यक्ष: 25 लोग हैं। बोलने वाले 25 लोग हैं अभी।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): 25 लोग हैं, पर यही तो हमारी शक्ति है। विधायिका ही ऐसी शक्ति है और इस पर भी अगर आप बोलने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट दे दिये। श्री केसाराम जी। ..(व्यवधान)..

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): यही तो हमारा अधिकार है और अधिकार को भी आप ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-जल

(संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, 2024 लाया गया है। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि सरकार ने यह चिन्ता की है कि 16 ब्लॉक ब्लैक जोन में आ चुके हैं और उन ब्लैक जोनों को सुरक्षित रखने के लिये यह जो बिल लाया गया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। किन्तु हमें थोड़ा संशय इस बात से लगता है कि उददेश्य में हमें, विभिन्न सेक्टरों अर्थात् कृषि, औद्योगिक, घरेलू, वाणिज्यिक इत्यादि के बीच जल के लिये प्रतियोगी मांगें हैं। मतलब भूजल की जो निकासी करते हैं उनमें कृषि का नाम भी लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको इस प्राधिकरण के अधीन कृषि को भी ला दिया तो निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा और किसान इस बात को सहन भी नहीं कर पायेगा। क्या वह कुआ खोद पायेगा या नहीं खोद पायेगा। एक प्राधिकरण जो आपने बनाया है, उसमें 15 अधिकारियों की फौज लगायी है। क्या समिति बनाकर इस काम को नहीं चलाया जा सकता? उन 15 सदस्यों में दो सदस्य गैर-राजस्थान राज्य में भू-प्रबन्धन पर दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को लिया है। क्या इसमें जन-प्रतिनिधियों को या और किसी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता था? जन प्रतिनिधि रखने से यह होगा कि वह जनता की बात भी रख सके। केवल सरकारी अधिकारी सरकार के पक्ष की बात करेंगे और उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिये जन-प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करना चाहिये था। इस प्राधिकरण में जो दो सदस्य लिये गये हैं उनके स्थान पर दो सदस्य जन-प्रतिनिधियों के भी रखे जायें। मैं मांग करता हूं और इनकी तनख्वाह, उनसे जो जुर्माना लेंगे, उस जुर्माने से उनकी तनख्वाह और भत्ते दिये जायेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं...(व्यवधान)..

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप तो इसको जनमत जानने के लिये कह दो। जनमत जानने के लिये भेज दो। ..(व्यवधान)..

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हमारा जो संशय है, वह केवल कृषि के लिये है। कृषि को इस बिल से अलग रखा जाये। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: श्री लादु लाल पितलिया। (अनुपस्थित) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह जो मिनट का अमूल्य समय मुझे भूजल पर बोलने के लिये दिया है, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। राजस्थान के अन्दर आज जो भूजल की स्थिति है, वह अत्यन्त चिन्ताजनक है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2023 में राजस्थान में करीब 16.74 अरब घन मीटर भूजल की निकासी की गयी थी, जबकि भूजल के पुनर्भरण की मात्रा केवल 11.54 अरब घन मीटर ही थी। प्रत्येक डेढ़ लीटर भूजल के सामने भूजल पुनर्भरण सिर्फ एक लीटर है। मतलब हमारी जो स्थिति है, जिस तरीके से भूजल का उपयोग हो रहा है, करीबन 150 प्रतिशत ज्यादा दर पर भूजल निकलता जा रहा है और अभी राजस्थान में करीबन 300 उपखण्डों में मात्र 38 खण्ड ऐसे हैं जहां पर भूजल सुरक्षित हैं। मैं जिस विधान

सभा क्षेत्र से आती हूं, क्योंकि दो मिनट का समय है। इसलिये बोलने के लिये तो इस विधेयक पर बहुत सारी बातें थीं, लेकिन जैसा केसाराम जी ने बताया, मैं उनकी बात का समर्थन देते हुए कहूंगी कि इसमें जन प्रतिनिधि भी अगर इस टीम का पार्ट हों तो वह, एक्चुअल आपकी क्या समस्या है, वे बता सकते हैं। जैसे राजसमंद के अन्दर अभी बाघेरी का नाका की वजह से हमें पानी मिलता है लेकिन केलवा की अगर मैं बात करूं मेरी एक बहुत बड़ी पंचायत है, जब बाघेरी नाका चालू हुआ था और भूजल में संरक्षण हुआ था और पानी की सप्लाई हुई थी, उस समय जिस तरीके से वहां पर पापुलेशन थी और आज जो पापुलेशन है, उसमें बड़ा फर्क आ गया है। उस समय 11 हजार थी और अब 30 हजार लोग केलवा में रहते हैं जिसकी वजह से आये दिन यह प्रॉब्लम आती है कि पानी कम पड़ रहा है और पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी जगह पर हम भूजल को किस तरीके से और संरक्षित कर सकते हैं। पंचायत में हम किस तरीके से वहां पर पुनर्भरण कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, भूजल के अन्दर हम बात करते हैं, क्योंकि जो मेरा क्षेत्र है वहां पर मार्बल होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वह बहुत कम है, तो हमारे यहां पर एक बहुत अच्छी सुविधा राणा राजसिंह के द्वारा बनायी गयी थी, जिसमें प्राचीन बहुत सारे छोटे तालाब, बहुत सारे जलाशय हैं, जिनका अगर हम संरक्षण करें, जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे यहां पर पानी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जैसाकि बोला गया कि पी एच ई डी के साथ अगर हम एनीकट्स बनाने पर भी ध्यान दें, हम अलग अलग जगह पर जहां पर डेम्स बन गये, उसके पास के क्षेत्रों में हम अगर अलग अलग एनीकट बनायें तो उन एनीकट से भूजल की समस्या बहुत कम हो सकती है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे पता है दो मिनट है और बोलने के लिये इतने पाइंट्स हैं। ..(व्यवधान)..

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जनमत जानने के लिये कह दो।

(समय बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जनमत के लिये बिलकुल भी नहीं कहने वाली हूं। मैं आपकी सराहना करना चाहती हूं कि इतनी महत्वपूर्ण समस्या पर आप एक पर्टीकूलर विधेयक लाये हो और आपने जिस तरह से सीरियसनैस बतायी है कि भूजल समस्या का समाधान होना चाहिये, उसका मैं स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि आप इस विधेयक को लेकर आये हैं। मुझे यकीन है कि बहुत सारे सुझाव सबके हैं। मैं आपको एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि इसमें जन प्रतिनिधियों का भी कहीं न कहीं हिस्सा होना चाहिये, क्योंकि अपनी समस्या वह जितनी अच्छी तरीके से बता सकते हैं, उतने अधिकारी नहीं बता पायेंगे। अधिकारी सिर्फ आपको भ्रमित करेंगे। इसलिये मैं आपसे यही निवेदन करूंगी। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। जनमत

जानने के लिये जो मैंने प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेती हूं और आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं।

Jyg/rtm/01.08.24/13.40/2a

श्री सभापतिः श्री कंवरलाल।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर बोलने के लिए मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

विधेयक का खण्ड 3, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण की स्थापना और कार्य के लिए उपगत किया जाने वाला आवर्ती और अनावर्ती व्यय, प्रथम वर्ष के लिए, प्रारंभिक रूप से क्रमशः 196.26 लाख रुपये आपने इसके लिए किए है। अच्छी राशि है और आपने यह जो प्राधिकरण बनाया है, उसके लिए केसारामजी ने बोला है कि हम जन प्रतिनिधियों के माध्यम से यहबिल पास कराया जा रहा है और इसमें जन प्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं रखा गया है। मैं केसारामजी का समर्थन करते हुए चेयरपर्सन या दो सदस्य जन प्रतिनिधि इसमें होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में पानी की कमी है। प्रत्येक जीव-जन्तु प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता, हमारा इलेक्टोराइट जो बैलेंस है शरीर का, पानी के बिना मेंटेन नहीं होता है, प्रत्येक जीव का नहीं होता है। राजस्थान में पानी की कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अंता में गांव की संरचना है, जो बनावट है उसको देखते हुए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में तालाब बना हुआ है, पंचायत में तालाब बना हुआ है। उस तालाब को इसी रचना में शामिल करके उसी में से मिट्टी खोदने का काम किया जाए। उसकी अनुमति दी जाए। उसमें शुल्क लिया जाए। उस मिट्टी को रोड बनाने में काम में लें, उस मिट्टी को मकान में भरती करने में भी काम लें, इससे हमारी आय भी होगी और जो किसान ट्रैक्टर भरकर रेत ले जाता है वो अवैध खनन में भी नहीं आएगा और उसकी 27 हजार की रसीद भी नहीं काटी जाएगी। वो रोज-प्रतिदिन तालाब बनता जाएगा और पानी की भराव क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण की। पहले हमें पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, जमीन में समायोजित करना पड़ेगा, उसके बाद प्रबंधन की बात करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि गांवों में तालाब बनाओ, मैं कहता हूं कि पंचायत में तालाब बनाओ, मैं कहता हूं कि नगर पालिका में जगह तय की जाए तो वहां तालाब बनाओ, मैं कहता हूं कि जिले में भी जगह तय की जाए, मकान बनाने में भरती के रूप में हजारों ट्रोला मिट्टी की लगती है, तो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर आप इसमें नियम बनाकर इसमें जोड़ा जाए ताकि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो लोग ट्रैक्टर से व्यवसाय करते हैं वो मिट्टी खोदने का स्थान तय किया जाए, उसकी रसीद भी तय की जाए और वो अवैध खनन नहीं माना जाए, उसको वैध किया जाए। मैं कहता हूं कि अगर इसमें

समायोजन करेंगे तो हमारे किसानों को फायदा होगा और बिना डर के, बिना चोरी के मिट्टी को, मोरम को भरकर हमारे मकान बनाने में, हमारी बिल्डिंग बनाने के काम लेते हैं, जो सरकारी ठेका होता है, वो रोड बनाने वाला ठेकेदार भी जहां से मर्जी पड़े वहां से ही खोद लेता है, उपजाऊ जमीन को खोद कर उस रोड में भर देता है। इससे हमारे पौधों का भी नुकसान होता है और भराव क्षमता का भी कोई पता नहीं रहता है तो मेरा इसमें सुझाव है, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको समायोजित करके हमारे क्षेत्रवासियों को फायदा देने की आप कोशिश करेंगे।

श्री सभापतिः श्री मनोज कुमार सादुलपुर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं इस विधेयक की परिभाषा की धारा (च) में जो इन्होंने में अपने भू-जल के बारे में परिभाषा दी है, उसमें लिखा है, भूमि की सतह के नीचे विद्यमान, इसमें साथ ही साथ आपने जोड़ दिया, जलधाराओं और नदियों में झरनों और आधारभूत प्रवाहों के रूप में निकलता है, तो मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं अधिकारी इस भू-जल सतह के साथ-साथ कहीं हमारे झरनों को और जलधाराओं और नदियों के बहते हुए पानी पर भी कहीं न कहीं अपना नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आप गंभीरता से विचार करें, इसको आप देखें। साथ ही मैं इसके उद्देश्य के बारे में जो लिखा है, उसमें लिखा है, घरेलू जल, कृषि कनेक्शन, औद्योगिक और वाणिज्यिक, मैं निश्चित रूप से दो बात के लिए कहना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य जिस तरीके से है, उसमें आप कृषि और घरेलू को इसके बाहर करने का प्रयास करो क्योंकि एग्रीकल्चर को ही आप इसमें शामिल कर देंगे तो किसान के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय और जुल्म कोई हो नहीं सकता। इसमें आपने साथ ही साथ धारा-रूल 16(2) में लिखा है, टैरिफ अवधारित किया जाएगा। मैं कहता हूं कि घरेलू और कृषि को आपकी दरें लागू न की जाएं, टैरिफ में शामिल नहीं किया जाए। इसके साथ-साथ आपके इस कानून में धारा 8 की उप धारा 2, आपके टोटल 15 सदस्य आप इस प्राधिकरण में शामिल कर रहे हैं। इन 15 में धारा में आपने लिखा है, एक तिहाई सदस्य, अगर कोरम पूरा हो जाएगा, 15 में से मात्र 5 सदस्यों से आप कोरम पूरा करना चाहते हो और कोरम के बाद धारा 4 में लिखा है कि उनके बहुमत से इसको मान लिया जाएगा तो 5 में से 3 का बहुमत? 3 व्यक्तियों को ही आप इस बोर्ड में शक्ति देना चाह रहे हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके जो मुख्य अध्यक्ष लगेंगे, उसके अलावा किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रहेगी, वो ही 2 आदमियों को बुलाकर इस कोरम को पूरा कर देंगे, बहुमत को साबित करके इसको पास करके जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा मैं इसमें धारा 22 की उप धारा 2 में आपने दंडात्मक प्रावधान किया है पहले दंड अपराध करने पर आपने 50 हजार रुपये का जुर्माना, दूसरे दंड पर आपने 6 मास का कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की आपने बात की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालयों पर बहुत बड़ा भार मुकदमों का पहले से है। इससे 6 मास के कारावास से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन आपका, जनता का और हम सबका, इस न्यायालय की प्रक्रिया में घुसने से बेहतर है कि आप इसको सिर्फ 1 लाख रुपये जुर्माना रखें, 6 मास के कारावास के प्रावधान को, इस प्रावधान में से हटाने का काम करें। यह जो बिल आप आज लेकर आए हैं, यह राजस्थान की जनता को बांधने का बिल है। जिस तरीके से आप लोगों ने आज तक इस राजस्थान को जब-जब भी किसी निकम्मे प्राधिकरण में सौंपने का काम किया है, उस सार्वजनिक हित के मुद्दे को आपने बंटाढार करने का काम किया। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, आरएसआरडीसी, आरटीडीसी, आरएससी, ये चीज आपने बनाई, वो सब घाटे में चल रहे हैं। ले-देकर आपने निगम बिजली विभाग को बनाया, वो भी घाटे में चल रहा है और संसाधन की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो रही है। इसलिए ऐसे प्राधिकरण बनाकर सरकार अपने अधिकारियों को ताकत देना चाहती है, सरकार अपने अधिकारों को इन अधिकारियों को सौंपने का काम नहीं करे, बिल में आप जन प्रतिनिधियों को शामिल करो, 15 सदस्यों में से कम से कम 5 सदस्य जन प्रतिनिधि हों, आपने उन्हीं को पदेन सचिव, एक कुर्सी पर बैठा है, दूसरे को आपने इसमे शामिल कर दिया, तो इस मंडल को बनाकर आप क्या करना चाहते हो? वो ही अधिकारी हैं टोटल, 2 सदस्यों को छोड़कर पूरे में आपके पदेन अधिकारी हैं, इसलिए आप इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचारित करें।

श्री सभापतिः श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित)।

श्री हरिमोहन शर्मा (अनुपस्थित)।

डॉक्टर सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 जो आप यहां पेश किया गया है सदन में इसके बारे में पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इस बिल में संशोधन नहीं किया गया और जनमत जानने के लिए नहीं भेजा गया तो आज का दिन राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों ये लिखा जाएगा। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में करीब 17 राज्यों ने ये प्राधिकरण बना रखे हैं और आपने देखा होगा कि इनमें से 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां मंत्री चेयरमैन हैं इस अथोरिटी का। मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास महाराष्ट्र का बिल है, एक्ट है, इसमें बताना चाहूंगा, यह बहुत गम्भीर विषय है, इसमें मिनिस्टर ऑफ अरबन वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेशन एक्स-ऑफिस चेयरमैन है। बाकी के 5 मिनिस्टर जो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो को-चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, बाकी जो सेक्रेटरीज हैं वो उसके सदस्य हैं। पता नहीं क्यों इसको आप जल्दी में ला रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको पारित कराने के पहले इसको जनमत जानने के लिए भेजें और सारी स्टडी करवाएं, मैं समझता हूं कि आनन-फानन में इस बिल को लाया जा रहा

है। ये अधिकारी हमारे पॉलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल गवर्नेंस को कम कर रहे हैं, क्या कारण है कि चेयरमैन मंत्री नहीं हो सकता? क्या कारण है कि अरबन डवलपमेंट का मंत्री इसका मेम्बर नहीं हो सकता? क्या कारण है कि इस प्रस्तावित बिल में केवल अधिकारियों के अलावा, पूरे अधिकारी हैं माननीय सभापति महोदय, केवल दो सदस्य रखे हैं। जब आप रखते हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इसमें आप एक संशोधन कर लीजिए।

MLS/RTM/01.08.2024/13:50/2b

जो चेयरपर्सन होगा, वह जल विशेषज्ञ होगा। सभापति महोदय, अधिकारियों के बारे में कहा गया है कि जिस अधिकारी ने जल एक्सपर्ट के रूप में काम किया हो, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव हो, प्रिंसिपल सैक्रेटरी हो या सचिव हो, क्या कारण है मेरी समझ में नहीं आया, किसी भी एक्ट में नहीं है। किसी भी राज्य के एक्ट में यह प्रावधान नहीं है। सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम अपने आप ही इस सदन की गरिमा को गिराने पर तुले हुए हैं। आप सारे अधिकार उन लोगों को दे रहे हैं। एक प्रोफेसर अमित बिस्वास हैं, उन्होंने लिखा है, ये जो आईएएस आते हैं, मैं आईएएस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो अधिकारी आता है, विभाग में आकर ही सीखता है और सीखकर इसे एग्जीक्यूट करता है और एक्सपर्ट हो जाता है।

जब मंत्री कोई पांच साल तक रह लेता है, तो क्या वह एक्सपर्ट नहीं हो सकता जल संसाधन का? दोबारा भी जल संसाधन का मंत्री बन सकता है। मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसे गम्भीरता से लें। इसके एक-एक शब्द को पढ़िये। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जल संसाधन लाइये, मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन इसकी प्लानिंग होनी चाहिये, डवलपमेंट होना चाहिये, संरक्षण होना चाहिये। दूसरी बात, बिल में कहीं सीवरेज का उल्लेख नहीं है। जब रिसाइक्लिंग की बात करते हैं, मैंने पूरा बिल पढ़ लिया, और ज्यादातर आपने देखा होगा, कैलिफोर्निया यूएसए का स्टेट है, रोजाना 37 करोड़ लीटर रिसाइकल करके, रिचार्ज करके वॉटर की सप्लाई करते हैं। सिंगापुर, जापान, इजराइल, इनकी स्टडी करें। इसमें कहीं भी सीवरेज के पानी को रिसाइकल करने का शब्द नहीं है, जबकि आज बात कर रहे हैं, वॉटर को रिचार्ज करें, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लाइये।

माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, बोलने को बहुत कुछ है और समय केवल दो मिनट हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यह बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यह राज्य के हितों की बात है, किसानों के हितों की बात है। माननीय सदस्य अनिता जी ने जो कहा था, मैं सहमत हूं, किसान रोएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। इस पर पुनर्विचार करके और इसे हो सके तो केवल एक माह के लिए जनमत के लिए भेजकर दोबारा इसे संशोधन करके

ले आइये।

श्री सभापति: श्री हाकम अली। श्री गोविन्द प्रसाद। ...(व्यवधान)... विराजिये, आप अपने स्थान पर नहीं थे जब आपका नाम पुकारा था। ...(व्यवधान)... विराजिये, विराजिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, भू-जल संरक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया द्वारा जल स्तर बढ़ाया जा सकता है- वर्षा जल संचयन के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। भूमिगत जल स्तर की निगरानी एवं अत्यधिक दोहन। तीसरा, जल पुनर्चक्रण, जिसमें घरेलू एवं औद्योगिक जल आता है। सतही जल स्रोत को सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य और सार्वजनिक जागरूकता। अभी भू-जल का बचाव कैसे किया जा सकता है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। धरातलीय संसाधनों का विनियमित दोहन, इष्टतम और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना।

जलभृत मानचित्रीकरण तथा जलभृत आधारित प्रबन्धन हेतु राज्य में नियोजित प्रकार से सम्पूर्ण भू-गर्भ जल प्रबन्धन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारम्भ करना। एकीकृत प्रकार से वृहद पैमाने पर भू-गर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रम को लागू करना तथा अत्यधिक दोहित/नाज़ुक प्रखण्डों को एक समयबद्ध प्रकार से सुरक्षित श्रेणी में लाना। सतही जल व भू-गर्भ जल के संयोजक प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करना। संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल प्रयोग की प्रभावी पद्धतियों का संवर्धन करना। भू-गर्भ जल प्रबन्धन के नियोजन एवं संरक्षण में नदी बेसिन/जल विभाजन दृष्टिकोण को वरीयता देना। सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दूषित भू-गर्भ जल क्षेत्रों को चिन्हित करना। समन्वित एवं एकीकृत प्रकार से सहभागी प्रबन्धन दृष्टिकोण के साथ सम्बन्धित विभाग द्वारा भू-जल संरक्षण तथा रिचार्ज कार्यक्रम लागू करना। भू-गर्भ जल प्रबन्धन हेतु प्रभावी विधिक संरचनाओं को प्राविधानित करना।

ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जिनसे भू-जल का बचाव हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा अटल भू-जल योजना का आरम्भ किया गया है। यह योजना देश के सात राज्यों में चिह्नित जल संकट क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग सम्बन्धी उपायों के आधार पर कार्य करती है। इस योजना में जल जीवन मिशन के लिए बेहतर स्रोत स्थिरता, किसान की आय दुगनी करने के सरकार के लक्ष्य में सकारात्मक योगदान और इष्टतम जल उपयोग की सुविधा के लिए समुदाय में व्यवहार परिवर्तन को शामिल करने की भी परिकल्पना की गयी है।

अटल भू-जल योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे, जिसमें से 3000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किये जाएंगे एवं 3000 करोड़ रुपये का योगदान भारत सरकार देगी। राज्य को सहायता अनुदान के रूप में इस योजना के अन्तर्गत राशि प्रदान की जायेगी। अटल भू-जल योजना का संचालन

हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 8353 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में किया जायेगा।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि भू-जल का स्तर डाउन होता जा रहा है। इसे ऊपर लाने के लिए हमारी सरकार ने अटल भू-जल योजना लागू की है। इसी उद्देश्य से इसके जो निर्माण घटक हैं, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण घटक, जो अटल भू-जल योजना स्कीम कॉम्पोनेंट के साथ-साथ इस घटक के अन्तर्गत सभी भाग लेने वाले राज्यों को स्थायी भू-जल प्रबन्धन करने में सक्षम बनाया जायेगा, जिसके लिए मजबूत डेटाबेस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग किया जायेगा। इस कम्पोनेंट के लिए सरकार द्वारा 1400 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

प्रोत्साहन घटक के अन्तर्गत भू-जल के स्तर को बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच चल रही विभिन्न योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी, मांग प्रबन्धन और अभिसरण पर जोर दिया जायेगा। इस घटक के संचालन के लिए सरकार द्वारा 4600 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। अटल भू-जल योजना के अन्तर्गत कई प्रकार की योजनाएं लागू की गयी हैं। धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कुछ बोल रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन था, जैसा अभी माननीय सदस्यों की चर्चा से ऐसा लगा है कि यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और आमजन से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां भी पशुधन है। उन सबसे जुड़ा हुआ विषय है। पेयजल और पानी, चाहे अंडरग्राउंड वॉटर हो, चाहे सरफेस वॉटर हो, हमारे लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

चूंकि हम 7 से 8 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, अत: जब हम पब्लिक में जाएं तो कोई हमें यह न कहे कि आप विधेयक तो लाये, जल्दी में लाये या ठीक नहीं लाये या इसमें और कुछ करना था। इसीलिए हम सब जाएं, हमारा उद्देश्य जो है, वह जल संरक्षण का है। बेसिक उद्देश्य ही जल संरक्षण का है। किसी को कोई दु:ख पहुंचाने या जल्दी में लाने का नहीं है। अत: हमारी सरकार की ओर से प्रस्ताव आ रहा है, उस पर आप सभी विचार कर लें, फिर आगे का विषय है, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मंशा से यह बिल लाया गया, उसके सारे क्लॉजेज स्वत: इस बात को सिद्ध करते हैं। न केवल प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि लाया गया है और ऐसा खतरनाक बिल लाया गया है कि प्रकृति प्रदत्त हमारे हवा, पानी जो हैं, उन पर भी जिस तरह का आप डर..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: इस पर चर्चा करने का जब आपका नम्बर आये, तब आप बोलना। अभी आपका नम्बर नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक है यह बिल।

श्री अध्यक्ष: हां बोलिये।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल राजस्थान के भविष्य के लिए लाया गया है। सबसे पहले तो माननीय सदस्यों ने जो सारी बातें कहीं, उनके आधार पर इसमें संशोधन भी करेंगे, बाकी इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह से आज प्रदेश में, मैं आपको एक छोटा-सा ब्रीफ बताऊंगा। आज हमारे देश और विशेषकर राजस्थान की क्या स्थिति हो गयी, राजस्थान प्रदेश देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है एवं देश के भू-भाग का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है।

देश की लगभग 5.67 प्रतिशत जनसंख्या यहां निवास करती है। देश की 13.88 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि एवं 11 प्रतिशत पशुधन भी इस प्रदेश में है। देश के मुकाबले प्रदेश में केवल 1.16 प्रतिशत ही सतही जल है और 1.72 प्रतिशत भू-जल संसाधन ही उपलब्ध हैं। राज्य में औसतन वार्षिक वर्षा 550 मिलीमीटर होती है। राजस्थान राज्य में वर्ष भर बहने वाली मात्र दो नदियां हैं- चम्बल और माही। शेष नदियां केवल वर्षाकाल में ही बहती हैं।

mkd/rtm/01.08.2024/14.00/2c

राजस्थान प्रदेश में खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास एवं स्वच्छ अबाध पेयजल के लिए भूजल संसाधनों पर ही निर्भर है। अगर यहां पर भूजल दोहन की बात करें तो 1984 में लगभग 35 परसेंट दोहन था और आज अगर हम 2023-24 की बात करें तो लगभग 148 परसेंट भूजल का दोहन है। जबकि, अगर इसका पुनर्भरण, जो पानी मिल रहा है, वह 100 परसेंट ही मिल रहा है, तो इससे ज्यादा हो रहा है। बहुत से लोगों ने मोटे-मोटे प्रश्न भी किये हैं। वैसे तो इसको वापस ले ही रहे हैं, इसको संशोधन करके लायेंगे। इसका कारण क्या है? इसके कारण थोड़े मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रस्ताव रखो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): प्रस्ताव भी रखते हैं। बाकी सबसे पहले कृषि है। वर्तमान किन श्रेणियों को भूजल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की छूट प्राप्त है। इस बिल के अन्दर कृषि कार्यकलाप, पेयजल एवं घरेलू उपयोग, व्यक्तिगत घरेलू उपयोगिता, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, सशस्त्र सेना के प्रतिष्ठान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन कम भूजल का आहरण करने वाले माइक्रो स्मॉल उद्योग, आवासीय अपार्टमेंट, ग्रुप सोसायटी, 20 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम, ये सारी योजनाएं इस बिल के अन्दर कहीं भी नहीं है। सबसे ज्यादा शंका कृषि की थी। इसको वापस लेंगे, क्योंकि कल आप कहेंगे कि कृषि पर लेकर आयेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, विराजो। आपको अनुमति नहीं है, बैठिये। माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं। इन्हें पूरा करने दें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इसमें माननीय सदस्यों का यह भी आया है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी जुड़े रहने चाहिए। इसको भी देखते हुए, जिस तरह महाराष्ट्र में, डॉ. सुभाष जी ने भी बताया, वहां महाराष्ट्र में जनप्रतिनिधि हैं। कम से कम तीन जनप्रतिनिधि इसमें जोड़े, किस तरह इसको लेकर आये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाये।

श्री अध्यक्षः यह बिल राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को प्रवर समिति को सौंपा जाता है।

अब राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार। इसमें कोशिश करेंगे कि जिनके नाम सचेतकों ने दिये हैं, हम कम समय में इसको पूरा करें। पहले वक्ता 15-15 मिनट और उसके बाद 5-5 मिनट बोलकर, यदि उसमें कुछ रह जाते हैं, तो केवल बिजली के साथ सुबह का कुछ समय हम इसको भी दे देंगे, ताकि बिजली की व्यवस्था हो जाये।

जो इस पर बोल चुके, उनके अलावा नाम देंगे। सबके 5-5 मिनट रहेंगे। 5 मिनट से ज्यादा किसी को भी नहीं।

माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव रखिये, पेयजल पर विचार किया जाये। पहला वक्ता 15 मिनट, बाकी 5-5 मिनट। आपके सचेतकों ने तय किया है। मैंने नहीं किया है।

राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव रखता हूं कि राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः एक घंटे बोलो तो भी क्या बोलेंगे? श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, 15 मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल पर कायदे से तो डिमांड आती, हम लोग पूरे दिन चर्चा करते तो और ज्यादा सार्थक चर्चा हो सकती थी और सरकार को और ज्यादा निर्णय लेने में सहूलियत होती। चूंकि, यह बीएसी का निर्णय था। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज आपने यह व्यवस्था दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिजली और पानी के ऊपर आप चर्चा करा रहे हैं।

मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जब सरकार बनी, कोई भी सरकार बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, लेकिन हमारा टाइम पीरियड है। हमारे राजस्थान में दिसम्बर में सरकार का गठन होता है। जब दिसम्बर में सरकार का गठन होता है तो सबसे पहला काम अगर किसी सरकार को करना होता है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में गर्मियां आती हैं और गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था कैसे होगी, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्री जी को, सदन में नहीं हैं, लेकिन इनको कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था और कंटिजेंसी प्लान बनाकर, उसके बाद में उसकी स्वीकृतियां जारी करते, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करते, क्योंकि

इन सबको पता था कि आने वाले तीन महीने बाद लोक सभा की आचार संहिता लगने वाली हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कंटिंजेंसी प्लान नहीं बनाया गया, मुख्य मंत्री जी ने कोई मीटिंग जलदाय विभाग की, आगे गर्मियों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यह व्यवस्था नहीं की गई।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति जी, उलटा यह किया, सरकार ने वित्त विभाग ने एक आदेश निकाल दिया कि जितने भी ट्यूबवेल, जितने भी हैंडपम्प, जितनी भी टंकियां स्वीकृत हैं, वो जितने भी स्वीकृत हैं, वे वहीं के वहीं रोक दिये जायें। अगर टेंडर हो गये हैं तो टेंडर रोक दिये जायें। अगर वर्क ऑर्डर हो गये तो वर्क ऑर्डर रोक दिये जायें। आज भी वह आदेश प्रभावी है। यह कांग्रेस या बीजेपी, सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, आज की तारीख में भी सरकार उस ऑर्डर को वापस नहीं ले सकी है और नहीं लेने से आज पानी के लिए त्राहिमाम-त्राहिमाम है। गर्मियों में जो पानी की स्थिति हुई है, आज भी चल रही है। माननीय सभापति महोदय, इससे पूरा का पूरा राजस्थान परेशान है। यह बहुत बड़ी विकट स्थिति है।

दूसरी तरफ माननीय मंत्री महोदय आपने यहां सदन में खड़े होकर 19 जुलाई को यह कहा कि जल जीवन मिशन का हमारा जो, केन्द्र सरकार की तरफ था, वह हमारा मार्च में पूरा हो गया, अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको दुबारा इसकी स्वीकृति मिले। आपके पास जल जीवन मिशन में भी काम करने के लिए नहीं है। आपके पास पानी का पैसा, आप नई योजनाएं कब स्वीकृत कर रहे हो? बजट में कुछ लेकर आये हो? ये कब होंगी? कब नहीं होंगी? बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं, बारह महीने, दो साल, चार साल, पांच साल, सात-सात साल भी लग सकते हैं। यह जो आदेश हैं तो आज सबसे पहले, मंत्री महोदय, कम से कम आप बात करके मुख्य मंत्री जी से, यदि आप सक्षम हैं तो ये ऑर्डर तो वापस निकलवाओ। हजारों-हजार ट्यूबवैल, टंकी, जीएलआर, आपकी स्वीकृति के लिए पड़े हैं, टेंडर हो गये, लेकिन आगे काम नहीं हुआ।

तीसरा, मैं कहना चाहता हूं, मैंने जल जीवन मिशन का बताया, सरकार के कंटीजेंसी प्लान का मैंने बताया, कोई प्लान हुआ नहीं। टैंकरों की बात करते हैं, टैंकरों की कालाबाजारी ये रोक नहीं सके, पानी के कारण अलवर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, वह भी आपके सबके सामने हैं।

हमारे सांगानेर से माननीय मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं, वहां पानी की क्या स्थिति हैं? आप देखिये। खो-नागोरियन में क्या स्थिति है? वह देखिये। हर जिले में, प्रदेश के हर कोने में पानी की बड़ी विकट स्थिति है।

दो चीजें और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय थोड़ा सीमित है। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूं। कायदे की बात करना चाहता हूं, मेरा यह निवेदन है कि एक तो यमुना जल समझौते से आप पानी लाने की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को

मैं बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं, यह यमुना समझौता आज नहीं हुआ है। 1994 में यमुना जल समझौता हुआ और यमुना जल समझौता 1994 से लेकर के, उसके बाद में जब नहीं हुआ तो हमारे एक यशवर्धन सिंह, जो हमारी पार्टी के मैम्बर हैं, आज की तारीख में प्रवक्ता हैं, वे हाई कोर्ट गये और हाई कोर्ट से लड़ते-लड़ते हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसकी डीपीआर, 2018-19 में कहा डीपीआर बनाई, डीपीआर बनी, 31 हजार करोड़ की योजना बनी। हमने वहां पर भेजी, आपकी सरकार केन्द्र में थी। आपने उसको पास नहीं, क्योंकि आपको हरियाणा चाहिए था, राजस्थान नहीं चाहिए था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वह माइलेज हमको मिल जाता। कोई बात नहीं, आपने नहीं किया और उसके बाद में जब आपकी सरकार आई, जिसे आप कहते हो डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार ने हमारे राजस्थान के हितों को केन्द्र के दबाव में हरियाणा के गिरवी रख दिया और गिरवी इसलिए रख दिया कि जो 12 हजार क्यूसेक्स पानी हमको मिलना चाहिए, आप 575 एमसीएम के अन्दर समझौता करके आ गये। एक सीकर का नाम जोड़ दिया, नाम जोड़ने से क्या हुआ, आपका जो नया एमओयू है, वह मेरे पास आ चुका है। आपने तो पेश नहीं किया है लेकिन मैंने कहीं न कहीं से कबाड़ लिया। उसमें यह लिखा हुआ है कि आप केवल और केवल जुलाई टू अक्टूबर अप टू 577 एमसीएम फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वह भी कब, जब 24 हजार क्यूसेक्स पानी, फुल हरियाणा ले लेगा, उसके बाद में और हरियाणा पहले वहां पर बांध बनायेगा, अपना काम करेगा, कैपेसिटी 24,000 की उसकी नहीं है, पहले वह अपनी कैपिसिटी तैयार करेगा।

Bhs/Rtm/01.08.24/14.10/2d

और कैपेसिटी होने के बाद में 24 हजार क्यूसेक्स तक तो आपको देगा नहीं और 24 हजार के बाद में अगर ओरवरफ्लो हो गया बरसात में तो चार महीने में आपको पानी देगा। आप कौनसी मेज थपथपा रहे थे, कहां-कहां पर मुख्य मंत्री जी होर्डिंग लगवा रहे थे, हमारी डबल इंजन की सरकार ने यह कर लिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बूंद पानी राजस्थान के चूरू, झुंझुनू को नहीं मिलेगा और अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, ये सही कह रहे थे कि इनका हक मार दिया आपने, पूरे राजस्थान का हक मार दिया। तीन जिलों का नाम दे दिया लेकिन तीन जिलों को, एक बूंद पानी आपकी नहीं मिलेगी यह यमुना जल का जो सही तथ्य है वह सदन के सामने मैं ला रहा हूं। यह एम.ओ.यू. दो पेज का है। इसमें लिखा है चार महीने में डी.पी.आर. बनेगी, 6 महीने हो गये, कहां गई आपकी डी.पी.आर.? आपकी कोई डी.पी.आर. नहीं बनेगी, जब तक हरियाणा अपना पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं कर लेता, जब तक 24 हजार क्युसेक्स पानी उसको पूरा नहीं मिल जायेगा तब तक आप सीकर, चूरू, झुंझुनू किसी को भी आप पानी नहीं दे पायेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह यमुना जल हो गया।

ई.आर.सी.पी. की आप स्थिति बताइये। ई.आर.सी.पी. का तो और ही बुरा हाल है, सर। ई.आर.सी.पी. में एक रुपया केन्द्र से नहीं लाये। बड़ी-बड़ी बातें करते थे, जल संसाधन मंत्री भी थे। प्रधान मंत्री जी दो बार कह करके चले गये, जो हमारी सरकार के समय 9,600 करोड़ रुपये के जो टेंडर थे वो टेंडर हम पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाये थे, वर्क ऑर्डर नहीं दे पाये। आपने इस बजट में डाल करके उसकी बात कर दी लेकिन आप ई.आर.सी.पी. में भी हमारे राजस्थान के हितों को गिरवी मध्य प्रदेश के रख कर आये हो, ज्यादा बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, वह मैं इसलिये कह रहा हूं कि 3,921 एम.सी.एम. पानी हमको मिलना चाहिये था। आज हम जो समझौता करके आये हैं वह 1775 के ऊपर 45 परसेंट पानी मिलेगा और एक बात से समझने की आवश्यकता है कि जब राजस्थान में वसुन्धरा राजे जी ने जो डी.पी.आर. बनाई उसके ऊपर काम करने लगे तो मध्य प्रदेश चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला गया तो हम लोग वह पानी ले नहीं पाये। ले नहीं पाये तो चूंकि यहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो इसलिये केन्द्र ने अनुमति दी नहीं। उलटा हमको हमारे बजट से स्टेट के बजट से हम काम कर रहे थे, तो केन्द्र के मंत्री ने और अधिकारियों ने यहां रोका कि आप कोई काम नहीं करोगे अगर आप काम करोगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और यहां मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश आये, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री को ले गये चूंकि मुख्य मंत्री जी, मैं उन पर आरोप नहीं लगाता लेकिन बहुत सीधे हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, एबीसीडी ही पता नहीं है। पहली बार एम.एल.ए. बने हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, वो जानते नहीं, यह एक्सपंज किया जाये। ...(व्यवधान)... नहीं, वो सब जानते हैं। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाओ, बीच में नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजें। आप भी विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये जो कहें वो एक्सपंज कर दो, साहब, ये जो कहें एक्सपंज कर दो। क्या-क्या करा रहे हो? मुख्य मंत्री जी जानते नहीं, यही तो? बहुत कुछ जानते हैं मुख्य मंत्री जी ...(व्यवधान)... लेकिन केन्द्र के दबाव में वहां पर मध्य प्रदेश से समझौता ई.आर.सी.पी. पर करके आये और उस समझौते की कॉपी मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि अब हमारा काम बन गया। अब हमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की और स्टे की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश को फायदा हुआ या राजस्थान को फायदा हुआ? मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है और मध्य प्रदेश हमारे समझौते को, हमारे मुख्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के समझौते को ले जाकर के वहां पेश कर रहा है कि हमारा काम हो गया, अब हमें आवश्यकता नहीं है। इसका मायना क्या हुआ? इसका मायना यह हुआ कि हमें जो यह पी.के.सी. का मॉडल दिया गया है यह पी.के.सी. का मॉडल नहीं है, साहब, हमारे यहां के लोगों के साथ में अन्याय है, उनका गला घोंटा गया है। पानी

किसानों को तो मिलने का सवाल ही नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें केवल पीने-पीने के लिए 1800 एम.सी.एम. पानी मिनिमम चाहिये, उद्योग बाद की बात है, उसके बाद में सिंचाई की बात है। आप दे ही 1775 रहे हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप न जल जीवन मिशन को आगे बढ़वा पा रहे हो और न आप यहां सरकार ने रोक लगा रखी है उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो।

बरसात में भी अब क्या हो गया साहब, बरसात में भी आप देखिये सात सौ में से तीन सौ पच्चीस बांध अभी भी खाली हैं। 22 जिलों में से 13 जिलों में सामान्य से कम बरसात है। 742 बांधों के जलस्तर में 40 परसेंट की गिरावट है और जून से जुलाई महीने में एक प्रतिशत पानी की बढ़ोतरी हुई है, आज थोडा बहुत और आया है। बीसलपुर बांध में भी पानी का मुख्य स्रोत त्रिवेणी नदी है जहां पानी कम हो रहा है। पानी नहीं है सर, हमारे पास। इनके पास में पानी नहीं, यमुना जल समझौता और ई.आर.सी.पी. दोनों में हमारे साथ धोखा कर दिया। राजस्थान की सरकार बैन लगा कर बैठी है कि आप काम कर नहीं सकते तो आप पानी पिलाओगे कहां से?

मंत्री महोदय, आपने कहा, बालाजी का नाम लिया, मैं भी भक्त हूं बालाजी का, आप भी भक्त हैं। बालाजी पानी नहीं लायेंगे, आपको मंत्री बना दिया बालाजी की मेहरबानी से, अब पानी आपको लाना पड़ेगा, आपकी सरकार को लाना पड़ेगा। अब बालाजी रोजाना पानी कहां से लायेंगे, आपको बना दिया। हमको बना दिया जब मौका लगा तो बालाजी तो सब पर मेहरबान होते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप अपने जो बयान देते हो, लिखते हो, यह भी आपको देख लेना चाहिये।

आप प्राइवेट बिल ला रहे हो, बिना सोचे-समझे ला रहे हो, लाकर के कहते हो कि नहीं-नहीं, हमने काम तो सही किया लेकिन हम इसको वापस ले रहे हैं। सौ जूते खाकर सौ प्याज क्यों खा रहे हो, भाई। एक चीज ले लो, सौ प्याज भी खायेंगे, सौ जूते भी खायेंगे। पहले एक दिन कहेंगे, नहीं-नहीं, जूत मार लो, प्याज से मुंह छलनी हो जायेगा। दूसरे दिन जूत का दर्द होगा, जूते का, तो कहेंगे कि प्याज खायेंगे। फिर मुंह जलेगा तो कहेंगे कि नहीं-नहीं, जूते खा लेंगे। ऐसे करके काम क्यों कर रहे हो? आपको काम करना है तो सही तरीके से आप काम कीजिये। यह एक कहावत है, आपके जूते नहीं लगने, मेरे नहीं लगने, किसी के नहीं लगने, जो गलत काम करेगा उसके लगे। यह एक कहावत है कि सौ जूते खाकर सौ प्याज खा गया। तो इतनी मूर्खता करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप करना चाहते हो तो ठीक कीजिये और पानी की व्यवस्था कीजिये। बिजली पर कल लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बिजली, पानी का बुरा हाल है। मुख्य मंत्री जी तो क्या है कि हेलिकोप्टरों में भ्रमण कर रहे हैं। हेलिकोप्टर से तो नीचे क्या है कि समुद्र के ऊपर से जाओगे तो पानी ही पानी दिखता है। मुख्य मंत्री जी को हेलिकोप्टर से नीचे उतर करके अगर वो बाई कार कहीं जाते और जनता से पूछते कि आपको पानी मिल रहा है कि नहीं,

आपको बिजली मिल रही है कि नहीं। मैंने देखा था बिजली के मंत्री जी ने हम सब एम.एल.एज को बुलाया था। हम 6-7 तो कांग्रेस के थे प्रतिपक्ष के थे और 7-8 बीजेपी के थे जो हमारे अजमेर सम्भाग की हुई थी। सर, बुरा हाल था, देखने लायक था। मंत्री जी की आंखों में पानी आ गया। यह बीजेपी के लोग सारे के सारे सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे थे कि दो घंटा पानी नहीं आता, ए.ईएन. हमारी मानता नहीं, जे.ईएन. हमारी मानता नहीं, एस.ई. हमारी मानता नहीं। मंत्री जी, आप फोन उठाते नहीं। तो जो ये हालात बने हुए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)... मेरा काम नहीं है, सर, मैं इतना सीधा आदमी हूं सभापति महोदय, कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप छाती पर हाथ रख कर इनको पूछ लो, क्या पानी मिल रहा है, क्या बिजली मिल रही है, क्या कानून-व्यवस्था सही है, क्या मुख्य मंत्री जी किसी का काम करवा पा रह हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है कि नहीं है, क्या इनके कहने से एक धेले का काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मत पूछो, मत मेजें थपथपाओ।

मैं कह रहा हूं कि ये चार साल चुटकियों में निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता। इन अधिकारियों का तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो साठ साल के एकदम महाराजा बने हुए हैं। आपको और हमको तो हर पांच साल में परीक्षा देनी पड़ती है और पांच साल में भी नगर निकाय, पंचायती राज, कृषि उपज मंडी चुनाव आते हैं। हमको जनता के बीच में जाना पड़ता है। ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप जल पर बात करो ...(व्यवधान)... सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपने ही किया ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: पानी पर अपनी बात रखिये। विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक यादव का कायदा बनता था मंत्री का। सबसे सीनियर आदमी हैं लेकिन इनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। आप अगली बार हमारी तरफ आ जाना, हमारी सरकार आयेगी तो हम आपको मंत्री बनायेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। एक बात कह कर एक मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं। तो पानी, मंत्री जी, आप पैदा तो नहीं कर सकते लेकिन यमुना जल समझौता और ई.आर.सी.पी. के समझौते से जो हमारे साथ धोखा हुआ है उस धोखे के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हो आप। मुख्य मंत्री जी को बाध्य कर सकते हो कि यह क्या कर दिया आपने आनन-फानन में, जाने-अनजाने में। भूल तो मनुष्य से होती है सर, हमने भी देखा कई बार यहां खेद भी प्रकट हम करते हैं तो मुख्य मंत्री जी को सदन में आकर के खेद प्रकट करने में क्या दिक्कत आ रही है। राजस्थान की जनता ने मुख्य मंत्री बनाया है। राजस्थान की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है। आज न पानी है, न बिजली है, न कानून-व्यवस्था है, न किसी के काम हो रहे हैं, सारे के सारे, यह पोपा बाई

का राज है और पोपा बाई के राज में किसी का कुछ भला नहीं होता है।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री कालीचरण सराफ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर आप मेरे को सुनते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मंत्री और मुख्य मंत्री आपके काम करते रहेंगे। अगर मेरे को रोकोगे तो आपकी वह हालत हो जायेगी

Kas/rtm/01.08.2024/14.20/2e

जो आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा, आपकी जमानतें जब्त हो जायेंगी।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य। अब अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापतिः आपने बहुत बोल लिया। श्री कालीचरण सराफ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापतिः आज समय कम है, 6 बजे मंत्री मंडलीय कैबिनेट की बैठक है। विराजिए, विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए, अंकित नहीं होगा। श्री कालीचरण सराफ। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, विराजिए, विराजिए। डोटासरा साहब, समय की पहचान करें, समय बहुत कीमती है। श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और पूरे मंत्रिमंडल के दो मंत्री यहां पर मौजूद हैं। न सचेतक हैं, न संसदीय मंत्री हैं। यह इनका चरित्र बताता है कि किस प्रकार से इनकी राजस्थान के प्रति, पानी के प्रति मंशा है। पूरा खाली पडा है, पूरा खाली पडा है। यह सेकंड लाइन को आगे बैठा दो, पीछे वालों को आगे बिठाओ।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए। मंत्री महोदय विराजमान हैं। ...(व्यवधान)... विराजिए, विराजिए। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बोल रहा हूं, यह बैठें तो सही।

श्री सभापतिः विराजिए। पानी पर चर्चा हो रही है, महत्वपूर्ण विषय है। आप भी अपनी बात रख रहे हैं, इधर से भी अपनी बात आने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हमारे डोटासरा जी ने अभी कहा ...(व्यवधान)... मेरे छोटे भाई डोटासरा जी ने यह कहा कि जल जीवन मिशन की 31 मार्च को सीमा समाप्त हो गई, अभी तक सीमा बढ़ी नहीं, तो कैसे काम होगा? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी ...(व्यवधान)... सुनिए, सुनिए।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जब केन्द्रीय सरकार ने यह तय किया कि हिन्दुस्तान के हर घर में पानी पहुंचेगा और जल जीवन मिशन की शुरूआत की। ...(व्यवधान)... उसकी चिंता मत करो आप।

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य, आप बोल लिये, आप विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। इनके समय में जल जीवन मिशन का पैसा आया, जल जीवन मिशन में यह तय किया कि यहां पर जल जीवन मिशन लागू करना है और गांवों में पानी के कनेक्शन देने हैं, तो हमारी कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया और जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में जिस प्रकार से धीमी गति से योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। ...(व्यवधान)... सुनिए, सुनिए, बीच में मत बोलो। जहां तक जल जीवन मिशन में 31 तारीख की डेट को आगे बढ़ाने का मामला है, चिंता मत कीजिए, केन्द्र में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से इसका टाइम बढ़ेगा और जो हमने लक्ष्य रखा है कि 25 लाख घरों में इस बार हम एक साल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कनेक्शन देंगे, निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वह करती है और जो करती है, वह कहती है।

सभापति महोदय, जहां तक ईआरसीपी का मामला है, केन्द्रीय सरकार सहयोग करना चाहती थी, परंतु विधान सभा के चुनाव थे, लोगों को भ्रमित किया गया कि ईआरसीपी में केन्द्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही। लोगों को गुमराह करते रहे कि हमको वोट मिल जायेंगे, पर क्या हुआ? जनता ने आपको नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ...(व्यवधान)... बीच में मत बोलो। अब ईआरसीपी का समझौता क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपकी नीयत में खोट थी। आप ईआरसीपी में समझौता करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि ईआरसीपी का समझौता हो जाता तो आपको जितनी सीटें अभी मिली हैं, उतनी सीटें भी आपको नहीं मिलती। अब ईआरसीपी में कितना पानी मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, यह तो भविष्य बतायेगा, पर इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश के 21 जिले हैं, पेयजल के साथ-साथ सिंचाई का पानी भी वहां के किसानों को, वहां की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब 2013-18 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय की हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरूआत की थी। उसमें तो पानी को इकट्ठा ही करना था। कांग्रेस के लोगों ने इनकी सरकार आई तो उस योजना को बंद कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी वर्तमान सरकार को कि उन्होंने जल स्वावलंबन योजना को पुन: चालू किया है और इसके अंतर्गत आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाये जाने की घोषणा की है। ...(व्यवधान)... बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में

नहीं बोला था।

श्री सभापति: आप उधर मत देखो, आप इधर देखो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप एक तरफ तो कहते हो कि छोटा भाई हूं और फिर बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब मत करो।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 10 परसेंट हैं, परंतु हमें पानी की उपलब्धता केवल 1.6 परसेंट है। पिछले मानसून में प्रदेश की भूमि को 10.96 अरब घन मीटर बीसीएम पानी मिला और 16.55 अरब घन मीटर पानी हमने निकाल लिया। यानी 100 परसेंट पानी की तुलना में 151 परसेंट पानी हमने निकाल लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश की 2023 में बनी 302 ब्लॉक की रिपोर्ट डराने वाली है। इसमें 219 ब्लॉक अति दोहित हैं, 100 परसेंट से ऊपर। 30 सेफ हैं, 70 परसेंट से नीचे। 20 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल हैं, 70-90 परसेंट और 22 ब्लॉक क्रिटिकल हैं 90-100 परसेंट। प्रदेश में केवल गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर सुरक्षित हैं, बाकी शेष जिलों में दयनीय स्थिति है। भू-जल केवल 30 परसेंट बचा है। जैसलमेर में आवक से 324 परसेंट ज्यादा और जयपुर शहर में आवक से 221 परसेंट ज्यादा निकासी है। सीकर, अलवर, दौसा में सबसे ज्यादा भू-जल स्तर घटा है।

सभापति महोदय, मैं प्रदेश की ज्यादा बात नहीं करुंगा, क्योंकि मैं जयपुर शहर से आता हूं, चूंकि टाइम कम दिया है, इसलिए मैं केवल जयपुर शहर के बारे में आपको बताना चाहूंगा और मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में 40 लाख की जनता को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही अजमेर, टोंक, दौसा और सैकड़ों गांवों में भी इस परियोजना के माध्यम से पानी उपलब्ध होता है। पर आज बीसलपुर योजना की स्थिति क्या है, यह पूर्णत: मानसून पर निर्भर करती है। पिछले 16 सालों में केवल 4 बार यह बीसलपुर बांध पूरा भरा है और 12 बार यह बांध पूरा नहीं भरा। आज की स्थिति देखें तो आज पूरे प्रदेश में बरसात हो रही है, लेकिन बीसलपुर केचमेंट ऐरिया में अभी तक बरसात नहीं हुई है।

Msk/rtm/01.08.24/1430/ 2f

वहां पर केवल 29 परसेंट पानी बचा है। यदि वहां 29 परसेंट पानी बचेगा तो आज स्थिति क्या है। हमारे जयपुर शहर के 16 ब्लॉक हैं, वे अतिदोहित हैं और वे डेंजर स्थिति में हैं। भू-जल की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जयपुर शहर में ग्राउंड वाटर भी खतम हो जायेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध को जोड़े जाने की घोषणा की थी। उसकी डीपीआर बनाने के लिए जलदाय विभाग ने जल संसाधन विभाग को छह करोड़ रुपये भी दे दिये। परन्तु दुर्भाग्य से फिर ये लोग आ गये, इनकी सरकार बन गयी। इनकी प्राथमिकता पर तो जयपुर था, नहीं। इनकी प्राथमिकता में तो जोधपुर, इनकी प्राथमिकता में कोटा। तो आपने क्या किया,

उस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर परियोजना को जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर करें। उस समय इसमें छह हजार करोड़ रुपये लगने थे, पर अब मुझे लगता है कि इसमें और राशि बढ़ गयी होगी। परन्तु यदि यह काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जयपुर में जो स्थिति है। कल ही मैं अख़बार में पढ़ रहा था कि दो करोड़ लीटर पानी की आपने यहां कटौती कर दी। यह सही बात है ना। आज अजमेर में 48-48 घंटे से पानी मिल रहा है। आज टोंक और दौसा में भी पानी की यही स्थिति है। यदि बीसलपुर से ब्राहमणी नदी को जोड़ देंगे तो ब्राहमणी नदी से, राणा सांगा बांध और रावत भाटा बांध में पानी भरने के बाद जो पानी निकलता है, वह वेस्टेज जाता है, चम्बल में चला जाता है, वह यदि बीसलपुर में आ जायेगा तो निश्चित रूप से हमारे यहां स्थायी समाधान हो जायेगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने अभी यह कहा है कि हम ट्यूबवैल से पानी देंगे। जयपुर शहर में अभी वर्तमान में 3300 ट्यूबवैल हैं, उनमें अभी 600 से ज्यादा ट्यूबवैल खराब पड़े हैं। मैं यह चाहूंगा और आप कल कह भी रहे थे कि इनको प्राथमिकता के आधार हम लोग चेंज करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अभी आपने जो हर विधान सभा क्षेत्र में दस-दस ट्यूबवैल और बीस-बीस हैंडपम्प देने की बात कही है, उसका मैं स्वागत करता हूं, इसको आप जल्दी से जल्दी लगवाने की बात करें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। क्योंकि बार-बार सभापति जी घड़ी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां मैंने पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे जयपुर शहर के पांच लाख से ज्यादा लोग मल्टीस्टोरीज में रहते हैं और उनके लिए जल कनेक्शन की कोई नीति नहीं है, उस समय जब मैंने कहा तो तत्कालीन मंत्री महेश जोशी जी ने कहा था कि हम जल्दी ही इसकी नीति बनाकर लोगों को जल कनेक्शन देंगे, परन्तु अभी तक जल कनेक्शन नहीं मिले। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो इस बारे में भी कि आपकी क्या सोच है? जयपुर शहर के जो मल्टीस्टोरीज के जो मकान हैं, जो मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग हैं, उनमें किस प्रकार से आप जल कनेक्शन देंगे, इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से बतायेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जो बरसात का पानी है। जैसे कल इतनी जबर्दस्त बरसात आयी, पानी पूरा व्यर्थ बह गया, इसके लिए आप कोई वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डवलप करिये और नियमों में संशोधन करिये कि जो भी नया मकान बनायेगा, उसका अपने यहां पर नक्शा तभी पास करेंगे जब वह अपने मकान में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डवलप करेगा। जितनी भी सड़कें हैं, जहां लाखों लीटर पानी बह जाता है, वहां पर भी आप इस प्रकार की व्यवस्था करिये कि वह पानी व्यर्थ नहीं बहे और वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा जमीन के अन्दर जाये, इससे हमारा भू-जल स्तर भी बढ़ेगा। क्योंकि आज जो चिन्ताजनक स्थिति है, भू-जल बोर्ड की जो रिपोर्ट है कि दो साल में पानी खतम हो जायेगा, यदि इस

प्रकार की स्थिति रही तो आप देख लीजिये कि पानी की स्थिति क्या होगी। मैं बहुत ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करुंगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक। समय-सीमा में अपनी बात कहें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय, आप कितना टाइम दे रहे हैं?

श्री सभापति: पांच मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): पांच मिनट में तो मैं क्या बोलूंगा, दस मिनट तो दें, ऐसे थोड़े ही होता है। दस मिनट।

श्री सभापति: पांच मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, भू-जल और वर्तमान में पानी की स्थिति। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, उस पर पानी की स्थिति के बारे में सभी ने बताया कि हमारे पास बड़ा भू-भाग है और मात्र 1.6 परसेंट जल हमारे पास है। इस जल का हम बेस्ट उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर कभी चिंता मनन नहीं हुआ। पिछली बार सरकार ने राज़ीव गांधी जल संचय योजना बनायी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जल संचय योजना का उद्देश्य यह था कि बरसात का जो जल है, उसका संरक्षण कैसे हो? हम यहां बैठकर सुबह से सायंकाल तक जल पर चर्चा करेंगे, कल बिजली पर करेंगे। सभापति महोदय, सारा वातावरण देखने के बाद यह लगता है कि लालसोट में जैसे हेला-ख्याल होता है, वैसे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक ऐसा वाद-विवाद खड़ा करते हैं। हम जहां बैठे हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि राजस्थान ने 200 भागीरथ इस विधान सभा में भेजे हैं। हम सब का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तेरी कमीज मेरी कमीज से मैली है, यह चर्चा करने की बजाय हमको आज यह तय करके उठना चाहिए कि हम इस भू-जल की समस्या का क्या समाधान करें? इसमें आप विषय विशेषज्ञों को लें।

मोटे तौर पर हमारे सामने जो बात आयी है। माननीय सभापति महोदय, पेड़ों का जिस तरह से कटान हुआ है। ज्यों-ज्यों हम गहराई में जाते जा रहे हैं, भू-जल का स्तर नीचे जा रहा है और पेड़ों के कटने से वर्षा का जो अनुपात था, वह भी धीरे-धीरे कम हुआ है। हमको कुछ ठोस योजना बनानी पड़ेगी। जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, भू-जल संरक्षण। निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, बल्कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तत्काल हर जिले में गांव चिह्नित किये जाने चाहिए, जहां नगर परिषद इस बात की पाबन्दी करे कि यहां भू-जल का संरक्षण हम वर्षा जल से करेंगे, तभी जाकर हम इस बात का समाधान कर पायेंगे। हम सुबह से लेकर सायंकाल तक यह चर्चा करेंगे, आपने यह नहीं किया है, मैंने वह नहीं किया, इससे समाधान नहीं है। पानी के मामले में इतनी चिंता है।

अभी पिछली सरकार में 20-20 ट्यूबवैल सैंक्शन हुए। यह सरकार आयी, उन 20-20 ट्यूबवैलों का अता-पता नहीं है, वे सब कैंसिल हो गये। सरकारें बदलती हैं, सरकार का ऑर्डर

थोड़े ही बदल जाता है। अभी आपने 10 ट्यूबवैल दिये, वे दो साल में लगेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस पर हमको गहन चिन्तन करना चाहिए। हम यहां पर केवल चर्चा करके घर चल जाएंगे, लेकिन समस्या कल भी जस की तस है। इसका यदि हमने समाधान नहीं किया तो जो सार्थक चर्चा होनी थी, वह सार्थक चर्चा नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, पेड़ों के कटने पर एक शायर क्या कहता है-

सूखा जंगल चीखता, खूब मचाये शोर,
पेड़ों को मत काटिये, सूखा जल सब ओर।

इस पेड़ के कटने से जो सबसे बड़ी पीड़ा पहुंची है,

पानी-पानी सब करे, सूखी नदियां-ताल,
मरती चिड़िया कर गयी हमसे एक सवाल,

केवल आदमी नहीं, पशु-पक्षी भी आज पानी की जो गिरावट जा रही है, उसकी वजह से काफी परेशान हैं।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है। इस पर हम सार्थक चर्चा करेंगे। सार्थक चर्चा का सार वही है, अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में पहले 60:40 का रेशो था, उसके बाद 50:50 का रेशो हो गया। आज तक जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, उनमें जब तक आप 90:10 का रेशो नहीं करेंगे। सरकार की स्थिति बड़ी अजीब-सी हो गयी। 50-50 परसेंट की वजह से आज पीएचईडी के अन्दर जो बिल लाया जा रहा है, जो बोर्ड या कार्पोरेशन बनाकर कर रहे हैं, उसका मात्र उद्देश्य यह है कि इनके पास में, पीएचईडी डिपार्टमेंट के पास में अर्थ का अभाव है और बोर्ड के माध्यम से ये ऋण लेंगे और जो पुराने बोर्ड चल रहे हैं, बिजली बोर्ड और ये सब, उन्हीं के रूप में इसको करेंगे। इससे साबित क्या होगा? इससे यदि जल बढ़ रहा हो तो निश्चित रूप से करिये, जल बढ़ाने की आवश्यकता है। मात्र यह कहकर कि हमने यह बोर्ड बना दिया, वह बोर्ड बना दिया। हम कौनसा वह तरीका निकालें? ज्यादा से ज्यादा जंगल लगायें और निश्चित रूप से लगायें। हम ज्यादा से ज्यादा भू-जल का संरक्षण करेंगे।

mdp/rtm/01.08.2024/14:40/2g

माननीय सभापति महोदय, जब तक हम ये नहीं करेंगे, निश्चित रूप से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सब 200 लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्र में भू-जल का कैसे संचय करें। ये एकमात्र उपाय है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम कैसे लगाएं? अभी प्रधान मंत्री जी ने भी एक टारगेट दिया है 'एक पेड़ मां के नाम'। ये कोई स्लोगन नहीं है, यह एक ऐसा काम है कि हम सभी को अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाना और पेड़ का संरक्षण करना, दोनों अलग-अलग बात है। पेड़ तो खूब लगेगे, लेकिन 12 महीने बाद में आप उन पेड़ों का रेशो निकालेंगे तो मुश्किल से कोई दस-बीस परसेंट पेड़ बचेंगे। लगते आ रहे हैं, मर जाएंगे पेड़, उससे फायदा क्या हुआ? हमको

संकल्पपूर्वक काम करना चाहिए। संकल्पपूर्वक अगर हम काम नहीं करेंगे तो इस समस्या का समाधान कतई नहीं होगा, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो।

माननीय सभापति महोदय, यह एक ऐसा विषय है, आज राजस्थान की जो स्थिति है, जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो अनुपात है, आज आप जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ जाएंगे, ढाणियां एक-एक, दो-दो, चार-चार किलोमीटर पर हैं। वहां आपका पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पर जितना खर्चा लग रहा है? जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है, वहां पर अलग स्थिति है। भौगोलिक स्थिति अलग है। गांवों में कई जगह बिलकुल डार्क जोन हो गया, कई जगह भू-जल की स्थिति कैसी है, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर हमको रिसर्च करना चाहिए, जिस पर हमको विषय-विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

सभापति जी, आज आपके पूरे राजस्थान में सीवरेज के प्रो जेक्ट आ रहे हैं। सीवरेज के प्रोजेक्ट का जो ट्रीटेड वॉटर है, वह एक ऐसी बड़ी धरोहर है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर गांव में, हर शहर में ट्रीटेड वॉटर एक समस्या के रूप में कि उसको हम स्टोर कैसे करें? हमको जितने भी जो बड़े-बड़े ग्राउण्ड्स हैं, बड़े-बड़े फोरेस्ट हैं, उनमें पाइप के माध्यम से उस जल को जो हमारे पास सीवरेज का स्टोरेज है, उस जल को हमारे पास जो वन क्षेत्र है, सभापति महोदय, मैं आपको सीकर के अकेले की बात करूं, हमारे पास करीब 400-450 हैक्टेयर लैंड शहर के बीच में है, सरकार को चाहिए इन योजनाओं का, जहां पर हमारे पास इतना बड़ा भू-भाग है, उसमें सीवरेज का पानी हम एक प्रोजेक्ट के रूप में पाइप लाइन बिछाकर यदि हम कंज्यूम करें तो जंगलों में पेड़ बढ़ेंगे और यदि पेड़ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बरसात होगी। यह एक दिन का काम नहीं है।

सभापति महोदय, चिंता का विषय यह है कि धीरे-धीरे बरसात का जल कम होता जा रहा है, लेकिन इसके संचय की स्थिति आज भी जस की तस है। मैं 1990 से आ रहा हूं। जब भी चर्चा हुई है, यही चर्चा हुई है कि, साहब, पानी की कमी है। दोनों पक्षों ने बैठकर अपनी-अपनी बात कह दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सरकारों को कोस लिया। इससे यदि समाधान संभव होता तो हम और ज्यादा कार्यक्रम यह रख लें कि कौन किसको ज्यादा कोसता है। समाधान तब होगा जब हम इस पानी का संचय कैसे ज्यादा से ज्यादा करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे अच्छे से अच्छा करें। मैं सीकर की आपसे बात करूं तो सीकर में भू-जल जिस तेजी से जा रहा है, शहर के अन्दर 225 के करीब आसपास के जो ट्यूबवैल हैं, उनमें चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) पानी को गहरा कराने के लिए जब तक हम कोई नये बोरिंग का, नया सिस्टम डवलप नहीं करेंगे तब तक पानी की बड़ी भारी समस्या है। इन समस्याओं पर चर्चा करना और उसका समाधान करना, दो अलग-अलग विषय है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो और हम जल का संचय कैसे करें, इस पर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर पेड़ लगाना हो तो हम पेड़ लगाएं। बरसार के जल का यदि हम संचय करें तो वह हम करें। माननीय

सभापति महोदय, जल का महत्व शास्त्र में कैसा बताया है-

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः।

उशतीरिव मातरः।।

जैसे मां अपनी संतान को दूध पिलाती है, वैसे ही हे जल, जो तुम्हारा कल्याणतम रस है, उसे तुम मानव को प्रदान करो। ये यजुर्वेद में लिखा है। जल जो है वह केवल जल नहीं है, अमृत है हमारे लिए। लेकिन उस अमृत का जिस तरह से आज क्षरण हो रहा है, यह चिंता का विषय है।

श्री सभापतिः विराजिए, साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति जी, एक मिनट। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल पर आप चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा के साथ-साथ यह सुनिश्चित करें, संकल्प के साथ आज उठे आप कि 200 विधान सभाओं को रिप्रजेंट करने वाले जो माननीय सदस्य हैं, वे संकल्प लेकर जाए अपने अपने क्षेत्र में कि वर्षा के जल को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउण्ड संरक्षण करें, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम यदि यमुना के जल का इंतजार करेंगे, यदि इंदिरा गांधी के जल का इंतजार करेंगे तो यह समय यूं ही निकलता जाएगा और हर क्षेत्र में पानी की समस्या है। यह मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री देवेन्द्र जोशी।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आपने जल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझको बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज माननीय प्रतिपक्ष के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने जिस तरह से इस समस्या के लिए अपने विचार रखें और मैं कहूंगा उन्होंने संत वाणी में जिस तरह से बात कही, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं। लगता है उधर बैठते ही राजनीति से ऊपर उठकर बातें करना, ये सब बातें याद आ जाती है। जब सत्ता में होते हैं तब कैसे राजनीतिकरण किया जाए हर विषय का उसमें पारंगत हो जाते हैं। मैं इनकी भावनाओं को नमन करता हूं, कम से कम देर आए दुरुस्त आए।

महोदय, जोधपुर में अमृत योजना के तहत, केन्द्र सरकार की अनुमोदित योजना में 341 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। अब मैं सीधा-सीधा जो माननीय सदस्य राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कर रहे थे, उनका जवाब देता हूं। 341 करोड़ की योजना, उसमें कार्यकारी एजेंसी बनाया गया जोधपुर नगर निगम, उत्तर को, क्योंकि वहां कांग्रेस शासित बोर्ड है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक काम था जोधपुर नगर निगम, दक्षिण के हिस्से में। उसकी डीपीआर बनाने में लग गये 2 साल। अपने लोगों को उपकृत करने के लिए किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, यह जोधपुर में अमृत योजना में देखने को मिला। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी को, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को, उन्होंने जैसे ही सरकार बदली इस डीपीआर बनाने के काम में पीएचईडी को भी सम्मिलित किया। नहीं तो पहले जो विभाग जल से सम्बन्धित योजना बनाने में पारंगत है, उसको डीपीआर बनाने में भी सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोगों के विशेष उद्देश्य थे, सीधा-सीधा

कहूं तो भ्रष्टाचार का खेल खेलना था। इसलिए पीएचईडी विभाग, जो इसका पूरा मैनेजमेंट करता है, उसको डीपीआर से अलग रखा गया।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में अमृत योजना-2 के तहत जो खेल हुआ, मैं चाहता हूं उसकी जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल सके। शुरूआत से ही अमृत-2 योजना कुप्रबंधन का शिकार हो गयी। मैं धन्यवाद देता हूं पीएचईडी मिनिस्टर को कि उन्होंने हस्तक्षेप करके इसको सुधारने का कार्य किया। निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार धन्यवाद की पात्र है।

माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में प्रथम सत्र में मैंने मुद्दा उठाया था पाक विस्थापितों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए। उसके तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 1 करोड़ 69 लाख की योजना अम्बेडकर नगर में कालीबेरी में स्थित, उनके लिए विशेष योजना स्वीकृत की, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि अभी वह मुख्य अभियंता के स्तर पर अटकी हुई है, उसको जल्दी से जल्दी लागू कराकर पाक विस्थापित भाई बहिनों के लिए, जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया था, उसी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन भी उसको आगे बढ़ाते हुए जल्दी से जल्दी उस योजना को क्रियान्वित करेगा। ऐसी मेरी मांग है।

जोधपुर में एक विचित्र समस्या है। जोधपुर में जल की कमी नहीं है। अगर वहां करीबन-करीबन 69 पम्प लगे हुए हैं, अगर वह पम्प जमीन से पानी निकालना बंद कर दें तो जोधपुर शायद तैरता हुआ मिलेगा। 24 घंटे जो पम्प चालू रहते हैं, इसलिए जोधपुर में भू-जल का स्तर मेंटेन रहता है। उसमें से काफी जो ट्यूबवैल हैं, उनका पानी काम में लिया जा रहा है, लेकिन अभी-भी कई ट्यूबवैल ऐसे हैं जिनका पानी खाली सीवरेज की लाइन में डाला जा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो पानी अभी भी सीवरेज में जा रहा है, उसके समुचित उपयोग के लिए कोई न कोई योजना बने ताकि दोनों समस्याओं का समाधान हो सके। एक तरफ तो भू-जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, इस कारण से पुराने शहर में आज भी जब दो चार दिन उसकी निकासी नहीं होती तो घरों में और बेसमेंट में पानी आ जाता है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए भी कोई योजना बनायी जाए। दूसरी तरफ पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इन दोनों समस्याओं का समाधान, एक अगर सम्मिलित योजना बने और भू-जल का दोहन ढंग से हो और दोहन के बाद उसका समुचित उपयोग हो तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इस सम्बन्ध में भी कोई न कोई कार्यवाही करेंगे।

Ans/rtm 14.50 2h 1.08.2024

इसके अलावा जोधपुर में करीबन-करीबन 100 ऐसे जल स्रोत हैं, अगर उनका संरक्षण किया जाए तो जोधपुर में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। कई बावड़ियां व तालाब ऐसे हैं, जिनका संरक्षण अगर सरकारी स्तर पर किया जाए तो जोधपुर में दो महीने

का क्लोजर हर बार सरकार को लेना पड़ता है, उस समय उस पानी को संग्रहित कर, निश्चित रूप से इस समस्या का निदान कर सकते हैं।

विशेषकर, जोधपुर में इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। पम्पिंग स्टेशन संख्या-8 का विकल्प तैयार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब भी उसमें कोई खराबी आती है, पानी की आवक रुक जाती है। जोधपुर में वाटर रिजर्वायर है, उसमें 8-10 दिन से ज्यादा का पानी रिजर्व नहीं किया जा सकता। लंबी अवधि के लिए अगर कोई फॉल्ट हुआ तो मैं समझता हूं कि जोधपुर में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जाएगी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कायलाना, तख्त सागर, इसके विकल्प के रूप में सूरपुरा और उम्मेद सागर बांध हों। इनको भी रिजर्वायर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आने वाले समय में क्लोजर के समय जो समस्या आती है उसका ठीक से सामना कर पाएंगे।

श्री सभापतिः विराजे। सुश्री रीटा चौधरी।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): एक मिनट। मेरा निवेदन है कि मेरे सूरसागर क्षेत्र में कई खनन क्षेत्र जो बहुत डीप हो गए और बंद हो गए, उनमे वर्षा का पानी भरता है, अगर उसका दोहन किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में ..

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): हम एक तरफ वर्षा जल संग्रहण की बात कर रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले से ही जल संग्रहण की व्यवस्था है, अगर उन खाडियों में...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मैं सबसे पहले आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): पानी संरक्षित किया जाए तो लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): राज्य सरकार का बजट 2024-25 बिन्दु संख्या 190 भाग-दो, विभिन्न जलदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण का कार्य चरणबद्ध रूप से RWSSC को हस्तांतरित किया जाएगा। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर व सोचने वाला विषय है। जिस तरीके से कर्मचारी इस कॉरपोरेशन को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, हमारा जल जीवन मिशन व दूसरी पेयजल व्यवस्था है, सब इसके नीचे आएगी। यह निगम है जिसको सरकार काम में लेने जा रही है, मेरा यह मानना है कि वह ऋण की गारंटी के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। एक तरीके से कॉरपोरेशन, चाहे वह हमारा समय हो या आपका समय हो, बिजली विभाग की कम्पनियां बनी, आरटीडीसी बनी, आप एक सफेद हाथी आप बांधने जा रहे हो।

सभापति महोदय, जो पानी हमें एक हजार लीटर 4.40 रुपये में मिलता है, वह तकरीबन 75 रूपये एक हजार लीटर पर चला जाएगा। माननीय मंत्री महोदय जब रिप्लाई दे तो यह बता दे कि ऋण लेने के लिए ही आप ला रहे हो, इसमें टैरिफ़ बढाओंगे। सभापति महोदय, यह एक जन कल्याणकारी विभाग है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है। राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दे, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, बिजली है।

श्री सभापतिः अपने स्थान पर विराजे। डिस्टर्ब होता है, अपने स्थान पर विराजे। अपने स्थान पर विराजे।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सभापति महोदय, दूसरी बात मैं बोलने जा रही हूं, हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बात की, यमुना नहर परियोजना की।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अपने स्थान पर विराजे। माननीय सदस्या बोल रही है, डिस्टर्ब होता है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): यमुना नहर परियोजना के अन्दर जिस तरीके से एमओयू किया गया, आनन फानन में शायद वह एमओयू हुआ था, क्योंकि लोक सभा के चुनाव सिर पर थे। हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा करी कि एमओयू हो गया, चार महीने के अन्दर उसकी डीपीआर बन जाएगी। मैं तो नाटक कहूंगी, कुछ अधिकारी झुन्झुनू गए, कैमरा लेकर, नापतोल का पूरा सामान लेकर, कभी अख़बार में उनके फोटो आ रहे हैं, इधर से फोटो खींच रहे है, इधर नपती कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जो वित्त मंत्री के रूप में भी थे, उन्होंने जब अपना बजटीय भाषण दिया, यमुना जल राजस्थान में कैसे जाए, उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि हमारा एमओयू राजस्थान के साथ हुआ है। उसके बाद उन्होंने यह कहा कि जो बारिश का पानी आता है, जिससे बाढ़ की सम्भावना रहती है, उस पानी को हम एकत्रित करेंगे, तकरीबन वह 24 हजार क्यूसेक्स पानी है। उसमें सबसे पहले अगर हरियाणा के अन्दर जो तीन-चार ज़िले हैं, जिनमें बिलकुल पानी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है, पहले उसका पानी हरियाणा के अन्दर काम में लेंगे अगर बचता है तो हम राजस्थान को देंगे। उनका यह स्टेटमेंट उनके इस्तीफ़े का कारण बना, उनको तत्काल हटा दिया गया और नया सीएम हरियाणा में बना, क्योंकि लोक सभा के चुनाव सिर पर थे। ना बजट के अन्दर यह कहा कि राजस्थान की सीमा तक हम कितनी किलोमीटर पाइप लाइन डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे, इसका वर्णन भी उन्होंने अपने बजट में नहीं किया।

हमारे अध्यक्ष जी सही कह रहे थे, यह यमुना नहर का पानी झुन्झुनू, चूरू, सीकर को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीने का पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय, इस पर जब आप जवाब दें क्योंकि यह जल संसाधन मंत्री का काम है, लेकिन इससे पेयजल की व्यवस्था होगी, तो हम जानने के लिए उत्सुक है कि आप सिर्फ पेयजल के लिए ही पानी लाएंगे या सिंचाई के लिए भी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट चाहूंगी। सबसे बड़ी बात है वह जेजेएम की बात है। मंत्री महोदय, जेजेएम के अन्दर हमारे मलसीसर में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना बनी, उसका डैम बना और तारानगर से वहां पानी आ रहा है। उस डैम की 6200 एमएल की क्षमता है और हमें तकरीबन 47 क्यूसेक्स पानी इसके अन्दर मिलेगा। जब यह योजना लेकर आए तो उसके अन्दर मंडावा विधान सभा जिसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र, झुन्झुनू का शहरी क्षेत्र, उसके अन्दर खेतड़ी, सूरजगढ और उदयपुरवाटी को पानी देने की बात कही गई थी, अब आप लोगों ने

उसके अन्दर पिलानी व नवलगढ़ को भी जोड़ दिया। मलसीसर के अन्दर जो डैम बना हुआ है, वहां मलसीसर को खुद को पानी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी त्रासदी की बात यह है कि जहां पर डैम बना हुआ है, उस पूरी ग्राम पंचायत को पानी नहीं मिल रहा है। कभी कहते हैं यह अरबन में नहीं आती, कभी कहते हैं रूरल में नहीं आती।

श्री सभापतिः अपने स्थान पर विराजें। छगनसिह जी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आपके वित्त विभाग के अन्दर टेंडर हुए पड़े हैं। सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि वित्त विभाग से कब तक वह फाइल आ जाएगी, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी योजना है केन्द्र सरकार की। जेजेएम के तहत उसके अन्दर टेंडर हुए थे।

मंत्री महोदय, आपने बजट में दो साल के अन्दर 10 ट्यूबवैल, 20 हैण्डपम्प दिए हैं। कम से कम एक साल के अन्दर 15 तो दे, क्योंकि गांवों की स्थिति बहुत खराब हो रही है, वहां पीने का पानी नहीं है। कुएं सूख गए हैं। आप ड्राई के अगेन्स्ट के अन्दर भी नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से गांव के लोग..

श्री सभापतिः विराजिए।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): किसान, ग्रामीण लोग किस तरीके से पानी की व्यवस्था करेंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री छगनसिह।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पेयजल सम्बन्धी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी यमुना जल समझौते पर लक्ष्मणगढ़ से आए विधायक, माननीय सीकर से आए विधायक चर्चा कर रहे थे।

श्री सभापतिः माननीय श्रवण जी, माननीय श्रवण जी, यह स्कूल की क्लास थोडे ही है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): मैंने भी इस समझौता के बारे में पढ़ा। मैंने देखा कि इसमें 577 एमसीएम पानी देने का समझौता हुआ है। मैंने 577 एमसीएम का हिसाब लगाया कि यह कितना पानी होता है, मैंने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि 20 हजार 376 एमसीएफटी पानी होता है। मैंने कैलकुलेशन देखा, हमारे जवाई बांध का तीन गुणा। एक जवाई बांध 7200 एमसीएफटी और तीन गुणा पानी, यमुना जल समझौता के तहत मिल रहा है।

मैंने यह भी पता किया कि सिंचाई करनी हो तो इस पानी से कितनी कर सकते हैं। पता चला कि 8 लाख 15 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। अगर पीने का पानी प्रतिदिन देना पड़े तो कितनी आबादी पानी पी सकती है, तो करीब 2 करोड़, 15 लाख आबादी पानी पी सकती है, खाली यमुना जल समझौता से।

माननीय, मैं मुख्य मंत्री जी को खूब-खूब धन्यवाद देना चाहूंगा कि शानदार तरीके का समझौता किया है हरियाणा वाला। विषय जो बजट घोषणा में हुआ है, उसकी भी चर्चा हमें

समय पर करनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा ने भी इसकी चर्चा अपने बजट में की है।

VPS-RTM-01.08.2024-15.00-2j

भले ही वह छोटे से शब्दों में की हो, लम्बे शब्दों में अपना राजस्थान का बजट होता है तो लम्बे में करेंगे, हरियाणा की अगर बात है तो छोटे में कहेंगे कि हमने राजस्थान से समझौता किया है।

दूसरी बात, ई.आर.सी.पी. की मैं बात करता हूं। चुनावों से पहले जो अभी विपक्ष में बैठे हैं, वे माननीय पहले सत्ता पक्ष में थे तो कहते थे कि मोदीजी ई.आर.सी.पी. की घोषणा नहीं कर रहे हैं, यह समझौता नहीं हो रहा है। जब माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी ने ई.आर.सी.पी. का समझौता किया और 21 जिलों के लिए जो पानी की व्यवस्था की है और यह जो व्यवस्था करने के लिए जो सोच रहे हैं, इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं, इसका धन्यवाद देना तो अलग रहा, इसी पर आप राजनीति कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते। जब पेयजल के लिए इतना बड़ा, ई.आर.सी.पी. जितना बड़ा समझौता हुआ है तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। कुछ कमियां अगर हैं तो आप बतायें। उस दिन मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि आप बताओ न कि आपने कुछ किया हो, आपने कोई एम.ओ.यू. बनाया हो तो आप बताये। इसमें कुछ कमियां हैं तो आप बता दें लेकिन आप बताते नहीं हो और खाली इस सदन में बोलने का काम करते हो और इस विषय में खाली सनसनी फैलाने के लिए चर्चा करते हो तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप ऐसी चर्चा नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जालोर जिले की भी बात करूंगा कि जालोर जिले में जल जीवन मिशन के तीन प्रोजेक्ट चलते हैं। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने पूरे देश में एक यह बात रखी कि पानी पेयजल के लिए सबके पास जाना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, इसके लिए हर घर नल कैसे पहुंचे तो जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में भी व्यवस्था की और उसके तहत जालोर जिले में भी ईआर प्रोजेक्ट, एफआर प्रोजेक्ट और डीआर प्रोजेक्ट, ये तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो ईआर प्रोजेक्ट का काम है और एफआर प्रोजेक्ट का, जो कलस्टर की है, वह बहुत धीमी गति से चल रहा है। पिछले पांच वर्षों में तो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस एफआर और ईआर प्रोजेक्ट का काम शीघ्र से शीघ्र पूरा करायें जिससे हमारे क्षेत्र में हर घर पानी कैसे पहुंचे, इसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी और जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज भी जायेगा और जनता जो पेयजल की चिंता कर रही है, उसका भी समाधान होगा।

माननीय मंत्रीजी, एक विषय और है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपको यह कहना चाहूंगा कि पेयजल के लिए केन्द्र सरकार ने 50 लीटर का एक मापदंड तय किया है कि 50 लीटर पानी प्रतिदिन हर व्यक्ति को देना चाहिए, अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा है कि 50 लीटर तो किसी भी सूरत में पानी मिलना चाहिए इसके लिए प्रावधान बनाये हैं। मैं राजस्थान की जल नीति के लिए भी आपको यह बताना चाहूंगा कि यह 50 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में है। अरबन क्षेत्र में 135 लीटर है और रूरल में 50 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है तो अब जब पहले अलग विषय था, जब घर में व्यवस्था कम थी, गांवों में पानी की उपलब्धता थी लेकिन अब हमारे यहां पर जैसे राजस्थान के जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा जैसे जिलों को अगर देखें तो वहां पर भू-जल है ही नहीं और अगर हम 50 लीटर की ही बात करे तो वहां पर पशुपालकों के लिए जो पशु घर में रखते हैं तो उनके 50 लीटर से क्या होगा? पशुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशुओं के लिए भी प्रावधान करें और इस 50 लीटर की जगह इसको भी गांवों में भी 135 लीटर आप राजस्थान सरकार के द्वारा करायें क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। सबकी ही पानी की इतनी खपत होती है। ऐसा नहीं है कि शहरों में ज्यादा खपत होती है और ग्रामीण इलाके में कम होती है। अब तो सबकी ही ऐसी के ऐसी ही आवश्यकता है। सबके वहां पर भी ऐसे ही मकान है। उलटा मैं तो यह कहूंगा कि शहरों में रहने वाले तो सिर्फ पति-पत्नी ही आते हैं यहां पर और अपने दो बच्चों को ही लेकर आते हैं पर हम तो साहब, वहां पर संयुक्त परिवार में रहते हैं, पन्द्रह-पन्द्रह लोग एक साथ में रहते हैं तो उनको तो ज्यादा पानी चाहिए तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों की अपेक्षा, 135 लीटर आप शहरों में दे रहे हो तो गांवों में 150 लीटर देने की आप अनुकम्पा करायें, मैं ऐसा आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में बीस हैंडपम्प और दस ट्यूबवैल देने के लिए आपने घोषणा की है इसके लिए आपको धन्यवाद लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोलर पम्प की भी आज घोषणा करें कि करीबन दस सोलर पम्प प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में देने की घोषणा करें जिससे आने वाले समय में सोलर पम्प की भी व्यवस्था हो।

माननीय सभापति महोदय, मैंने वित्त मंत्रीजी का बजट पढ़ा तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो पानी के लिए, राजस्थान की जनता के लिए इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू की हैं, ये धरातल पर आएंगी और राजस्थान निहाल होगा। कई लाखों हैक्टेयर पानी सिंचाई के लिए जायेगा, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय प्रतिपक्ष के नेता से भी यह कहना चाहूंगा कि कुछ अच्छी बातों पर भी बात करें और आप सुझाव भी दें इसीलिए यहां पर पेयजल पर चर्चा हो रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः श्री नरेन्द्र बुडानियां। आप समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तैयारी तो मैं खूब करके आया था ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप तो सार में ही बहुत सारी बातें कह दोगे, साहब।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तैयारी तो मैं खूब करके आया था कि मैं राजस्थान की विधान सभा में आपको सुझाव दूं लेकिन फिर कभी दुबारा वक्त आयेगा तो देखेंगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान में पानी नहीं है और चिंता का विषय यह है कि दोहन भी हो रहा है। बड़ी-बड़ी शराब की फैक्ट्रियां, बड़ी-बड़ी बीयर की फैक्ट्रियां, आपके कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्टियां आज वह करोड़ों-करोड़ों यूनिट पानी ले रही है और वह इतना सस्ता पानी ले रही हैं और वह बेच रही है 20 रुपये बोतल तो आज सबसे बड़ी यह बात है कि इनको कण्ट्रोल करने की आवश्यकता है और इसी बिल के अन्दर जो आपने अभी विदड्रा किया है और प्रवर समिति को भेजा है, उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यही था।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पूरे चूरू जिले के अन्दर पानी की भारी समस्या है और इस गर्मी के समय में हाहाकार मचा हुआ है, सब जगह पर धरना, प्रदर्शन, कोई कसर नहीं रही लेकिन एक भी गांव में पानी सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पाया। जनता में भारी रोष है। मेरे विधान सभा क्षेत्र तारानगर में भी यही हाल है जो पानी हम एक दिन छोड़कर एक दिन गांवों में देते थे, मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूं कि वह पानी दस से पन्द्रह दिन में एक बार पानी जाता है। क्या हालत होगी लोगों की? मजे कर रहे हैं टैंकर माफिया। आज वह ही पानी, वह ही सप्लाई का पानी टैंकर माफिया कहीं से छेद करके वह पानी लेते हैं और गांवों में सप्लाई करते हैं और लोगों को लूट रहे हैं तो उनको कण्ट्रोल करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक समस्या और बताना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में होगी यह समस्या कि जो प्रभावशाली लोग हैं, उन प्रभावशाली लोगों ने इल्लीगल कनेक्शन कर रखे हैं। अपने होटलों में कर रखे हैं, अपनी दुकानों में कर रखे हैं, अपने बड़े-बड़े ठिकानों पर कर रखे हैं तो आज एक अभियान चलाकर सब लोगों को यह निर्णय करना चाहिए कि हम तीन दिन, पांच दिन, सात दिन फोन बंद रखेंगे और आप अभियान चलाकर सबके कनेक्शन काटिये तो मैं यह समझता हूं कि इस बड़ी समस्या का समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे तारानगर में जे.जे.एम. के अन्दर पिछले टाइम में 350 करोड़ रुपये के टेंडर हुए थे और 350 करोड़ रुपये के वह दो बार टेंडर हुए लेकिन ज्यादा रेट होने के कारण वह टेंडर कैंसिल हो गये। हमने यह सुझाव दिया कि आप इस एक 350 की जगह आप इसको चार टुकड़ों में कर दीजिए तो ज्यादा प्रतिभागी आयेंगे, ज्यादा लोग भाग ले सकेंगे तो चार टुकड़े उसके सरकार ने किये, इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनका फिर टेंडर हुआ और फिर वह ही हाल हुआ, फिर वह टेंडर कैंसिल हो गये और फिर उन चार के टेंडर हुए, वह फिर कैंसिल हो गये और तीसरी बार जब टेंडर हुआ तो मात्र सिर्फ एक 110 करोड़ रुपये की मेरी स्कीम थी, उसके टेंडर हुए हैं तो मैं यह सरकार से निवेदन

करना चाहता हूं कि वह वर्क आर्डर के लिए, यहां पर वित्तीय स्वीकृति के लिए आयी हुई है तो आप उसकी तुरंत वित्तीय स्वीकृति भेजें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इन 350 करोड़ रुपये के अन्दर 23 बड़ी टंकियां बननी हैं, बड़े-बड़े डैम बनने हैं। आज पानी की चोरी हो रही है। आप मालूम करिये। हमारे भादरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज नोहर के अन्दर हनुमानगढ़ जिले से होता हुआ पानी आता है हमारा खुली नहर से पीने का पानी और वहां पर किसान उस पानी को चोरी करते हैं। वे ही लोग ठेका ले लेते हैं और वे ही उसको चोरी करवाते हैं। जो पानी स्वीकृत है मेरे क्षेत्र के लिए, जो क्षेत्र के लिए स्वीकृत है, उससे आधा पानी भी हम पीने के लिए नहीं ला पाते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह सारी नहर बंद करने का भी काम इसमें स्वीकृत है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही विकट समस्या है पीने के पानी की तो आज हमको बहुत ही ध्यान से इस पर काम करना चाहिए। एक दूसरे पर लांछन लगाने की बात नहीं है। आज जे.जे.एम. योजना बहुत ही अच्छी योजना है लेकिन आज इसको गम्भीरता से पूरा करने की आवश्यकता है।

SSY/RTM/01.08.2024/15:10/2k

आज एक योजना बनती है और 2 साल तक उसको हम क्रियान्वित नहीं कर सकते। एग्जीक्युट नहीं कर सकते। इससे जो योजना बनती है उसका खर्चा डेढ़ा हो जाता है। समय जाता है। धन जाता है, दुरुपयोग होता है।

सभापति महोदय, पारदर्शिता से, बहुत सख्ती से मंत्री जी आप कदम उठाइये। आपको भगवान ने यह विभाग दिया है। आप किसान परिवार से जुड़े हुए हो। आज किसान परेशानी में है। आज किसान तकलीफ में है। गरीब तकलीफ में है। पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इन टैंकर माफियाओं पर रोक लगाइये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। डॉ. जसवन्त सिंह यादव। आज तो संक्षिप्त में बोलना पड़ेगा सारगर्भित।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप कहो तो 2 मिनट में खत्म कर दूं।

श्री सभापतिः सारगर्भित, सटीक बातें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप कहो तो 2 मिनट में खत्म कर दूं।

श्री सभापतिः आप तो 2 मिनट में भी बोल सकते हो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारा जिला भी पहले जो ईआरसीपी से नहीं जुड़ा हुआ था, उसको ईआरसीपी में शामिल किया।

मैं, मुख्य मंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बजट घोषणा में आखिरी दिन, बहरोड़ शहर के लिए जो घोषणा की है, उसके लिए भी कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

अब मैं जल्दी ही बात खत्म करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण और

प्रमाणित भ्रष्टाचार है।

श्री सभापति: शांत रहें। माननीय सदस्य, वरिष्ठ माननीय सदस्य, विराजें अपने स्थान पर।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कांग्रेस सरकार का प्रमाणित भ्रष्टाचार है। जेजेएम के अन्दर आज 50 गांव प्यासे मर रहे हैं। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, वहां का जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और ठेकेदार, सबने मिलकर के जो तांडव किया है, ऐसा भ्रष्टाचार तो शायद कभी नहीं हुआ होगा, जो कांग्रेस सरकार के समय में हुआ कि ईडी ने आकर के उस बीड़े को उठाया तो कितना भयंकर भ्रष्टाचार मिला है।

अब मैं मंत्री जी से इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने, इनके जन प्रतिनिधियों ने किया, अधिकारियों ने किया, ठेकेदार ने किया। उन 50 गांवों के अन्दर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उनमें जो पहले ऑलरेडी स्कीमें चल रही थी, जेजेएम की पाइप लाइन या कोई भी काम करने के लिए तोड़ दी गई, खुदाई हो गई, सब कुछ अधूरा पडा हुआ है। अब उन गांवों के पास पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करता हूं कि उन गांवों ने क्या बिगाड़ा है?

कोर्ट में केस चला, उन्होंने तो कोर्ट में चार्ज शीट फाइल कर दी। कोर्ट कब फैसला देगा? कब क्या होगा? लेकिन उन गांवों के लिए कोई न कोई रास्ता निकालिये क्योंकि जेजेएम में कुछ नहीं कर सकते, वह तो कोर्ट में है। करेप्सन के अन्दर है। कम से कम उनके लिए रास्ता तो निकालिये। वहां की जनता ने तो कोई बुरा किया नहीं है।

मैं, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा क्षेत्र, खुद के क्षेत्र से ही लेता हूं, बहरोड़ क्रिटिकल जोन में आता है। अब 50 गांव तो वह बर्बाद हो गये। उनके लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढिये। अब जो 10-10 बोरिंग की बात आ रही है, उसमें तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। वह तो उस क्राइटेरिया में नहीं आ सकते क्योंकि कांग्रेस का करेप्सन, सज़ा भुगत रहे हैं वह। मेरे यहां क्रिटिकल जोन है। हैंड पंप कामयाब नहीं हैं। 10-10 बोरिंग से कुछ काम चलेगा नहीं क्योंकि 50 गांव वह बर्बाद हो चुके हैं।

दूसरा, एक गांव के अन्दर 8 लाख में बोरिंग हो जाता है। एक में 15 में भी नहीं होता है। आप वहां की फिजिकल वैरिफिकेशन कराकर, उसी अनुसार अपना बीएसआर बनाइये, उसी अनुसार आप एस्टिमेट बनाइये। जितना भी एस्टिमेट आये, उस अनुसार आप काम करिये। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि कांग्रेस सरकार जैसा आपके महकमे में तांडव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ना तो वह आपके अधिकारी बदले गये हैं, ना आपका और कुछ बदला गया है। उनके तो खून मुंह लगा हुआ है। इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप काबिल हैं। मेहनत करिये और हमारे क्षेत्र को पानी पिलाइये। इस भ्रष्टाचार की भेंट जो 50 गांव चढ़े हैं, उनके लिए कोई रास्ता निकालिये, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार। समय सीमा में अपनी बात कहें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): देखो, साहब, यह मत कहो। खड़ा हुआ नहीं, उससे पहले सीमा बांध दी।

श्री सभापतिः बैठ रहे हो? बोला, 5 मिनट तो बोलो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 2 मिनट तो ज्यादा देना। सभापति महोदय, मैं अपना भाषण रहिमन जी के दोहे से शुरू करुंगा।।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। सारगर्भित बात, कितनी बढ़िया बात बोलते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आये ही नहीं तो कोई क्या बोले। जानता ही नहीं है कुछ। जानेगा वही तो बखानेगा। जब किसी को मालूम ही नहीं है कि पानी क्या होता है? जल ही जीवन है करके, कुछ जानते ही नहीं हैं यह तो, गलती से मंत्री बनाया था, कुछ नहीं है।

श्री सभापतिः पर आप सारगर्भित बात करो। आप जाने कहां से कहां पहुंच जाते हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मैं अपना भाषण रहीम जी के दोहे से शुरू करुंगा। रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये ना उबरे मोती, मानस, चून। इनका अर्थ यह नहीं है, इनका अर्थ है कि पानी को बचाकर रखिये, बिना पानी के सब सूना है। पानी जाने के बाद मोती अपनी चमक खो देता है। चूना सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार सम्मान के खो जाने के बाद मनुष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस दोहे का यह मतलब है।

श्री सभापतिः आप अर्थ में मत जाओ। अर्थ तो सबको मालूम है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... अब सुनिये, सुनिये, बैठिये, क्या भाषण दे रहे हो? मौका मिला था ना आपको। दे दिया ना। कोई नहीं सुनेगा। बैठ जाइये। बैठिये।

श्री सभापतिः बोलिये माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 'मानव अपने हाथ ही मिटा रहा है तकदीर। आज कर रहा है बर्बाद जल, कल नहीं मिलेगा नीर।' 'अब तो पंछी भी नहीं सुना रहे राग, बिन पानी मर रहे हैं अब तो मानव जाग।' 'मानव जल जीवन का है मूल, बूंद-बूंद संभाल रखना यही है बस उसूल।' यह पानी का धर्म है।

हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। उसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पानी और वायु हैं। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन में सात सुखों में से एक सुख पानी का भी लिखा हुआ है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा पुत्र प्यारा, तीसरा सतवंती नार, चौथी हो घर में माया, पाँचवाँ राज में पासा, छठा सुख में है पड़ौसी, सातवां घर के पास में नीर। यह सात सुखों में से पानी का भी सुख है। इसको संभालकर रखना बहुत जरूरी है।

चाहे उद्योग-धंधे हों, चाहे कोई भी हो, पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं चलेगा। आप देखिये, पानी की दशा क्यों खराब हुई? यह मैं बताना चाह रहा हूं। पानी के लिए जल जीवन मिशन लागू किया। आनन-फानन में आईएएस अधिकारियों को बुलाकर के इसको लागू कर दिया। आईएएस अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन पानी के मामले में कम जानते हैं। बंगाल का आदमी आकर के कहे कि भीटको के होवे, बता देगा क्या? यह बहुत सारे आईएएस बंगाल में पढ़े हुए हैं। इनको यह नहीं मालूम कि खेत में जांटी क्या होती है?

तो इनको पानी का कैसे मालूम होगा कि पानी कैसे पैदा होगा? इसमें चीफ इंजीनियरों का साथ होना चाहिए था जो पानी के मामले में जानते हैं।

इन्होंने तो आनन-फानन में आईएएस ही आईएएस, बड़े होटलों में मीटिंग कर ली, उसमें योजना बना ली। योजना तो कौन देखेगा? ओएंडएम, ऑपरेशन एंड मेंटिनेंस कौन करेगा? इन्होंने यह भी नहीं देखा कि 50 परसेंट भारत सरकार ने पैसा दिया, 40 राजस्थान सरकार ने दिया और 10 जनता से लेना था। जनता एक रुपया दे नहीं तो अशोक जी ने अपने पास से कर दिये। करने से क्या हुआ कि उसका जो नियंत्रण था, वह एकदम पूअर था। उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। 2019 में योजना आई। 2024 में यह परिपूर्ण हो जानी चाहिए थी।

अब यह हमारे मंत्री जी के तो मरा हुआ सांप गले में डला है। 4 साल में यह हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि ठेकेदारों के हाथ में काम दे दिया। ठेकेदार पदम चंद अग्रवाल को ईडी ने पकड़कर यह कहा कि तुम्हारा अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है। क्या राजस्थान के मंत्री, राजस्थान के आईएएस, कभी ठेकेदार से पूछा क्या? उन सारे ठेकेदारों ने मंत्रियों को अधर कर रखा था। एईएन्स को भी अधर कर रखा था। आप देखिये, मंत्री के पास ठेकेदार बैठते हैं। ठेकेदार यह कहता है कि यह एईएन लगाना पड़ेगा तो वही लगाते हैं। यह एक्सईएन लगाना पड़ेगा, वही लगाते हैं। उसका नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण ठेकेदार करता है। ठेकेदार नाराज हो जाये तो मंत्री मर गया साथ में ही।

आप इस आचार, विचार, भाव, भावनाओं को बदलो। तुम्हारा ठेकेदार काम कर रहा है। तुम्हारा ठेकेदार यह कहेगा कि मेरे यह एक्सईएन लगना चाहिए तो वह एक्सईएन लगता है। हमारे यह एईएन लगना चाहिए तो वही एईएन लगता है और जब कोई एईएन अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसको ठेकेदार आकर के कहता है कि मंत्री जी, इसको बदलिये।

Spp/Rtm/01.08.2024/15:20/2l

मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने गड़बड़ी की वह आपको इस सदन में दिख रहे हैं क्या? जिस मंत्री ने पानी में गड़बड़ी की वह आपको सदन में दिख रहा है क्या, उसको टिकट भी नहीं मिला। फेल हो गया न। मैं उसके भी..(व्यवधान).. आप ज्ञान बांट रहे हो क्या? ज्ञान की दुकान लेकर आये हो क्या साथ?

श्री सभापति: बिराजिये माननीय सदस्य। श्री बाबूसिंह राठौड़। ..(व्यवधान).. (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया? मेरे को बोलने नहीं दिया।

श्री सभापति: पांच-पांच मिनट।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पांच मिनट दिये हैं क्या? फिर तो आपको देने ही नहीं चाहिये।

श्री सभापति: आपको बोला था। ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने तो पांच मिनट भी नहीं दिये, क्या हो गया? आप देखिये ..(व्यवधान).. बाबूसिंहजी, यह तो ऐसे ही बोलते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं मेरे को पांच मिनट और दिये हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आसन का आदेश है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह अच्छे आदमी हैं। मेरे को पांच मिनट दिये हैं। यह तो पहली घंटी बजी है न। दूसरी घंटी और बजेगी दुबारा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, बैठना है, खड़े रहना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इतनी देर में तो मैं बोल देता साहब। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आज महत्वपूर्ण विषय है। मजाक का विषय नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भारत में पानी देखिये 1.16 हिस्सा तो है जमीन का, 1.17 हिस्सा है नदी-नालों का, पर राजस्थान में तो क्या हिन्दुस्तान में ही पानी की दिक्कत आयेगी। 302 पंचायत समितियां हैं, जिनमें 295 पंचायत समितियां तो डार्क जोन में आ गयीं। इतनी स्थिति खराब हो गयी कि पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है। आज कोई आदमी नल के पास खड़ा हो जाता है और नल खोलकर दाढ़ी बनाने लग जाता है तो नल चलता रहेगा, दाढ़ी भी बनाता रहेगा।

श्री सभापति: सूरजगढ़ में कोई मांग रखनी हो तो बताओ। ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी, बात सुनना। आपको जिस तरह पहले धांधली हुई थी न, डेली ट्रांसफर होते थे। एक इंजीनियर काम करने की शुरूआत नहीं करता उससे पहले ट्रांसफर हो जाता था। तो काम करने दीजिये, जिम्मेवारी दीजिये। जो आदमी जिम्मेवारी से दो-तीन साल काम करेगा, उसकी लायबिलिटी होगी और वह उस काम को पूरा भी करेगा। ठेकेदारों के अधीन मत होओ और जितने भी ठेकेदार है न, उनके कामों की आप जांच कराइये, सब फर्जी प्रमाण पत्र लेकर बैठे हैं। कोई काम नहीं जानता है। अगर कोई ठेकेदार काम जानता हो तो वह यह काम नहीं करेगा, वह और जगह काम करेगा।

माननीय मंत्रीजी, जल जीवन मिशन में आपने इतना बड़ा जंजाल फैला दिया। आपके पास ढाई इंची पाइप भी अवेलेबल नहीं हैं। आज पूरे राजस्थान में एक भी गांव में आप जल जीवन मिशन योजना को चालू नहीं कर पाये। माननीय सभापति महोदय, मेरा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन बन्द कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा। हमने एक बात कही है-

जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कि आसमान कहां है।।

माननीय सभापति महोदय, तय कर ही लिया कि जनता को पानी पिलाना है, तो पानी पिलायेंगे। इसी कथन के साथ मैं माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे टाइम तो कम दिया।

श्री सभापति: बिराजिये। श्री बाबूसिंहजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रसिद्ध वैज्ञानिक कर्नल टॉड ने

कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। तीसरे विश्व युद्ध से हिन्दुस्तान को बचाने के लिये हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन अभियान शुरू किया। अभियान बहुत महत्वपूर्ण था। यहां कांग्रेस की सरकार थी, केन्द्र से 27 हजार करोड़ रुपये मिले, उसमें से मात्र 7 हजार करोड़ ही खर्च कर पाये, 20 हजार करोड़ रुपये उसमें बचत रहे। हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर धोरों की धरती है और ढाणियों में निवास करते हैं। वहां पर पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी ने विधान सभा क्षेत्र में घोषणा करके दो बड़ी वृहद जल प्रदाय योजनाएं देवाणिया से चाबा और गगाडी से आगोलाई- बालेसर की 2 आर डी 134, आर डी 159.5 योजनाएं बनायीं। 2001 की जनगणना को आधार बना 30 साल के लिये योजना बनी थी। यह योजना 2030 तक की थी। अब जब जल जीवन मिशन की योजना बनायी गयी तो प्रत्येक घर के लिये 35 हजार का प्रावधान रखा कि एक ढाणी को जोड़ने के लिये 35 हजार रुपये इसमें रखे जायेंगे। इस प्रकार से जब योजना बनी तो सतही जल की तो योजना बनायी नहीं गयी, ओ टी एम पी विलेज की योजना बनायी, गांव की योजना बनायी और उस गांव की योजना के अन्दर ट्यूबवैल खोदा गया। ट्यूबवैल में पानी खारा था, फ्लोराइड था, नाइट्रेट था और उसी पानी के लिये बड़ा जलाशय बनाया गया, चारदीवारी बनायी गयी, पम्पिंग स्टेशन बनाया गया और उसे जोड़ दिया गया। अब इतना सारा जो सिस्टम बना और पैसा कम पडा तो पाइप लाइन 70 प्रतिशत कम कर दी और 30 प्रतिशत पाइप रही जिससे ढाणियों में पानी नहीं पहुंचा। इस प्रकार की योजना बनायी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दोनों योजनाओं में संशोधन की जरूरत है। इसमें सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है इसलिये प्रत्येक घर में पानी पहुंचे और अन्तिम ढाणी में पानी पहुंचे इसलिये हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजनलाल जी के आभारी हैं कि आपने 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने के कार्य के लिये व्यय होगा। यह घोषणा बजट में की गयी। साथ ही, 20,770 करोड़ रुपये 6 परियोजनाओं के लिये बजट स्वीकृत किया, उसके लिये हम आभारी हैं। हमने हमारे यहां वैसे भी जो ढाणियां वंचित रह गयीं और जो राजस्व गांव योजना से जुड़ने से वंचित रह गये, उनके लिये फिर से डी पी आर बने, सर्वे हो और सर्वे व डी पी आर के आधार पर वापस योजना स्वीकृत हो, इसके लिये यहां पर योजना बनाकर भिजवायी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों योजनाओं के प्रस्ताव आपके पास आये हैं और आपने मुझे पत्र भी भेजा है। उसके अनुसार बालेसर की योजना है आर डी 159, उसमें करीब 153 लाख 90 हजार रुपये के प्रस्ताव और डी पी आर बनकर आयी है। मुझे विश्वास है कि इसको आप स्वीकृति देंगे और डी पी आर के आधार पर सर्वे होकर योजना बनेगी और हमारे धोरों में निवास करने वाले ढाणियों के लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही जो आगोलाई क्षेत्र है, उस आगोलाई क्षेत्र में भी एक राइजिंग पाइप लाइन लाकर उस पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिये PUK बिड निट नंबर एन आई टी नंबर 412023 - 2 हजार 470 लाख 69 हजार की पिछले सात महीने से पेंडिंग है और फाइनेंस विभाग में अप्रूवल के लिये रूका हुआ है। अगर यह तुरंत स्वीकृत हो जाती है तो हमारे इलाके में काफी सुविधा होगी और पानी का समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले पांच साल के कार्यकाल के अन्दर पानी का जो सिस्टम था, हम लोगों ने पिछली भाजपा सरकार में किया था, वह कोई सँभाला नहीं। जहां हमारे नलकूप थे और नलकूप संचालन हो रहे थे, वह पहले तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो रहे थे, उसके बाद में कांग्रेस सरकार के अन्दर जनता जल योजना, जलदाय विभाग के माध्यम से संचालित हुई। उनमें भी हमारे जो एम एल ए साहब थे या उनके जन-प्रतिनिधि थे, उनके माध्यम से कुछ नलकूप अपने चहेतों के लिये तो अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक और द्वेष भावना से 200 से ज्यादा नलकूपों की अनुमति नहीं मिली। आज भी उनका संचालन और संधारण हो रहा है। लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा है और वह सारे हमारे जोधपुर के अन्दर धरना देकर बैठे हुये हैं और मांग कर रहे हैं कि आज भी हमको 7,400 रुपये मानदेय मिल रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरा नहीं मिल रहा है, तो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ में ही जो पूर्व सरकार के समय जनता जल योजना से नहीं जुड़ पाये, उनको जोड़ने की मांग कर रहे हैं तो उनको भी आप जोड़ें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वह टैंकर व्यवसाय की है। जिस गांव में पानी जाता है, उससे पहले बड़े टांके बनाकर उसमें पानी लेकर उन्हीं के हक का पानी उनको बेचा जा रहा है। जब हम बात करते थे, शिकायत करते थे तो जन-प्रतिनिधि अधिकारियों को, ठेकेदारों को फोन करके कहते थे कि आज हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कमायेगा तो कब कमायेगा। इसके लिये ठोस नीति बनाने की जरूरत है। भयंकर अवैध कनेक्शन हो रहे हैं। अवैध कनेक्शन कट करके गन्तव्य स्थान पर अंतिम व्यक्ति की ढाणी तक और अंतिम घर तक पानी कैसे पहुंचे इसके लिये आपको व्यवस्था करने की जरूरत है।

इसके साथ ही मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी ट्यूबवैल खुदे हुये हैं, हम अभी ट्यूबवैलों पर निर्भर हैं। ट्यूबवैलों का संचालन और संधारण करने के लिये उनका भौतिक सत्यापन करने की जरूरत है। आज पानी गहरा चला गया तो नलकूपों को गहरा करना, उसमें केबल लगाना, उसमें स्टार्टर लगाना, उसमें वॉल चैम्बर बनाना और साथ ही O&M करके एक साल के लिये रख-रखाव के लिये ठेकेदार को देना, जिससे वह भी व्यवस्था हो और इसी प्रकार से O&M हैण्डपम्प के लिये भी करना। मेरा निवेदन यह है कि आप एक अभियान चलाकर सारे नलकूपों और हैण्डपम्पों को दुरुस्त करायें जिससे पानी की जो समस्या पिछले पांच सालों में हुई है, उनका समाधान हो सके। यही मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे डिस्कॉम के अन्दर विजिलेंस प्रणाली है। जहां कहीं भी चोरी होती है, विजिलेंस की पुलिस जाती है और चोरी को पकड़ती है तो क्यों नहीं जिला मुख्यालय पर आप थाना स्थापित करें या विभाग में ही एक विजिलेंस की चौकी लगा दें और पुलिस की अनुमति ले लें जिससे जहां अवैध कनेक्शन हैं और इस प्रकार के जल माफिया हैं, टैंकर माफिया हैं, जो अवैध पानी ले रहे हैं, खेती के लिये पानी ले रहे हैं और पानी पीने के लिये नहीं है, लोग बगीचे लगा रहे हैं और खेती के लिये काम ले रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।यही निवेदन करते हुये आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम। (अनुपस्थित) श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आदरणीय सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला और उनकी सरकार के ऊपर पर्दा डालकर इस पेयजल के अन्दर चर्चा में उन्होंने भाग लिया।

Jyg/rtm/01.08.24/15.30/2m

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, जेजेएम के वर्ष 2020-21 बीच में स्वीकृत 20 करोड़ रुपये टेंडर तीन साल में भी फाइनल वर्क ऑर्डर तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन टेंडरों के दोषी इंजीनियर्स पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। जेजेएम फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के दर्जनों मामलों की दर्जनों शिकायतें सबूतों के साथ हुई, कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। विभागीय जांच में दोषी कम्पनियों पर, इंजीनियर्स पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर, सीकर में जेजेएम के कार्यों में भ्रष्टाचार व फर्जी भुगतान हुआ। जांच में प्रमाणित हुआ लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। अवैध सब-लेटिंग एवं गलत जेवी फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी फर्मों द्वारा काम लेने के प्रमाणों की जांच हुई। दोषी माना लेकिन अधिकारियों और फर्मों पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 2018 में काम दिया गया और सरकार ने 1 करोड़ 94 लाख 85 हजार रुपये एकलिंगपुरा कलड़वास में दिए, कार्य में केवल 18 लाख 12 हजार रुपये ही खर्च हुए। बाकी 1 करोड़ 76 लाख 30 हजार रुपये का काम अभी तक नहीं हुआ। अब उसको क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, आज तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और अभी तक वो 2018 का काम बाकी है और उसके बाद में दुर्भाग्य यह है कि उस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसको काम दे दिया करोड़ों का और अभी तक उसमें एक भी काम चालू नहीं हुआ जेजेएम के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं इसमें मेरे पडौस के विधान सभा क्षेत्र मावली के भैंसला खुर्द में 1 करोड़ 62 लाख रुपये को काम दिया, शाहपुर मीणान, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये

का काम दिया, भीलों का खेड़ा, भैंसला कला और छोटा बल्लू का खेड़ा में 5 करोड़ 46 लाख रुपये का काम दिया। मनवा का खेड़ा के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 करोड़ 87 लाख 39 हजार रुपये का काम दिया, उसमें अभी तक उसमें एक में काम चालू नहीं किया, ऐसे ठेकेदार को काम क्यों दे रखा है मंत्री महोदय, इसके ऊपर जांच कराओ। 2018 से अभी तक वो काम पूरा नहीं किया और उसको ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उसको और तोहफा दे रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय कम दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी दोषी फर्मों पर कार्यवाही करें। कांग्रेस की सरकार के अन्दर खूब लूटपाट मची पर इस सरकार के अन्दर हमें उम्मीद है कि ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले और भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्यवाही हो। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपूतली, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा इत्यादि के अन्दर फर्जीवाड़ा हुआ, जांच भी हुई मगर उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई इसलिए मंत्री महोदय, इसके ऊपर संज्ञान लेकर इससे पूर्व सरकार की वास्तव में जो खामियां हैं, उनको उजागर करे और जनता जल योजना, जल जीवन मिशन को कामयाब करने के लिए पूर्व सरकार ने जहां पर उनके आदमी थे वहां पर बिना हिसाब-किताब किए लाइन बिछा दी और उनको कनेक्शन दे दिया और हमारे जो फेवर के आदमी थे उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिया। मंत्री महोदय, ऐसी जो कॉलोनियां छूट गई हैं, जो आबादी छूट गई है उनको पाइप लाइन बिछाकर ये जो मोदीजी की जो एक वास्तव में हमारी आम जनता को पानी पिलाने के लिए घर-घर नल योजना की जो योजना बनाई है उसका लाभ उनको मिले। कोई भी ऐसी कॉलोनी हमारी बचे नहीं इसलिए मैं कम बोलकर आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से कि ऐसे जो एरिया छूट गए हैं, उनको प्राथमिकता में लेते हुए आप उन पर मेहरबानी करें और मोदीजी की योजना को घर-घर तक पहुंचाएं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने जल पर वार्ता पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पूरे देश में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और आज जो इस प्रदेश में पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। माननीय सभापति महोदय, बड़े लोगों ने कहा है कि पानी की उपमा आंखों से दी गई है। अगर आंखों में पानी हो तो सब कुछ हो सकता है। समुद्र से ज्यादा भी पानी आंखों में होता है। माननीय सभापति महोदय, सरकार से और सभी विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सबको मिलकर और प्रदेश की जनता को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी होगी। देश में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 हजार रुपये की पानी की बोतल पीते हैं। हमारे माननीय सदस्य भी सब आरओ का पानी

पीते हैं पर गांवों की जो स्थिति है, गंदा और फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। फ्लोराइड युक्त पानी की जैसी स्थिति प्रदेश में है, आए दिन बीमारियां हो रही हैं। कितने लोग इससे बीमारियों ने ग्रसित होते हैं, यह आंकड़ा भी मेरे पास है। माननीय सभापति महोदय, सरकार के द्वारा जेजेएम स्कीम जो लाई गई है उसमें हम ट्यूबवैल नहीं करवा पाए, उससे पहले हमने टंकियां बना दीं, पाइप लाइनें बिछा दीं। वो टंकियां खराब हो चुकी हैं, उनमे दरारें आ चुकी हैं, पर पानी अभी तक उनमें नहीं भर पाया है। आपने इस बजट में 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल रखा है। अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 27 हजार करोड़ रुपये में से 7 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए, 20 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए। अब आपकी सरकार है, आप करिये।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

पानी की बहुत समस्या है, जिस एरिया से मैं आता हूं, उस एरिया के लिए पिछली वसुन्धराजी ने एक ईआरसीपी योजना बनाई और बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और उस ईआरसीपी का नाम पीकेसी कर दिया। उसका नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। वो आपकी योजना थी और आपने ही उस योजना को नाम दिया ईआरसीपी, हमारी सरकार ने उसको बदला नहीं और आपने उसका नाम चेंज करके 21 जिले जोड़ दिए, यह बहुत अच्छी बात है। उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाए। क्या एमओयू किया है, जनता इस बात से बहुत उत्सुक है। पूर्वी राजस्थान के किसान, आम आदमी यह सोच रहा है कि ईआरसीपी से हमको पानी मिलेगा। पर मुझे तो ऐसा विश्वास है कि इसका पानी नहीं आ पाएगा। जैसी बातें सदन में हो रही है, दस-पन्द्रह साल से लगातार चल रही है, ईआरसीपी का पानी आएगा, बहुत आंदोलन हुए, किसानों ने दिल्ली तक कूच किया, बहुत जगह गए पर ईआरसीपी सिर्फ कागजों में रह गई।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन का भी यही हाल हो रहा है। गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, टंकियां बनाई, पाइप लाइन डाली उससे गांवों में जो रोड बना रखे थे उन रोड को तोड़ दिया गया और सारी व्यवस्था खराब कर दी। एक तरफ ठेकेदार कहता है कि हमने पाइप लाइन डाले हैं इसलिए वो रोड खराब हुई है, वहां पर ग्राम पंचायतों से वो परमिशन लेते हैं, एनओसी ले लेते हैं, पेमेंट हो जाते हैं और उन रोड को आज तक ठीक नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि आप सुनिश्चित करें और ठेकेदारों से उन रोड को ठीक कराएं जो पहले आपके टाइम पर सड़क, सीसी रोड बनाई थी, उन सब सीसी रोड को खराब कर दिया, चाहे वो ग्राम पंचायत के माध्यम से बनी हो, चाहे एमएलए कोटे से बनी हो, चाहे एमपी कोटे से बनी हो, सारी रोडों को आपने खराब करने का काम किया।

MLS/RTM/01.08.2024/15:40/2n

इसके साथ ही, मेरा निवेदन रहेगा कि भू-जल की जो स्थिति है, मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं और मेरे इलाके में पानी है नहीं। उस एरिया को माड़ बोलते हैं। उसमें 10 हजार फीट तक भी नीचे पानी नहीं है, ग्राउंड वॉटर बिलकुल नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पानी निलकता भी है तो फ्लोराइड निकलता है। उसे अगर जानवर पी जाता है तो हाथों-हाथ मर जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी कांग्रेस सरकार फार्म पॉन्ड्स की एक स्कीम लायी थी। उस स्कीम में शुरू-शुरू में किसान को 5 हजार रुपये अनुदान दिया जाता था। उसके बाद 10 हजार किया गया, फिर 20 हजार किया गया। अब 40 हजार है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि उन फार्म पॉन्डों पर कम से कम 1 लाख रुपये का अनुदान किसानों को दिया जाये।

अगर हम अनुदान देंगे तो वह पानी सिंचित होगा। पानी को बहकर नहीं जाने दिया जाये तो उससे ही हमारी बहुत कुछ व्यवस्था सुधर सकती है। अगर पानी बहकर चला जायेगा तो कोई व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जैसे चम्बल एक बड़ी नदी है और बहुत सारे ऐसे स्कोप हमारे पास हैं कि हम पानी को कर सकते हैं। लिफ्ट परियोजना हमारे समय में वहां सैंक्शन हुई, उसे भी आगे बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसके साथ-साथ, एक गम्भीरी नदी है हमारे यहां, जो हमारे पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी नदी है। उस पर एनिकटों का निर्माण कराया जाये और टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में एनिकट बनेंगे तो ग्राउंड वॉटर बढ़ेगा। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री उदयलाल जी भडाणा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पानी पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह से जब पानी पर चर्चा हो रही है, इसी को लेकर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र माण्डल और थोड़ा बहुत मेरे जिले भीलवाड़ा के लिए बोलूंगा। माण्डल विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा शहर के चारों तरफ बसा हुआ है। वहां पर कॉलोनियां कटी हुई हैं, लेकिन उनमें पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, भीलवाड़ा के आसपास जितनी भी कॉलोनियां कटी हुई हैं माण्डल विधान सभा क्षेत्र में, उनमें भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये, क्योंकि वहां रोड बन गईं, नाले बन गये, सब बन गये, लेकिन पानी की थोड़ी समस्या है।

हमने जिला परिषद् की बैठक में भी कहा था और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर उन आसपास की कॉलोनियों में पानी पहुंचेगा तो अच्छा काम रहेगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में जनता जल योजना के द्वारा गांव-गांव, घर-घर नल लगने का जो अभियान था, उसमें घोटाला हुआ, घपला हुआ। जो भी वहां की ग्राम पंचायतें थीं, सरपंच था, योजना का

फायदा तो लिया, लेकिन पुरानी ग्राम पंचायतों में जो पाइप लाइनें थीं, उन्हीं में नल लगा दिये और उसका पैसा और भुगतान उठा लिया गया। उससे न तो पानी पूरा हो रहा है, न गांवों की समस्या खत्म हो रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में पानी आने के दो-तीन स्रोत हैं। भैंसरोडगढ़ से चम्बल पाइप लाइन के द्वारा 120 किलोमीटर लम्बा पानी भीलवाड़ा में आता है। उसमें करीब 200 एमएलडी पानी भीलवाड़ा में पहुंचता है।

उस पानी का स्टोरेज मेरे ही गांव पालड़ी में है। उस 200 एमएलडी पानी से पूरे जिले में सप्लाई होती है, भीलवाड़ा शहर में भी होती है। पहले मेजा बांध से भीलवाड़ा शहर में सप्लाई होती थी और ककरोलिया घाटी से शहर में सप्लाई होती थी। जैसे ही चम्बल का पानी आया, उन दोनों योजनाओं को बन्द कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, कुछ-कुछ पानी मेजा बांध और ककरोलिया घाटी जिसकी पाइप लाइन डली हुई है, से लिया जाये। उसका जो पानी बचता है, वह ग्रामीण इलाकों में दिया जाये, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आये दिन बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर पानी जाता भी है तो पुरानी पंचायतों की पाइप लाइनों में कनेक्शन करने पर वह टूट जाता है।

अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका घर पहले आता है, उसने बड़े-बड़े छेद कर लिये, बड़ी-बड़ी मोटरें लगा लीं, उसके यहां पानी फुल आ रहा है, टैंक भर रहा है, फसल बो रहा है, गार्डन लगा रहा है, पेड़-पौधे लगा रहा है, लेकिन जो टेल पर लास्ट में गरीब किसान रहता है, उस तक पानी नहीं पहुंचता है। पानी की व्यवस्था समुचित रूप से अच्छी की जाये। शहर में थोड़ा कम करके, क्योंकि वहां के दो स्रोत हैं, गांवों में अगर पानी दिया जाये तो अच्छा रहेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 एमएलडी पानी है, लेकिन उसमें से 16 एमएलडी पानी ही पहुंचता है। 4-5 एमएलडी पानी अगर बढ़ जाये तो गांव की जो छोटी-मोटी समस्याएं हैं, वे ठीक हो जाएंगी।

मेजा बांध में कुएं खोदकर माण्डल ग्राम और मेजा दो-चार-पांच बड़े-बड़े कस्बों में पानी देते हैं, उसमें सीमेंटेड पाइप लाइन को बदलकर लोहे की पाइप लाइन डाली जाये, जिससे माण्डल जो सबसे बड़ा कस्बा है, आधा पानी उधर से आ जाये, आधा चम्बल से आ जाये तो यह भी एक समस्या है, अगर लोहे की पाइप लाइन डाली जाये तो समस्या मिट सकती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप भैंसरोडगढ़ से पानी ला रहे हैं और उसका स्टोरेज कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी समस्या लाइट की भी आ रही है, जैसे कि भैंसरोडगढ़, तिलस्वा और भूजरकलां में लाइट की थोड़ी कमी के कारण पानी कम पहुंचता है। भीलवाड़ा का जो स्टोरेज है तेलीखेड़ा गांव, उसमें लाइट का 132 जीएसएस का निर्माण किया जाये।

मैंने यह लाइट विभाग वालों से भी निवेदन है कि आप भी एक चिट्ठी लिखें। 132 जीएसएस का अगर वहां लगेगा तो पूरे जिले में पानी की बराबर सप्लाई होगी। लाइट और पानी दोनों मिक्स हैं। भैंसरोडगढ़ से पानी को लिफ्ट करना है तो लाइट की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

श्री सभापतिः अपनी बात समाप्त करें।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): लाइट होगी तो पानी भैंसरोडगढ़ से यहां आयेगा और यहां से फिर क्षेत्र में जायेगा। इसी तरह तेलीखेड़ा से पूरे जिले में सप्लाई होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक मेरे यहां ग्राम पंचायत लुहारिया है, वहां पर भी पम्प सैट लगा हुआ है। वहां 6 घण्टे की लाइट आती है। वहां अगर अपने विभाग द्वारा इस लाइट कनेक्शन को 24 घण्टे किया जाये तो आधी समस्या इससे भी खत्म हो सकती है।

विधान सभा क्षेत्र की सभी पुरानी पाइप लाइनों को हटाकर नयी पाइप लाइनें डाली जाएं जिससे कि लोगों को राहत मिले। जिन लोगों ने बड़े-बड़े छेद करके, वैसे हम लोगों ने अभियान चला रखा है, आपके विभाग के अधिकारी भी हमारी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रभावशालियों के हमने कनेक्शन काट दिये, कोई दो-दो इंच का ले रहा है, कोई चार-चार इंच का ले रहा है। कोई अपनी फसल बो रहा है, उन सबको करके आपके विभाग वालों ने मदद की।

सही कहा बाबूसिंह जी ने, जो पानी की चोरी करते हैं, उनके लिए लाइट विभाग और पुलिस विभाग की तरह एक विजिलेंस टीम बनाएं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापतिः श्री अमीन कागजी।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): उसमें भी पुलिस अधिकारियों का सहयोग रहे और जो गलती करें, उन पर जुर्माना लगाकर पैसा वसूला जाये और उन्हें दण्डित किया जाये। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय सभापति महोदय, आपने जल संरक्षण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयपुर शहर का जल स्तर आज बहुत नीचे चला गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर में 1981 से पहले जो वॉटर टेबल था, वह 40 से 60 फीट के करीब था, लेकिन उसके पीछे एक कारण था कि जयपुर की सराउंडिंग रामगढ़ बांध, अमानीशाह का बंधा, महारानी फार्म, कानोता बांध, गूलर बांध, मुहाना बंधा, ये सारे जल संरक्षण के क्षेत्र थे। यहां पर जो अमानीशाह का डैम था, उसमें नाहरगढ़ का जितना भी पानी आता था, उसे संरक्षित किया जाता था।

दुर्भाग्य से 1981 की बाढ़ में ये सारे बांध टूट गये। आज हम हजारों करोड़ की योजनाएं लाते हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इन बांधों को वापस रीहैबिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकारी जमीनें आज भी खाली हैं। अगर इन्हें रीटेनिंग वॉल करके पानी रोका जाये तो निश्चित रूप से जयपुर की वॉटर टेबल को वापस सुधारा जा सकता है। शहर में आज बीसलपुर के पानी की सप्लाई है। बीसलपुर की सप्लाई जब कभी बाधित होती है तो 2-2, 3-3 दिन तक जयपुर में पानी का त्राहिमाम मच जाता है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के पानी को संरक्षित करना, आज जयपुर में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हमने देखा, बहुत बारिश हुई,

लेकिन हम उस पानी को आज रोक नहीं पाये। अगर हम उस पानी को रोकने में सक्षम होते तो निश्चित तौर पर जयपुर का जल स्तर धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।

मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से दो-तीन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी पिछली सरकार ने मुख्य मंत्री बजट घोषणा में तकरीबन 165 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की थीं, जिसकी एएण्डएफ भी हो गयी और जिसकी टैक्निकल सैंक्शन भी हो गयी, लेकिन सरकार ने उन चार योजनाओं को जो 165 करोड़ की थीं, जिसमें पुरानी बस्ती की करीब 94 करोड़ रुपये की योजना थी, लक्ष्मीनारायणपुरी की करीब 34 करोड़ रुपये की योजना थी, घाटचौकड़ी, रामचन्द्र चौकड़ी की 21 करोड़ की योजनाएं थीं। इन सबकी सैंक्शन आप निकालें। सारे ईओ नोट सरकार के पास गये हुए हैं। दूसरी तरफ, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अमृत योजना के जो दो-तीन काम हमारे शहर में पिछली सरकार में हुए थे, वे काम अभी भी बाकी हैं। उनमें थोड़ी तेजी लायी जाये।

शहर में जो बीसलपुर से पानी आता है, उसके लिए स्टोरेज टैंक और बनाये जाएं, क्योंकि कभी-कभी जब बीसलपुर की सप्लाई बाधित होती है तो पूरा शहर जाम हो जाता है और पानी दो-दो, तीन-तीन दिन तक नहीं आता। स्टोरेज होगा तो आप सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं। इसकी आज बहुत सख्त जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध और उसके कैचमेंट एरिया को आज अख़बार में हम बहुत पढ़ रहे हैं कि सरकार बहुत चिन्तित है आपकी, लेकिन उसमें जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, रास्ते में जितना भी उसका कैचमेंट एरिया है, चूंकि ईसरदा बांध से इस रामगढ़ बांध को भरने के लिए हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर दी थी, इसमें तत्परता दिखाई जाये। इसी तरीके से कानोता बांध की तरफ ध्यान दिया जाये। आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

mkd/rtm/01.08.2024/15.50/2o

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

श्री अजय सिंह (डेगाना): सभापति महोदय, आज सदन में पेयजल पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं डेगाना विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरा जिला नागौर है। नागौर जिले में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी नागौर लिफ्ट योजना, नहरी पेयजल योजना लेकर के आईं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्ष होने के बाद अभी भी काम चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। इसकी ढंग से मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है।

मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, कि हमारी इस योजना के दो डिवीजन हैं, एक अधीक्षण अभियन्ता नागौर बैठते हैं, एक अधीक्षण अभियन्ता जायल बैठते हैं। एईएन, नागौर बैठते हैं, मेड़ता बैठते हैं, जायल बैठते हैं। डेगाना, जिसके चारों

ओर 200 गांव व 200 ढाणियों से अधिक में यह पेयजल योजना है। यह आपकी योजना है, यहां कोई अधिकारी नहीं बैठता है, जबकि एईएन के चार पद रिक्त हैं।

मेरा आपसे आग्रह है कि डेगाना तहसील में उपखण्ड मुख्यालय पर एक एईएन, जेईएन बैठे, भेरूंदा तहसील पर एक एईएन, एक जेईएन बैठें और सांजू तहसील में एक एईएन, जेईएन बैठें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के यह संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एल एंड टी द्वारा 108 ग्रामों की पाइप लाइनें बिछानी थीं, वह पूरा कर लिया गया है और काम पूरा करने के बाद में इन गांवों के संचालन और रख-रखाव का जो कार्य था, वह वीडब्ल्यूएस कमेटी को दे दिया गया, विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कमेटी का ना तो कोई वजूद है और यह कागजों में है। इसके लिए आप ध्यान दें। इसे ग्राम पंचायत को दें, ताकि इसका रख-रखाव, संधारण ठीक तरीके से हो सके।

इसको वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराये। पंचायती राज के द्वारा इसका जो फंड आता है, यदि आप नियमित रूप से देंगे, तभी यह मेंटेन होगा, वरना इसमें कुछ भी नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी जल मित्रों की भर्ती पंचायत राज के द्वारा की जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि पीएचईडी की योजनाओं के रख-रखाव के लिए, मेरा आपसे आग्रह है कि इन जल मित्रों को रोका जाये और इसके लिए उपखण्ड स्तर पर कमेटी बनाई जानी चाहिए, ताकि उसमें विधायक भी उसका सदस्य हो, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और विभाग का एईएन भी उसका सदस्य हो, ताकि यह ढंग से चले।

इसके अलावा एल एंड टी द्वारा जो कार्य किया गया, गांवों में जगह-जगह सड़कों को खोद दिया गया और खोदने के बाद में उनको ठीक नहीं करवाया गया। मंत्री जी, आप इसको भी देखें। मेरा मंत्री जी से एक आग्रह है कि जल जीवन मिशन के तहत डेगाना, जायल और नागौर विधान सभा क्षेत्र की 123 ढाणियों में रेट्रोफिटिंग का कार्य बार-बार निविदा स्तर तक जा चुका है, किन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस कारण से मेरे डेगाना विधान सभा क्षेत्र की 94 ढाणियों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसको मंत्री जी देखें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी उच्च जलाशय बनाते हैं, 50 केएल का, 100 का और डेढ़ सौ का, मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे क्षेत्र में 100 केएल का ही हमारे क्षेत्र में बनाये, ताकि वे ढाणियां भी उनसे जुड़ जाये।

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि एनएच 58 पर रोड क्रॉसिंग के कारण तीन मामले वर्षों से पेंडिंग चल रहे हैं, इसके कारण बूटाटी, चक ढाणी और रैण ग्राम के आधे हिस्सा को नहरी पानी पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए, आप अधीक्षण अभियन्ता

को व्यक्तिगत रूप से पाबन्द करें कि वे इसमें रुचि लेकर इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाये।

मेरी यह भी मांग है कि अभी 100 ढाणियों और गांवों में पानी का काम चल रहा है। पानी की समस्या को देखते हुए थ्री फेज के 25 ट्यूबवेल, 50 हैंडपम्प और 24 सोलर सिंगल फेज बोरवेल स्वीकृति करें। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि जो सोलर सिंगल फेज के बोरवेल हैं, वह ज्यादा से ज्यादा दे, ताकि उसका बिल भी नहीं आये और विभाग को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो।

अन्त में, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप शीघ्र नागौर जिले के विधायकों की एक बैठक जरूर बुलायें, क्योंकि न तो इसकी ढंग से मॉनिटरिंग हो पा रही है। इसमें आप डेगाना विधान सभा क्षेत्र, जायल विधान सभा क्षेत्र और मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के विधायकों को बुलायें और जब आप बुलायें तो इसमें अधिकारियों के साथ-साथ, जो इसके संवेदक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको भी बुलाये ताकि आमने-सामने बैठकर काम हो और जल्दी से जल्दी से इसका काम हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जीवाराम जी चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा तो इस बात से हम सभी पानी की वैल्यू समझ सकते हैं और भविष्य में इसके लिए हमारी क्या योजना है?

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में 2008 से नर्मदा का पानी आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं पिछली हमारी भाजपा सरकार को और उस व्यवस्था को जिन्होंने प्रयास करके, जो पानी 2015-16 में आना था, वह 2008 में सांचोर में लाकर सांचोर की जनता को लाभान्वित किया और उसके आस-पास गुढा और आस-पास के गांवों को भी उस पानी का लाभ मिला।

वर्तमान में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन का कार्य पूरे भारत में हाथ में लिया है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वैसे जल जीवन मिशन का मतलब तो यह था कि भाई हर घर में जल हो, हर नल में जल हो, हर घर में नल हो, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से टेंडर वगैरह देकर, जो आपाधापी की है और उसमें जो भ्रष्टाचार किया है, उसका आकलन अगर करने जाये तो मेरे लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में पूर्व की सरकार ने जल जीवन मिशन का कार्य मैसर्स जेसीकेसी और मैसर्स जीवीपीआरएल को दिया गया था, लेकिन दोनों कम्पनियों ने सरकार के इशारे पर भाजपा विचारधारा के परिवारों को उक्त योजना के तहत नहीं जोड़ा गया, क्योंकि दोनों उक्त कम्पनियों ने लोकल फर्मों को सब-टेंडर दिलवाकर भारी-भरकम भ्रष्टाचार कर भाजपा विचारधारा के परिवारों को वंचित रखा गया। साथ ही, तमाम जगह पर ऐसी जगह से पाइप लाइनें डाली गईं, जहां से वंचित परिवार फायदा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जल जीवन

मिशन के तहत वंचित रही ढाणियों और गांवों को पुनः जोड़कर फायदा पहुंचाया जाये, ताकि वे लोग भी पीने का शुद्ध पानी प्राप्त कर सके।

उच्च जलाशयों को भी उलटा सीधा बना दिया। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत भाटकी, एसआर पंचायत के पश्चिम में बनाकर पूर्व की सप्लाई का सिस्टम रखा, जो सरासर गलत है। पश्चिम से पूर्व की ओर सप्लाई में हमेशा कठिनाई होती है। कई जगहों पर मैन लाइन को जोड़ने वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सब स्टैंडर्ड पाइप जमीन में डाल दिये, जो कि जांच का विषय है। उन लाखों रुपये के पाइपों में भ्रष्टाचार हुआ है। ओरिजनल पाइप उच्च गुणवत्ता वाले बाजार में बेचकर लोकल पाइप डाल दिये। पंचायत समिति, चीतलवाड़ा में जेसीकेसी कम्पनी ने वहां के स्थानीय लोगों को पंचायत वाइज वर्क सबलेट किया था। जिस वजह से स्थानीय कार्य करने वालों ने राजनीतिक द्वेषता से भाजपा विचाराधारा के गांव, ढाणियों को छोड़ दिया और पाइप लाइन को उलटा सीधा करके घुमाकर डाल दिया।

जिसकी दूरी कहीं पर 01 किलोमीटर से भी अधिक है, ताकि उन लोगों को जल जीवन मिशन में पेयजल का लाभ नहीं मिला और कई जगह, गलत जगह या विवादित जगह पर बूस्टर प्रसारित कर दिया, ताकि हमेशा विवाद होता रहे।

उदाहरण के लिए, पुरोहितों की ढाणी दांता में बूस्टर सरपंच के खेत में लगा दिया, ताकि पुरोहितों की ढाणी को लाभ नहीं मिल सके, जिसकी मैंने शिकायत जेसीकेसी कम्पनी के अधिकारियों से की और उन्होंने उसमें सुधार करने का आश्वासन भी दिया। मगर अभी तक कोई सुधार नहीं किया है।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं, मैं इसके बाद खत्म करूंगा, यह लास्ट है। हमारी पीएचईडी की चार इंच की पाइप लाइन, जो एससी, एसटी की ढाणियों को और दूसरो ग्रामीण को पीने के पानी के लिए लगाई थी। सांचोर में एक थ्री स्टार होटल होटल कौशल के नाम से है। वह चार इंच की पूरी पाइप लाइन उसके टांके में खाली होती रही, पिछले दस साल से। अभी वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद हमारे एक पीएचईडी के ईमानदारी अधिकारी ने उस चोरी को पकड़ा और उस होटल को नोटिस दिया।

Bhs/Rtm/01.08.24/16.00/2p

इसी प्रकार से मैन लाइन में से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों कनेक्शन ले लिये कोई बग़ीचा पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है। इसी प्रकार सांचोर की जनता शहर की जनता पांच साल तक पीने के पानी के लिए तड़पती रही। मैं धन्यवाद देता हूं अभी की सरकार को कि जिन्होंने आने के बाद तुरन्त इस व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किये हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बात पर ध्यान आकर्षित करेंगे और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को जिन्होंने प्रत्येक विभाग में...।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है आप चालू करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अंकित से मतलब नहीं है व्यवस्था तो हो बोलना है तो आदमी बोलेगा कैसे। ...(व्यवधान)...

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): रह गया हो तो मैं बता दूंगा पड़ोसी हैं।

माननीय सभापति महोदय, समय की मर्यादा है इसलिये मैं सिर्फ 4-5 पाइंट ही अंकित कराना चाहता हूं नहीं तो ब्रीफ में बता देता और यहां सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य अभी जो बात कह रहे थे, कई बातें तो इनकी सत्य हैं मगर एक बात मैं इसमें आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि यह कोई कांग्रेस या भाजपा का कार्यकर्ता तक सीमित नहीं है वहां अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैन लाइन से कनेक्शन ले रखे हैं और पहले से कहते आये हैं। मैं भी कहता आया हूं कोई नयी बात नहीं है।

मैं दो-तीन चीजें इसमें आपके माध्यम माननीय मंत्री जी के समक्ष और सदन के समक्ष लाना चाहता हूं कि पहली बात तो है कि हमारे जालोर, सिरोही, सांचोर इन जिलों में माही का पानी लाने के लिए काफी समय से बात चल रही है। पिछले बजट में जो 2023-24 का बजट आया था उस बजट में उसकी डी.पी.आर. बनाने की बजट घोषणा हुई थी और डी.पी.आर. बनाने के बाद में उसको लूनी नदी का जो पानी है उससे जोड़ते हुए नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवा कर पश्चिमी राजस्थान को नहर कैनाल परियोजना के माध्यम से जोड़ने की बात करनी थी तो मैं समझता हूं मेरा निवेदन है कि उस डी.पी.आर. को आप जल्दी बनवायें, ताकि अगला बजट आपका आये तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उस बात पर हम लोग वापस आयेंगे।

दूसरी बात, जो माननीय सदस्य भी यहां बता रहे थे जल जीवन मिशन वाला, मैंने पहले भी यहां हाउस में कहा था कि वास्तव में पी.एच.ई.डी. की लाइनें तो आपने बन्द कर दी, लोगों को पानी मिलना बन्द हो गया ऊपर से आपने जल जीवन के जो काम हुए हैं उनमें लाइनों में फर्क पड़ गया, पाइपों के इंचों में फर्क पड़ गया, ढाणियों को बराबर जोड़ा नहीं, ढाणियों तक पाइप के कनेक्शन गये नहीं, बूस्टर आपने लगाये नहीं, मैन पाइपलाइन से उसको अभी तक जोड़ा नहीं है, पानी शुरू नहीं हुआ है तो लोग पानी कैसे पीयेंगे। यह पूरा गर्मी का जो सीजन गया है, लोगों ने अपनी खुद की हिम्मत से पानी पीया है। टेंकर व्यवस्था भी हम शुरू नहीं करा पायें तो जहां भी जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है मेहरबानी करके आप उस बहुत स्ट्रिक्ट होकर उस काम को कराओ अन्यथा लोग इतने बड़े आंदोलित होंगे, यह सरकार को भी सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जायेगा।

तीसरा, उसी से रिलेटेड है कि जल जीवन मिशन में आपने कमेटी बना दी गांवों की उसको प्रशासनिक पॉवर नहीं, वह किसी का कनेक्शन कटाने कमेटी जायेगी तो गांव वाला आपस में दुश्मनी क्यों लेगा। उसकी वजह से आपका सामाजिक सौहार्द और गांव का सौहार्द

भी खत्म हो सकता है। उन कमेटियों के बारे में आप ब्रीफ दे दोगे, इनको क्या पॉवर है, नहीं है तो आप प्रशासनिक कमेटी गांव में कर लो ताकि पॉवर का वो लोग उपयोग कर सकें।

चौथा, मेरा एक निवेदन है कि यह हमारे यहां जो नहरें आ रही हैं सिंचाई के लिए आप पक्की नहर नहीं ला सकते तो पड़ोस में गुजरात है वहां भी आपकी पार्टी की सरकार है अभी अध्यक्ष जी होते आसन पर तो उस बात को वो कहते, जब चर्चा हमारी हुई थी कि आप ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): गुजरात में तो आपकी ज्यादा चलती है।

श्री सभापति: प्लीज बोलिये, आपका समय कट रहा है।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, वो उठते हैं तो मैं बोल नहीं सकता।

श्री सभापति: आपको इधर देख कर बोलना है। वो तो कहेंगे, आप बोलते रहो।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि जिस तरीके से ...(व्यवधान)... तो माननीय मेरा निवेदन यही है ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी शादी कहां हुई है?

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): हां, बिलकुल आप सही कह रहे हैं। बिलकुल। मेरा आपसे निवेदन यही है कि जहां वहां कच्ची नहर की जो आपने यह सुजलाम सुफलाम योजना जो बना रखी है गुजरात में उसी योजना की तर्ज पर आप कच्ची नहर से हमको भी जो भीनमाल, रेवदर, रानीवाड़ा इनके इलाकों को भी आप जोड़ देंगे तो काफी काश्तकारों को फायदा होगा। दो अन्तिम लास्ट निवेदन है, एक-एक मिनट के जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन तो वैसे ही जो काम चल रहा है हमारे यहां वो धूल खा रहा है। इतना गलत कार्य हुआ है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और अभी जो माननीय सदस्य कह रह थे तो जो कम्पनियां काम कर रही हैं और उस काम को उस स्तर का नहीं कर पा रही तो आप उसको या तो ब्लेक लिस्ट करो या आगे काम मत दो। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि जो आपने 20 जून को फाइनेंस कमेटी की जो आपकी 884वीं मीटिंग थी फाइनेंस कमेटी की वाटर सप्लाई और सीवरेज पर उसके अन्दर आपने आपके एजेंडा 33,34 और 35 में आप डिस्क्वालिफाई करने के कारण देते हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर कारण देते हैं और उसको डिस्क्वालिफाई करते हैं, वो ठीक है चलो मामला, पर उसके बाद वापस जब आपकी 22 जुलाई की मीटिंग होती है उस 22 जुलाई की मीटिंग में उस पैरा को चैंज कर दिया और यह कह दिया कि फाइनेंस को भेज देते हैं तो आप डिस्क्वालिफाई कर रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। (अनुपस्थित) श्री श्रीचंद जी कृपलानी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति जी, एक मिनट लास्ट में

मेरा निवेदन है कि आप ...

श्री सभापतिः नहीं, अंकित नहीं होगा। श्री श्रीचंद जी कृपलानी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापतिः बोलिये। प्लीज सदस्य, आपका नम्बर आया तब आपने बोल लिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पेयजल पर सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय, रहीम दास जी ने कहा था 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे, मोती, मानस, चून।' सभापति महोदय, अभी जीवाराम जी कह रहे थे कि शास्त्रों में लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। उस युद्ध को रोकने के लिए हम सबको और मंत्री जी को प्रयास करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि राजस्थान के हमारे पी.एच.ई.डी. के मंत्री बहुत बढ़िया हैं। काम भी अच्छा कर रहे हैं और राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि आने वाले समय में राजस्थान में पानी की कोई समस्या नहीं रहे।

मुझे इस बात का गर्व है कि हिन्दुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पहली बार प्रधान मंत्री सड़क योजना बना कर हिन्दुस्तान के गांवों को सड़कों से जोड़ा और आज हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन बना कर हिन्दुस्तान के हर गांव, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए योजना बनाई लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, श्रवणजी आप कह रहे थे न कि दुर्भाग्य इस बात का है कि आप लोगों ने पांच साल में इस जल जीवन मिशन में ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपका समय बरबाद हो जायेगा। क्यों फालतू में, आप अपनी बात रखो। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। ..(व्यवधान).. इतने दिन आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं नहीं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः कर रहे हैं न, आप अपनी बात रख दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं का मैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः सम्माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अब आपको सहन ही नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय प्लीज। प्लीज। प्लीज सदस्य, अपना नम्बर आये तब आप बोलिये। मैं नहीं कह रहा हूं। सदस्य, आपका नम्बर आये तब बोलिये। आपको छूट है पांच मिनट में अपनी बात रख देना। आप बीच-बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ..(व्यवधान)..

सदस्य, मैं आपको हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपना नम्बर आये तब सारी बात रख दें। प्लीज, सदस्य बोल रहे हैं। प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र की, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो ये फिर खड़े हो जायेंगे इसलिये ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में दो-चार समस्याएं हैं। निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. में सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों को भरा जाये। विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पेयजल हेतु नवीन सोलर पम्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में मैंने मंत्री जी को लिखा है। निम्बाहेड़ा में पेयजल हेतु नवीन ट्यूबवैल लगवाने के बारे में लिखा है। निम्बाहेड़ा में जनता जल योजना के अन्तर्गत जो ट्यूबवैल के निर्माण करवाये गये हैं उनके बिलों का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका भी समाधान करें और कंटींजेंसी प्लान में जो राशि तय की गई है उस राशि का भी अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

इसी तरह शहरी क्षेत्रों में और कई मेरी समस्याएं हैं, कनारा घाटा क्षेत्र में और नव विकसित कॉलोनियां हैं निम्बाहेड़ा में उन कॉलोनियों में विस्तार हो रहा है। एक लाख की आबादी हमारे यहां हो गई है। वहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई और विशेष रूप से जल जीवन मिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार... फिर खड़े हो जायेंगे ये, और जो लापरवाहियां हो रही हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा मंत्री जी, उसकी आप जांच करें और निम्बाहेड़ा क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के समाधान के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में आर.ओ. प्लांट लगाने की स्वीकृति आप प्रदान करें

Kas/rtm/01.08.2024/16.10/2q

और निम्बाहेड़ा क्षेत्र के विभिन्न श्मशान घाट तथा समाधि स्थलों पर सौर ऊर्जा योजना स्थापित करें और जैसे सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है कि कम से कम 100-100 हैंडपम्प और 50-50 ट्यूबवैल हर विधान सभा क्षेत्र में आप लगाएं ताकि सब एमएलएज को भी राहत मिल सके और सबका भला हो सके, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक जी कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें राज्य में पेयजल की स्थिति पर बोलने हेतु समय प्रदान किया, धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम हम हमारे देश के युग पुरुष पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हैं कि आपने सबसे पहले नदी जोड़ो योजना में गंगा सहित 60 नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की थी। उसके बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने राजस्थान के सिरोही जिले के आबूरोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान से जल जन अभियान की शुरुआत की है। जल ही जीवन है, यह मात्र एक

परिकल्पना या किसी किताब की पंक्ति नहीं, बल्कि यह वर्तमान की हकीकत है, क्योंकि जल है तो उद्योग विकसित है, जल है तो खेती है, जल है तो जीवन सुरक्षित है। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर भारत का केवल 1% जल ही उपलब्ध है। राज्य का 61 प्रतिशत भू-भाग तो केवल असिंचित ही है, जहां कुल आबादी का 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। शहरों की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। भू-जल विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल, यानी 2025 तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत तमाम बड़े शहरों में पानी बचेगा ही नहीं। राजस्थान में हर साल बारिश और अन्य स्रोतों से जितना पानी रिचार्ज होता है, उससे वर्तमान में 149% ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। यानी भविष्य की बचत को आज ही खर्च किया जा रहा है। इस हेतु हम सब को ईमानदारी से सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, कुछ सुझावों से पूर्व मैं अपनी विधान सभा भीलवाडा की पेयजल परियोजना और आपूर्ति हेतु कहना चाहूँगा, आज से कुछ वर्ष पूर्व भीलवाडा में ट्रेनों के माध्यम से जल आपूर्ति होती थी, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा चम्बल परियोजना को स्वीकार कर आज भीलवाडा में जल आपूर्ति चम्बल के माध्यम से हो रही है, लेकिन आज वही जलापूर्ति भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इसको विचार में रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भीलवाड़ा के पानी की समस्या को समझा और बजट में माही बेसिन की जाखम नदी एवं बाँध के अधिशेष जल को फीडर के माध्यम से चित्तौडगढ़ और भीलवाडा के बांधों को भरने सम्बन्धी कार्य हेतु 7 हजार 100 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृत किया है, जिससे भविष्य में भीलवाड़ा में पेयजल सुविधा तथा लगभग 70 हजार हैक्टेयर सिंचित भूमि को इससे फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ एक निवेदन भी है की इस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए एक समझौता किया गया है। भीलवाडा में डार्क जोन के कारण नये उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। भीलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास और उपयोग के लिए सतही जल की आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र को भी इस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट से जोड़ा जाना चाहिए। भीलवाडा राजस्थान का एक विकासशील शहर है, जहां शहर के विस्तार के साथ सभी दिशाओं में आबादी का विस्तार हुआ है। इस नवीन आबादी में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्व में अमृत परियोजना अंतर्गत निजी कॉलोनियों को नहीं जोड़ा था, जिसे वर्तमान में अमृत- 2 परियोजना अंतर्गत जोड़ दिया जा रहा है। उक्त परियोजना वर्ष 2023 में बजट राशि 131.54 करोड़ के साथ शुरु हुई थी, आज एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अमृत-2 योजना की DPR नहीं बनी है। जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से उक्त परियोजना की लागत बढ़ने के कारण सरकार द्वारा भी परियोजना की लागत को बढ़ाया जाना चाहिए। शुरू में यहाँ निजी कॉलोनी में निवासरत को योजना के नियमों का हवाला देते हुए शामिल नहीं किया जा रहा

था। वहीं अमृत-2 में सभी निजी कॉलोनियो को योजनान्तर्गत शामिल करने हेतु बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। केवल किसी भू खंड पर निवास करने के कारण वहां के निवासियों को मूलभूत आवश्यकता से भी दूर करना बहुत बड़ी भूल थी, जिसे अमृत-2 में सुधार दिया गया है। परन्तु इसको नगरीय सीमा न करके पेरिफेरी तक बढ़ाया जाये, ताकि सभी लोग जो शहर में निवासरत हैं, उन्हें जल की उपलब्धता उपलब्ध हो सके। वर्तमान में उपलब्ध जल संसाधन आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाने से यह संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इस संकट के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं एवं कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

प्रदेश में पेयजल नदी नालों पर ही आधारित है, इनके रिचार्ज की व्यवस्था की जाना अतिआवश्यक है, इसके लिए वर्षा का पानी व्यर्थ नहीं बहे, इसके अतिरिक्त पेयजल की कमी को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। जिसमें वर्षा जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन एवं पुराने जल स्रोतों को फिर से भरने जैसे कार्य आवश्यक हैं। साथ ही जनता के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पानी के अपव्यय को रोकना एवं कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, वैसे हमारी सरकार पेयजल के प्रति गम्भीर व संवेदनशील है। यशस्वी प्रधान

मंत्री जी के निर्देशानुसार ईआरसीपी को पार्वती, कालीसिंध और चम्बल नदी जोड़ो योजना से लिंक करने पर चर्चा हुई। निःसंदेह यह परियोजना आने वाले समय में राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी।

श्री सभापतिः श्री समरजीत सिंह जी। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): 000

श्री सभापतिः श्री समरजीत सिंह जी।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, आज मैं आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पेयजल पर चर्चा रखी जो आज राजस्थान की सबसे बड़ी जरूरत की मांग है। अच्छा होता कि पेयजल के साथ बिजली भी साथ होती और बिजली व पानी के अधिकारी दोनों साथ बैठते। चूंकि पानी बिजली से जुड़ा हुआ है और आज राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत बिजली की चल रही है। पहले तो सरकार इस चीज को एंश्योर कर ले कि बिजली सप्लाई सही रहे, ताकि गांवों में पानी की सप्लाई भी सही ढंग से हो सके।

सभी ने बातें की, मैं मारवाड़ से आता हूं, तो मारवाड़ पर जाना चाहूंगा और मारवाड़ पानी की समस्या से हरदम जूझता रहा है। स्टेट टाइम में भी जवाई डैम जैसे बंधे बने। बीकानेर में भी गंग नहर जैसा प्लान हुआ और सरकारें आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर जैसी योजनाएं बनाईं। मैं जोधपुर में पला-बड़ा, मुझे इस बात का ध्यान है कि पानी की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। जवाई डैम से ट्रेन से पानी पाली और

जोधपुर को पहुंचाया जाता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्ववर्ती सरकारों का कि आज जोधपुर में हमें पेयजल की समस्या नहीं दिखती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज आवाज नहीं।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): मैं आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा, वर्तमान सरकार में जो डबल इंजन की बात होती है, सरकारें हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, गुजरात में भी है। मैं गुजरात का उल्लेख विशेष तौर पर इसलिए कर रहा हूं कि अभी रानीवाड़ा वाले विधायक ने भी यह जिक्र किया, गुजरात हमसे लगता हुआ है। नर्मदा केनाल से पूर्ववर्ती सरकार ने सांचौर और पूरे जालोर जिले को पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराई। डीआर प्रोजेक्ट, एफआर प्रोजेक्ट और अभी आहोर से आने वाले विधायक कह रहे थे कि आहोर नहीं पहुंचा, सचेतक जी बाहर चले गये, जालोर भी अभी तक नहीं पहुंचा, वह सब भीनमाल हो कर जायेगा। मेरे को तो एक संतोष है कि यह जालोर-आहोर वाले संघर्ष कर रहे हैं, तो इस सरकार को भी चेताते रहेंगे। पानी हमारे बीच से ही जायेगा, जब मेरे भीनमाल में ही नहीं पहुंचा, यह 2013 में सेंक्शन हुई और आज हम 2024 में पहुंच गये हैं, पर अभी तक उन पेयजल स्कीमों में कार्य की गति कमजोर है। मैं मंत्री जी से भी मिला था कि इस कार्य में गति लाई जाये, ताकि लोगों को फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध हो सके।

इसी तरह से मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जवाई डैम आज मारवाड़ का सबसे बड़ा डैम है, उसके डाउन स्ट्रीम में हमारे यहां बांडी सेंधड़ा बांध बना। उसकी डाउन स्ट्रीम का सारा पानी बंद होने से सब सूख गये हैं। अगर इनमें पानी छोड़ा जायेगा तो आधी समस्या तो आपकी वैसे ही निपट जायेगी। कुएं रिचार्ज होंगे, पानी बेरों में होगा तो सप्लाई का सिस्टम भी सुधरेगा। इसी तरह से बांड़ी-सेंधडा डैम 2006-07 में पूरा हुआ। जवाई डैम के बाद यह सबसे बड़ा मारवाड़ का डैम है और 7.65 मीटर का है। उसमें 1013 एफसीएमटी पानी पड़ा रहता है। उसके बनने के बाद आज दिन तक वहां पर इर्रिगेशन तो हुआ नहीं, पानी भर रहा है और मछली पालन के काम आ रहा है। भीनमाल शहर वहां से 10 किलोमीटर है, पूरा डाउन स्ट्रीम का इलाका वहां सूख रहा है। आप उसको पेयजल की स्कीम तो बनाइए, खाली वह मछली पालन के लिये पिछले 18 साल से काम आ रहा है। मेरा आपके मार्फत अनुरोध है कि यह किया जाये।

जल जीवन की बात आई, ठेकेदारों द्वारा जो काम किये जा रहे हैं, उनमें भी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं। ठेकेदारों का और पंचायतों का कोई कॉआर्डिनेशन नहीं है। एनओसी के लिये जाते हैं तो अपनी मनमर्जी से योजना को आगे बढ़ा रहे हैं।

Msk/rtm/01.08.24/1620/ 3a

आजकल एक बहुत बड़ी तकलीफ जो वीसी की समस्या है। हम किसी भी ए.ईएन. जे.ईएन., एक्स.ईएन. को फोन करें, चाहे पानी के अफसर को फोन करें, बिजली के अफसर को फोन करें, डीएसओ बोलता है कि साहब मैं वीसी में हूं। भई एक तो यह वीसी ने हमको

निपटा दिया। इसका भी कोई मापदण्ड होना चाहिए। महीने में एक बार वीसी हो, अधिकारी उसका जवाब दें, आपको भी यह पता होगा, क्योंकि हम फोन करते हैं तो साहब वीसी में हूं। वीसी में हो तो सुनेगा कौन? उच्च लेवल के अधिकारी बैठे हैं। इस चीज में एक कोई मापदण्ड तय होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी जीएलआर नर्मदा से जुड़ने हैं, उनको जल्दी से जल्दी से जोड़ा जाए। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री संजीव कुमार।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। इसमें आपने मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश के हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, हर घर को पेयजल से जोड़ने के लिए जल जीवन मिशन के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते और पिछली सरकारी उदासीनता के चलते राजस्थान प्रदेश इस योजना में पिछड़ गया। लगातार पिछली सरकार के समय जल जीवन मिशन योजना में..

सर, स्क्रीन पर मेरा नाम गलत चल रहा है, इसे सही करायें। साहब, यह हर बार गलत चलता है।

श्री सभापतिः स्क्रीन में नाम अंकित सही करें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): पिछली सरकार के समय इस जल जीवन मिशन योजना में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसमें बहुत बड़ी अनियमितताएं हुईं। माननीय सभापति महोदय, इस भ्रष्टाचार और अनियमितता से मेरा विधान सभा क्षेत्र भादरा भी अछूता नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस जल जीवन मिशन योजना में दलगत राजनीति के चलते और पिछली सरकार में शामिल तत्कालीन जन प्रतिनिधि के इशारे पर राजनीति द्वेषता के चलते, राजनीतिक रंजिश निकालने के उद्देश्य से अनेक ढाणियों को, अनेक घरों को जल के कनेक्शन से वंचित कर दिया गया। पानी के कनेक्शन और पाइपलाइन से उनको वंचित कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा विधान सभा क्षेत्र की उन वंचित ढाणियों और घरों को आप जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल से जोड़ने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ भादरा विधान सभा क्षेत्र में भी इस जल जीवन मिशन योजना में अमानक और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी विस्तृत जांच करवाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों और जो भी इसमें शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त से कार्यवाही कराने की आप कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल जीवन मिशन योजना में, गांव के अन्दर जो सीसी सड़कें थीं, इंटरलॉक सड़कें थीं और अनेक योजनाओं में बनी हुई सड़कें थीं, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया

गया। ठेकेदारों के द्वारा काम करते वक्त उनको तोड़ दिया गया। आज भी उन सड़कों की हालत ज्यों की त्यों पड़ी है। वे सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। उनको ठीक करवाने की गारंटी थी, उनको दुरुस्त करने की। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन सड़कों का भी पुनर्निर्माण करवाया जाये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आपने समय-सीमा में बांध रखा है। बोलने के लिए बहुत तैयारी के साथ आया हूं, लेकिन समय-सीमा में बंधा होने के कारण मैं भादरा विधान सभा क्षेत्र की एक छोटी-सी समस्या का जिक्र करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में दो ग्राम पंचायतें कुज्जी और कड़ाऊ ग्राम पंचायतें हैं, जो कि पेयजल की आपणी योजना, चूरू जिले से जुड़ी हुई हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): एक मिनट। वह इसलिए कि जब आपणी योजना में जोड़ा गया, उस समय पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन आज सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का पानी, रसालाना वितरिका के माध्यम से उसके नजदीकी क्षेत्र में आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उन दोनों ग्राम पंचायतों कुज्जी और कड़ाऊ को रसालाना वितरिका के पेयजल स्रोत से जोड़कर पानी की समस्या का समाधान करने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने इस राजस्थान प्रदेश की बहुत ही गंभीर समस्या पेयजल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जल जीवन मिशन योजना पर जाना चाहूंगा कि राजस्थान में अब फिलहाल भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन लंबे अर्से से चल रही है। अभी मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्या ने जो बात कही, उसी को मैं भी एक बार दोहराना चाहता हूं। सरकार अनुमोदित राशि 50 हजार करोड़ की जल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य मद की राशि को सरकारी आरडब्ल्यूएसएससी के माध्यम से अतिरिक्त ऋण लेने के लिए एक निगम के माध्यम से इस सारी जल योजना को उससे जोड़ना चाहती है। एक तरीके से इसको, जिस तरह से हमारी संस्थाएं निगम के रूप में पहले बनायी गयीं, जनता पर भारी भार होगा। बिल भरने में जनता असक्षम होगी। अधिकारी/कर्मचारी आज भी भय के साये में जी रहे हैं कि हम निगम के अधीन होंगे। हमारे जीवन के मूल्य पर, जब तनख्वाह मिलने का समय आयेगा, हम तकलीफ में रहेंगे। इसको निश्चित रूप से सरकार, माननीय मंत्री महोदय इसको सुचारु रूप से नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा मैं कह रहा हूं कि जल जीवन मिशन में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पर आना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले पीएसपी योजना से पानी दिया जा रहा था। 2016-17 में यह योजना आयी थी। उस पीएसपी योजना को जल जीवन मिशन से जोड़ दिया, जिसमें न स्टोरेज है, न भण्डारण की व्यवस्था रही, न ही नया पम्पिंग स्टेशन लगाया गया। लाखों-हजारों की संख्या में कनेक्शन जोड़ दिये गये, जिससे उसमें पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसमें अभी तक कार्य अधूरा

पड़ा है। ठेकेदार पर छह करोड़ की पैनल्टी लगा दी, जनता को उससे क्या लाभ होगा। पैनल्टी सरकार के खाते में आ गयी। जनता को कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण जल जीवन मिशन का लाभ नहीं मिल रहा है। टंकियों का निर्माण नहीं, भारी भ्रष्टाचार, पुरानी पाइप लाइनें जो पीएसपी योजना में थीं, ठेकेदार ने उन पूरी पाइप लाइनों को शामिल कर दिया और अपनी पाइप लाइन बचाकर भ्रष्टाचार करने का काम किया। नयी पाइप लाइनें जो जोड़ी गयीं, वे पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं। भ्रष्टाचार के आलम में चढ़ गयीं, इसलिए लोगों को पानी पिलाना बड़ा मुश्किल रहेगा। राजगढ़ शहर में इतने समय में एक शहरी पुनर्गठन योजना चालू की थी, उस शहर में 36 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था। 36 करोड़ रुपये में शहर की पाइप लाइन डालनी थी। सम्पूर्ण पाइप लाइन बिना प्लान उस शहर में डाल दी गयी। पूरे शहर को खोद दिया गया। आज उस पाइपलाइन का कोई लाभ नहीं। आधी पाइपलाइनों को मिलान तक नहीं हुआ। जांच करने के लिए मैंने व्यक्तिगत शिकायत लिखी है, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी जांच करके, जिस ठेकेदार ने, जिनअधिकारियों ने गलत किया है, उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, यमुना जल एमओयू जो हमारी शेखावाटी की बहुत बड़ी योजना है, जिसका सरकार ने 17.02.24 को एमओयू किया। चार महीने में एमओयू पूरा होना था। उस कार्य की डीपीआर के लिए बजट में घोषणा जरूर की है, लेकिन धरातल पर आज कुछ भी नहीं है। हरियाणा सरकार तो मना करने के लिए तैयार बैठी है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि अगर आप समय रहते इन चार महीने में कुछ नहीं कर पाये तो हरियाणा में सरकार बदल जायेगी और आपका एमओयू फेल हो जायेगा। हमारे शेखावटी के लोगों को लाभ नहीं मिल पायेगा। सभापति महोदय, मैं सरकार को एक बहुत बड़ी सलाह देना चाहता हूं। जल संग्रहण के बिना आप जनता को इन पाइपों के माध्यम से पानी नहीं पिला पायेंगे। इन अधिकारियों के प्लान से आप पानी नहीं पिला पायेंगे। मेरा सरकार को एक सुझाव है कि आप प्रोजेक्ट के रूप में लें। राजस्थान में गोचर भूमि हमारे पास पर्याप्त पड़ी है। आप बहुत बड़े-बड़े तालाब विद पायतन सहित बनाइये, उनकी चारदीवारी बनाइये। हर बरसात में भण्डारण होगा, संग्रहण होगा। हर गांव में बनाइये। हर गांव का पानी उसी गांव को सप्लाई करने का काम करिये। मैं कहता हूं कि राजस्थान के लिए यह जीवनदायिनी काम होगा। इस प्रोजेक्ट को आप किसी गांव में फलीभूत करके देख लीजिये। बड़े-बड़े क्षेत्र पड़े हैं, बड़े-बड़े पक्के तालाब वहीं बनाइये, उसी गांव को पानी दीजिये। अगर आप एक बनाकर देख लेंगे तो पूरे राजस्थान के लिए नये पानी का संग्रहण होगा, उत्पादन होगा।

mdp/rtm/01.08.2024/16:30/3b

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा की एक समस्या को बता रहा हूं। आपके जो प्रोजेक्ट हैं।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक ही मिनट में। हमारे रेगूलर एक्सईएन, प्रोजेक्ट का एक्सईएन और आपकी एनएलटी कंपनी, एनसीआई कंपनी, इनको आपने टुकड़ों में बांटकर एक ही विभाग को, एक ही तहसील को आपने चार टुकडों में बांट रखा है। जिसको भी कहते हैं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे उपखण्ड पर एक्सईएन ऑफिस है।

श्री सभापति: श्री विद्याधर सिंह।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पूरे के पूरे कार्य एक्सईएन ऑफिस, राजगढ़ के अधीन दिए जाए। कई विभागों में अलग-अलग नहीं बांटे जाएं। यह बहुत बुरी हालत है।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापतिजी, आज आपने जल पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि हम इस विधान सभा में 200 सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ कटु बात मैं मेरे पुराने साथी हैं, जो मेरी पार्टी की सरकार थी, उसके बारे में भी कहूंगा, क्योंकि सच्चाई कहना धर्म है इस मन्दिर के अन्दर आकर। लेकिन इनको भी पचाना चाहिए। आपको तो पचाने की जरूरत ही नहीं है, अपच हो रही है।

मंत्री जी हमारे इंजीनियरिंग से आते हैं। मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जल जीवन योजना जो बनायी, वह बड़ी गलत बनायी है। मैं तो ये कहूंगा कि बिना सोचे-समझे, बिना तथ्यों पर, बिना जानकारी किए और जो अधिकारियों ने बना दिया, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पहले सुनिए तो। जिन्होंने बनायी है, सेन्टर से भी बनी है, राजस्थान का भी योगदान है। ये भी सुन लीजिए आप, जब बात ही कर रहे हैं तो सेन्टर का योगदान था 41 हजार 441 करोड़ रुपया और दिया कितना 12 हजार 268 करोड़ और फिर कहते हैं जल जीवन चाहिए, भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार, किसने कलम पकड़ी है? आपके हाथ में कलम है, सीबीआई आपके हाथ में है। किसने पकड़ा है आपको? कार्यवाही करते नहीं हैं, ब्लेकमेल कर रहे हैं। सिर्फ सदस्यों को या मंत्रियों को हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करके दिखाइए। ये सदन देखना चाहता है कि जिसने भी करप्शन किया है, उसको खड़ा कीजिए। हम इस बात के पक्ष में है। लेकिन आप इस बात की दुहाई कब तक देते रहेंगे कि ये कांग्रेस ने कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आपने 12 हजार करोड़ रुपये दिये है, सेंट्रल सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान ने खर्च किये हैं 11 हजार 607 करोड़ और आपने दिये हैं 12 हजार 268 करोड़, बताइए। ये ऐसी जन योजना है कि पानी है नहीं और टंकिया और पाइप लाइनें बिछा दी और पैसा लग गया।

(समय बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

मैं इसका उदाहरण देता हूं, समझना कि बरात लेकर चल पड़े, दुल्हन का पता ही नहीं है। पानी है नहीं और लेकर चल पड़े कि जल जीवन को करेंगे। सबसे पहले तो उन अधिकारियों को संस्पेंड कीजिए जिन्होंने ये स्कीम बनायी। आप जेईएन पर, हम कोई बात उठाते हैं, जेईएन को सस्पेंड कर देंगे, एईएन को सस्पेंड कर देंगे, उससे क्या फायदा है? आप

मछलियों को पकड़ते हैं। मगरमच्छ को मारो। जिन अधिकारियों ने मीटिंग करके इस फैसले को लागू किया, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। वह पैसा गांव में कोई काम नहीं आया। लाइनें बिछ गयी, पानी का पता नहीं और दुल्हन लेने चले हैं। हम तो ले आए दुल्हन, आपको भी लानी है, लेकर बता देना।

सभापति जी, जिस दिन आप लोग राजस्थान में जल जीवन को सक्सेस करके हर गांव, ढाणी में पानी पिला देंगे, पूरे सदन को मैं दावत दूंगा। अब रही बात, आप जो खाएंगे, वह खिला देंगे। पीने का काम नहीं है। मैंने खिलाने, दावत देने की बात की है। पानी शुद्ध पिलाऊंगा। दूषित पानी नहीं। मंत्री जी,सुनिएगा, मंत्री जी तो गायब हो गये।

श्री सभापतिः सुन रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सुन रहे हैं। आ रहे हैं।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापति जी, मंत्री जी चले गये। पानी मंत्री की बात कर रहा हूं, आप तो विधान सभा चलाने वाले हो।

श्री सभापतिः आप तो आपकी बात बोलिए।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): मेरा टाइम मत खराब कीजिए। मुझे बोलना है। मंत्री जी, आ गये।

श्री सभापतिः खुद तो पानी पीना चाहते हैं। मंत्री जी को भी तो पानी पीने दीजिए।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): पानी जनता पिलायेगी। आप मत पिलाइए। देखिए जितना पानी का स्टोरेज, इसकी जगह तो आप भंडारण के लिए गांव में टंकियां और कुंड बनाते। टांका, जैसे हमारे जैसलमेर या बाड़मेर में टांका बनता है, अगर टांके का अनुदान देते हर परिवार को तो पानी की समस्या नहीं आती। (समय समाप्ति सूचक घंटी) यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापतिः बैठिए।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): मंत्री जी, ये मेरा सुझाव है कि आज भी आप जो गांव में मकान बने हुए हैं, उनको पैसा दीजिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): देखिए बोलने दीजिए। अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। आप बताइए क्या कह रहे हैं? श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण पेयजल पर चर्चा के लिए बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद व आभार।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, सोचने की बात है कि आज चिल्ला चिल्लाकर बहुत सारे सजेशंस दिए जा रहे हैं। आज इस सदन में अपनी आवाज

उठाकर भी बहुत सजेशंस दिए जा रहे हैं।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये सारे सजेशंस तब कहां थे, जब केन्द्र सरकार ने 27 हजार करोड़ रुपये दिये थे और आपकी सरकार ने सिर्फ 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किये। तब ये सजेशंस कहां थे? तब ये पाजिटिविटी कहां थी?

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। क्यों गला खराब कर रहे हैं? अंकित नहीं हो रहा है। खांसी जो जाएगी, विराजिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तब हम सदन में ये बात क्यों नहीं रख पाए थे कि हमारे जल जीवन का पैसा जो केन्द्र सरकार से आया है, वह क्यों खर्च नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, आज वाकई में सब सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी, अपनी समस्याएं रखी, पेयजल को लेकर। कहावतें बहुत सारी बोली गयी। मैं भी एक कहावत से अपनी बात चालू करना चाहती हूं। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सौ चूहे खाने के बाद आज बिल्ली हज को चली। यह सुनना इसलिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले पांच साल में जब पूर्ववर्ती सरकार थी, तब मौका था, तो भ्रष्टाचार करने का आरोप अगर किसी पर है तो कांग्रेस की सरकार पर है। जब 20 हजार के कांट्रेक्टस सडनली, आज कांट्रेक्टर्स की बात हो रही थी कि कांट्रेक्टर्स पर क्यों नहीं करते? 20 हजार करोड़ के कांट्रेक्ट्स आनन-फानन में दे दिए और सडनली बोला गया कि अब ये 20 हजार करोड़ के कांट्रेक्ट्स आप लोग साइन कर दें। प्रिंसिपल सेक्रेट्री जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं सदन में, उन्होंने साइन करने से मना किया, क्योंकि वे जानते थे कि उसमें से भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है और हमारी सरकार आते ही उस भ्रष्टाचार को रोकेगी। इसलिए चिल्लाने से सदन में बात नहीं होती। पेयजल पर हम बात कर रहे हैं। आराम से सदस्यों को अपनी-अपनी समस्या रखने का पूरा अधिकार है, हक है।

मुझे भी बहुत कम समय मिलेगा। इसलिए मैं अपनी बात बहुत शार्ट में रखते हुए कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार में जब हम इस बात को बार-बार नोटिस में ला रहे थे कि जल जीवन के काम पास हो गये, माननीय मंत्री महोदय, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कि कितनी जगह काम आज तक भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनकी सरकार में कांट्रेक्ट हो गये, 17 करोड़ के, 18 करोड़ के, तीन-तीन पंचायत के, अब जाकर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्री महोदय और इस सदन से कि आप लोग इतना चिल्लाकर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने हमारे मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर भाजपा सरकार बनते ही उन कांट्रेक्ट्स को आपने वापस जीवित करके पैसा अलॉट किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे खरबामण्या, कोटडी और काबरा पंचायत में जो आपने 17 करोड़ को वापस से जीवित

किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार है।

मंत्री महोदय, कुछ बातें, कुछ विषय मेरा आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से केलवा में हमारे पानी की आज भी समस्या है। जब बाघेरी का नांका हमारा बना था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पीछे से।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तब 11 हजार की जनसंख्या थी और आज वहां पर 30 हजार की जनसंख्या रह रही है। उनका जो पानी का प्रॉब्लम है, हमें वहां पर दो अलग-अलग टंकियों की जरूरत है। वह आप पेयजल में हमें जरूर दीजिए। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूं। डार्क जोन की बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके से डार्क जोन में आज भी पानी की बहुत समस्याएं हैं। मेरी माताएं, बहिनें, जब हमारे पास आती है कि हमें दूर-दूर से जाकर पानी लेना पड़ता है। टेंकर से सुविधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के अन्दर जब टैंकर व्यवस्था के अन्दर पानी जाता है तो आपस में लड़ाई-झगड़ा बहुत सारे इश्युज आते हैं। उस डार्क जोन में हम पानी की उपलबधता किस तरह से कर सकते हैं, इस पर भी आप विचार कीजिए।

Ans/rtm 16.40 3c 1.08.2024

लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जाखम डैम परियोजना से, कुछ गाँवों की पानी की समस्या वह आपने राजसमन्द में मिटाई। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वह प्रोजेक्ट दिया। आने वाले 2-3 वर्षों में उस प्रोजेक्ट से भी हमारे यहां पानी की समस्या का निराकरण हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय मैं एक और समस्या आपके सामने रखना चाहूंगी। कई गाँवों में पानी की समस्या इसलिए होती है कि बिल का पेमेंट नहीं हो पाता है। यह एक बहुत कॉमन समस्या है। गांव को लगता है कि पानी नहीं आ रहा। वह कहते हैं मैडम 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा। बिल नहीं भरने की वजह से मोटर का कनेक्शन कट जाता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया जाए कि इन टंकियों को, मोटर को सौर ऊर्जा के माध्यम से चयनित करके वहां सौर ऊर्जा लगाएं। बिल भी कम आएगा और गांव स्वावलम्बी हो सकेगा कि पानी का बिल है उसको पेमेंट कर सके।

माननीय मंत्री महोदय, एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। राजसमन्द एक ऐसी भूमि है जहां पर एक हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। झीलों की नगरी, पूरा मेवाड़, हम जानते हैं कि झील बने हुए हैं। हमारे यहां भी प्राचीन काल में बने हुए कई तालाब, कुएं और बावड़ियां हैं। अगर उन बावड़ियों की हम मरम्मत कर दे और उसमें थोड़ा सा पैसा देकर उनका जीर्णोद्धार कर दे तो पेयजल की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है।

हमारे सदस्यगण ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था, जिस बात का मुझे भी लगता है कि नई बिल्डिंग्स आएं। उस पर अगर हम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के ऐसे प्रोजेक्ट्स को बाध्य

करें तो उसकी वजह से भी...। मैं राजसमन्द की बात करूँ फ्लोराइड का पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि माइनिंग एरिया है। अंडरवॉटर, बहुत ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा उसमें हैं, जिससे आए दिन कभी घुटने का दर्द, कभी कोई दूसरी प्रोबलम्स होती रहती है। इसके अन्दर अगर हम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का अच्छा प्रोजेक्ट ला सके। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पर पहले सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन उनको भी ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, तो आप वह भी दिखाए कि हम उसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं।

एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। हमारे यहां कुरद, चौकड़ी, जीतावास, मोई, अमलोई और पिपलिया इसके अन्दर हम अगर एनीकट के माध्यम से दे सके। अमृत सरोवर योजना में, वहां सरोवर तो बने हैं लेकिन एनीकट के माध्यम से पानी का स्रोत बढ़ेगा। अगर आप इन पंचायतों में मुझे स्पेसिफिकली एनीकट दे सकें, मुझे पता है कि जल संसाधन मंत्री के अन्तर्गत आएगा, लेकिन मेरा काम पानी व भूजल की समस्या आपके सामने रखना है।

बाघेरी नाका से जो परियोजना है, उसमें एक शिकायत मैं आपके सामने जरूर दर्ज करवाना चाहूंगी कि बडाडा, भहाना, प्रतापपुरा, भावा,पिपलदा, डूमखेड़ा, तासौल, कैलवा, मादरा, सादड़ा, बोरज और मोचना, इन गाँवों के अन्दर पेयजल की बहुत समस्या है। बाघेरी नाक का पूरा पानी पर्याप्त नहीं होता है, तो इन पंचायतों के लिए, हम इसको जनजीवन से भी नहीं जोड़ सकते, इनके लिए स्पेसिफिक सरकार अलग से कोई स्कीम बनाए जिससे पानी आ सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगी कि हमें पोजिटिव चर्चा करनी चाहिए। पेयजल की समस्या दिखानी चाहिए लेकिन आरोप-प्रत्यारोप जिस तरीके से सामने वाले पक्ष से भी होते आए हैं, मैं बस यही कहूंगी कि हम आज जिस समस्या की बात कर रहे हैं, यह समस्या राजस्थान में बहुत लम्बे समय से चल रही है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में भी केन्द्र सरकार और डबल इंजन सरकार मिलकर हमारी समस्या को कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत कम कर सकेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: पानी पर बोलेंगे, पानी पर है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट। पानी के फिल्टर की मशीनें आज से 30-40 साल पहले गाँवों में लगाई थीं। लोहे की बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। 200 करोड़ की सामग्री गाँवों में जंग लग-लगकर पड़ रही हैं। सरकार का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि उन मशीनों को उठवाकर...

श्री सभापति: विराजिए। श्री हाकम अली।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार के यूज में तो नहीं आएंगी, लेकिन वह लोहा बेचा

जा सकता है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, आँख मूंदकर बैठे हैं, 30-40 साल से वह मशीनें खड़ी है। मैं निवेदन करुंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और तत्काल वह मशीनें एकत्रित करे। काम तो नहीं आएगी लेकिन लोहा बेचा जा सकता है।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पानी पर चर्चा के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। मंत्री जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने पानी पर चर्चा कराई। डिमांड में तो आप नहीं लाए लेकिन आपने क्वेश्चन का जवाब देते हुए खुद कहा था कि मैं पानी पर चर्चा कराऊंगा। इसका मतलब है कि आप पानी के लिए बहुत संवेदनशील हो।

पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सबको पानी की जरूरत है। सबके गाँवों में पानी की आवश्यकता रहती है। पिछली हमारी सरकार की बात करूँ, मेरे विधान क्षेत्र में पिछले पांच साल में पानी पर बहुत अच्छा काम हुआ था। लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर के लिए जे.जे.एम. की योजना 457 करोड़ रूपये की, कार्य स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए, आज की तारीख में अच्छी तरह से कार्य चालू है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय थोड़ी सी मॉनिटरिंग की जरूरत है। अधिकारियों से कहो कि उनकी मॉनिटरिंग करे। कहीं पाइप डाल जाते हैं, कहीं बीच में जगह खाली छोड़ जाते हैं, पानी चालू करते है तो किसानों के खेत में पानी बह जाता है, क्योंकि बीच में पाइप लाइन नहीं जोड़ते हैं ठेकेदार, यह लोग सबलेट कर देते हैं। सबलेट का वह ध्यान नहीं रखता। थोड़ी सी अगर उसमें मॉनिटरिंग करेंगे तो अच्छा पानी मिल जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 38 करोड़ रूपये का मेरे विधान सभा क्षेत्र में काम करवाया गया। लगभग 200 टयूबवैल खुदवाए गए, 90 हैंडपम्प लगाए गए और 10 सौलर पम्प व लगभग 40 किलोमीटर के करीब पाइप लाइन डाली गई थी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पानी की अभी पूर्ति नहीं हुई है। आज भी गाँवों में पानी की बहुत आवश्यकता है। कल मैं एक प्रोग्राम में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर आया हूं, गांव वाले बोल रहे थे कि साहब पांच दिन से पानी नहीं आया। कारण यह था कि कुएं के टयूबवैल की मोटर खराब हो गई। 3-4 दिन से उस टयूबवैल को ठीक करने के लिए लोग नहीं हैं। एक गांव में एक या दो सोर्स हो और उसमें वह टयूबवैल खराब हो जाए और उसको चार दिन तक ठीक नहीं किया जा सके तो मंत्री महोदय आपको पता है क्या होता है। गाँवों में 5-6 घंटे थ्री फेज लाइट आती है, उसमें ही वह 24 घंटे के पानी की पूर्ति करते हैं। इसलिए आप अधिकारियों से कहे कि जो टयूबवैल खराब हो जाए उनको तुरंत ठीक कराए। चाहे उसमें मोटर डालनी हो, केबल खराब हो, स्टार्टर खराब हो, जो भी खराब हो, उसको जल्दी ठीक कराए।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बजट अन्य स्रोतों पर खर्च कर रहे हो, मेरा निवेदन है कि आप कर्मचारियों की भर्ती करो। कर्मचारी तो रिटायर होते जा रहे हैं, कर्मचारी नहीं है डिपार्टमेंट में। भर्ती आपने नहीं की, चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो। कर्मचारियों

की भर्ती नहीं होने के कारण पानी का डिस्ट्रिब्यूट सही नहीं हो रहा। पानी बहुत है, ट्यूबवैल बहुत हैं, सोर्स बहुत हैं, लेकिन डिस्ट्रिब्यूट सही नहीं होता। एक गांव में एक ट्यूबवैल की जरूरत है, वहां चार ट्यूबवैल हैं, हम खुदाएं या आप खुदाएं, जहां एक की जरूरत है वहां चार खुदा दिए। उसका डिस्ट्रिब्यूशन सही तरीके से हो जाए तो एक ट्यूबवैल से उसको पानी पिला सकते हैं। इसलिए कर्मचारियों की भर्ती करो, चाहे संविदा पर लो। अगर आप परमानेंट भर्ती नहीं कर सकते हो तो संविदा पर रख लो। अगर कर्मचारी चलाएगा तो टाइम टू टाइम चलाएगा, सबको पानी बराबर आ जाएगा।

लिकेज के ठेकेदार है, रिपेयरिंग के ठेकेदार है, इनको आप कभी भी फोन करो, एईएन, एक्सईएन को फोन करो, माननीय प्रिसिंपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, वे एक ही रोजना रोते हैं कि साहब बजट नहीं है क्या करे। ठेकेदार बोलता है कि मेरे पैसे नहीं दिए। एक्सईएन, एईएन को फोन करते हैं तो वे यह बोलते हैं, पिछले पांच साल का मैं बता दूं, वह यह कह देते हैं कि सरकार आपकी है और आप पैसे नहीं दे रहे, हम क्या करे, कहां से पैसे दे। ठेकेदार को पैसे नहीं देंगे तो ठेकेदार काम कहां से करेगा। अगर कुओं व पाइप लाइन की लीकेज सही हो जाए और रिपेयरिंग टाइम टू टाइम हो जाए तो पानी की कहीं कमी नहीं रहेगी, सबको पानी मिलता रहेगा। डिस्ट्रिब्यूट, लीकेज व रिपेयरिंग आप यह काम बराबर करवा दो, पानी की कहीं कमी नहीं रहेगी।

गांव के अन्दर पहले ओपन वैल होते थे, उनमें क्या है पहले तो कुएं में जाने वाले आदमी मिल जाते थे, वह अन्दर जाकर मोटर ठीक कर देते थे, मोटर खोलकर बाहर ले आते थे लेकिन आज आपको 10 गांव में भी कोई आदमी नहीं मिलेगा कुएं के अन्दर जाने वाला। डिपार्टमेंट के पास है नहीं, गांव वाले ही किसी को पकड़ कर कुएं के अन्दर भेजते हैं। पहले सिढी से जाते थे, आजकल कुओं में सिढी भी नहीं है। पानी से सब सिढ़ियां गल गई। रस्से से वह अन्दर जाता है, रस्से से अन्दर जाने वाला दस गांव में एक आदमी होता है, वह आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता। उसके आए बिना कुआँ ठीक नहीं होता। जितने भी ओपनवैल है, कनेक्शन वही काम में ले लो, चाहे मोटर पाइप वही काम में लो, एक ट्यूबवैल खुदाकर उसमें डाल दे तो मशीन से बोरिंग हो जाए और मशीन से वह मोटर निकाल ली जाए तो टाइम पर ठीक हो जाए।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। अधिकारी 2011 की आबादी लेकर बैठे हैं। जाते हैं कि मेरी कांस्टीटयूएंसी का गांव है, पानी की समस्या है, कहते है कि नहीं एमएलए साहब इसमें दो ट्यूबवैल है, इसकी आबादी इतनी है। आप 2011 की आबादी देख रहे हो, आप 22024 की आबादी देखो कि 2011 में कितनी आबादी थी और 2024 में कितनी आबादी है, तीन गुणा आबादी हो गई, आप उसके हिसाब से ट्यूबवैल खुदवाओ।

आपने जी.एल.आर. पर बैन लगा रखा है। पिछली सरकार ने लगा दिया था। मेरी विधान सभा का कहता हूं कि जे.जे.एम. की स्कीम आ गई आपके तो लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में जी.एल.आर. की जरूरत नहीं है। जे.जे.एम. में अभी तक पानी चालू नहीं हुआ। जे.जे.एम.

का काम चलते 12 महीने हो गए। मेरे ख्याल से 12 महीने और जे.जे.एम. की पाइप लाइन चालू नहीं होगी, तो जी.एल.आर. के बिना, आप टयूबवैल लगाकर पानी डालेंगे किसमें?

VPS-RTM-01.08.2024-16.50-3d

बिजली तो आती है छह घंटे, 24 घंटे तो बिजली आती नहीं है कि 24 घंटे घरों में पानी चला जाये। आप जी.एल.आर. बनाओ, ट्यूबवैल से जी.एल.आर. में जायेगा और जी.एल.आर. भर जायेगी तो सब गांवों को पानी मिलेगा।

श्री सभापतिः विराजिये। बस हो गया। श्री विश्वराज सिंह मेवाड़।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, जी.एल.आर. से पानी सब घरों में डिस्ट्रिब्यूट हो जायेगा। एक जो खराब हैंडपम्प पड़े है या तो आप हैंडपम्प खुदवाओ ही मत। जहां पर जरूरत हो वहां पर ही खुदवाओ और जो हैंडपम्प खराब पड़े हैं उनको थोड़ा ठीक करवा दो। कुछ मेरे ट्यूबवैल्स हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह कहूंगा कि उनकी भी सेंक्शन निकाल दो।

माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया।

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, आपने इस सदन में पेयजल के विषय पर मेरे विचार रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। समय पांच मिनट का है तो मेरे विचार भी संक्षिप्त में हैं।

हम सब यह मानते हैं कि यह जो स्थिति है, यह गम्भीर स्थिति है और क्योंकि यह एक मूलभूत सुविधा है तो इसमें कोई पक्ष-विपक्ष तो नहीं है और मानवता के कारण हमारा सबका यह फर्ज बनता है कि हम सभी के पास पेयजल पहुंचाये।

जहां पर सुधार की बात हो तो सुधार का एक अंश यह होता है कि हम यह जांच लें कि हम इस गम्भीर स्थिति में पहुंचे कैसे? सबसे पहले हमको यह तय करना होगा कि सिर्फ पेयजल की बात अकेले नहीं हो सकती है, पेयजल से जुड़ा हुआ है, भू-जल, पर्यावरण, पॉल्यूशन और प्रकृति के कायदे। प्रकृति के कायदे से तो कोई जीत नहीं सकता है इसका मतलब यह नहीं कि हम नये तरीके नहीं अपना सकते हैं, लेकिन अगर हम नये तरीके अपनाये तो हमें प्रकृति के तरीके को ध्यान में रखना चाहिए तब ही लम्बे समय तक सफलता के चांस ज्यादा होंगे।

दूसरी बात, यह भी उचित होगी कि अगर हम पिछले 60-75 सालों को देखें क्योंकि सबसे ज्यादा बदलाव, सबसे ज्यादा चेंज इस समय में हुआ है। आप दक्षिण राजस्थान को देखें तो वहां पर पहले जगह-जगह पर तालाब थे, छोटे तालाब, बड़े तालाब, कुएं थे, कुंड थे, बावड़ियां थीं पर उस समय घर तक जल को पहुंचाने की सुविधा नहीं थी लेकिन उस समय जल पर्याप्त था, तकनीक नहीं थी। आज तकनीक का दावा है लेकिन उसी क्षेत्र में जल नहीं। करीबन 60-75 साल में नवीनीकरण का दौर भी शुरू हुआ कि सब कुछ जो पुराना था अच्छा या बुरा, उसको नकारा गया और साथ में ही नकारे गये प्रकृति के कायदे और जो पुराने पानी के भराव के और पानी एकत्रित करने के तरीके, उनको नकारा गया। काफी हद तक

जनसंख्या जो बढ़ी है, उसको दोष दिया जाता है, पेयजल के संकट के लिए, लेकिन यह एक अधूरा सच है, क्योंकि जब भी शहर बढ़ने लगे तो जो शहर में बावड़ियां थीं, उन बावड़ियों को भरकर कई बार उनके ऊपर इमारतें बन गईं।

नाथद्वारा शहर को आप देखें तो वहां पर ऐसी करीब 30 बावड़ियां हैं जो पहले थीं पर आज नहीं है या आज उनका उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि लोग उन पर कचरा फेंक रहे हैं या वह पानी दूषित है। उदयपुर में करीबन सौ ऐसी बावड़ियां हैं। कुछ दिन पहले यहां पर चर्चा हुई थी कि क्या हर बावड़ी हेरिटेज बावड़ी है तो जहां तक मेरे ध्यान में है कि पिछले 75-100 साल में किसी ने कोई बावड़ी बनायी नहीं है, बल्कि बावड़ी बंद तो जरूर की है। तालाबों की बात को देखें तो भले ही बड़े तालाब हों या छोटे तालाब हों, 60-75 साल पहले कितने तालाब थे और आज कितने रह गये हैं और उनकी क्या दुर्दशा है? नाथद्वारा में आप नाथूवास तालाब को देख लें, उसमें गंदा पानी भरा जाता है। नाथूवास तालाब की पाल में जो निकासी थी, वह निकासी टूट गयी, खराब हो गयी। मरम्मत करने के बजाए उसको चुनवा दिया गया तो अब यह तालाब है, जिसमें कोई निकासी नहीं है और गंदा पानी भरा जाता है। समय-समय पर लोगों के घर पर गंदा पानी जाता है और जो पानी का भराव का क्षेत्र है, वहां पर लोग रहने लगे हैं। नाथद्वारा के दूसरे तालाब भी दूषित हैं। आप भले ही रेलमगरा देख लो, वहां पर तो और भी दूषित है, आप खमनोर को देख लो, वहां पर तालाब है लेकिन पानी का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

उदयपुर को देखे तो उदयपुर जाना जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट, लेकिन जो वेनिस शहर की सुंदरता है, जो उदयपुर ज्यादा सुंदर था वह सुंदरता तो हम कायम नहीं रख पाये लेकिन जो वेनिस का गंदा पानी है, वैसा गंदा पानी उदयपुर में जरूर ले आये। जब से उदयपुर बसा है तो उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र में कभी कोई निर्माण नहीं हुआ क्योंकि पानी की आवक उसी तरफ से होती है लेकिन पिछले दो-तीन दशक से वहां पर भी निर्माण होने लगा है। ग्रीन बेल्ट है, फोरेस्ट लैंड है साथ में होटलें भी हैं। मैं सरकार को एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि वहां उदयपुर शहर में ग्रीन बेल्ट में उन्होंने एक मगरा काट कर, पेड़ काट कर एक पानी की टंकी बनायी है और पानी की टंकी के साथ में उन्होंने एक बड़ी इमारत भी बनायी है तो यह तो एक व्यंग्यात्मक स्थिति है कि उन्होंने पेड़ और पहाड़ काटकर पानी का इंतजाम किया है तो उस पानी की टंकी से भले ही आप कितना भी पानी बह जाय पर यह धब्बा तो धुलने वाला नहीं है।

एक तरफ तो यह रुख है और दूसरी तरफ से एक कड़ा रुख अपनाकर नाथद्वारा में सुखाड़िया नगर जैसे क्षेत्र में फोरेस्ट लैंड कहकर लोगों को अपने हक से वंचित रख रहे हैं तो हम तो खेद ही प्रकट कर सकते हैं कि पहले की अदूरदर्शिता के कारण हम आज इस संकट में हैं। कुम्भलगढ़ एक आखिरी उदाहरण है कि जहां पेड़ और पहाड़ काटकर होटल्स के बाजार की तैयारी पूरी तरह से हो रही है। अभी भी हमारे पास कई बावड़ियां हैं, कई तालाब हैं और अगर हम नये नहीं बना सकते हैं तो जो भी बने हुए हैं, उनमें सुधार करें तो अगर उस क्षेत्र

में वहीं से पानी आये तो वह बेहतर है। दूरदराज मीलों से पानी लाने से क्या फायदा, इतना खर्च भी क्यों?

बाकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे भी सुझाव है जैसे rainwater harvesting, acquifer replenishment, reforestation and water conservation, यह सब तरीके हम अपना सकते हैं लेकिन यह गम्भीर स्थिति है, हमें ध्यान से और जिम्मेदारी से काम लेना है और ध्यान से और जिम्मेदारी से काम लेंगे तो नैतिक स्तर और भू-जल का स्तर, दोनों ऊँचा ही रहेगा और भू-जल ऊँचा रहेगा तो पेयजल भी आयेगा।

आपको धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए।

श्री सभापति: श्री मनोज मेघवाल।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हर बार जब गर्मी शुरू होती है तो पानी की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है और उसके बाद में जो कंटिजेंसी प्लान है उससे ट्यूबवैल की मरम्मत के काम होते हैं तो आने वाले समय में, फिर वह बरसात में जाकर थोड़े कम हो जाते हैं पर इस बार, पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि बरसात पूरी हो रही है परंतु फिर भी पानी की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। बहुत बड़ा कारण इस बार यह रहा कि जो ट्यूबवैल है, उनकी समय पर मरम्मत नहीं हो पायी, जो उनके लिए बजट स्वीकृत हुआ पर उसके वे टेंडर नहीं कर पाये, इस कारण से भी यह प्राब्लम रही।

दूसरा, जो पानी धन्नासर हैड से हमारे यहां पर आता है, हमारा विधान सभा क्षेत्र सबसे लास्ट में पड़ता है, जहां पर पानी आता है और उसमें यदि कहीं भी बीच में ब्रेक-डाउन आता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे यहां पर पड़ता है कि कहीं भी ब्रेक-डाउन रास्ते में आ जाए तो हमारा पानी सबसे पहले बंद हो जाता है क्योंकि हमारा क्षेत्र लास्ट में पड़ता है और उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि जब भी ऐसे ब्रेक-डाउन की वजह से जो निर्धारित आ नहीं पाता है, जो 45 एम.एल.डी. स्वीकृत है, वह नहीं आ पाता है या पूरे दिन ब्रेक-डाउन हो जाता है तो अगले दिन थोड़ा ज्यादा सप्लाई देकर उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें ताकि जो गैप पांच-पांच, सात-सात दिन से पानी वैसे ही मिलता है, वह फिर आठ-आठ, दस-दस दिन पर चला जाता है और बहुत बड़ी समस्या वहां के लोगों को हो जाती है।

एक प्रेक्टिकल समस्या है, वह मैं यह बात करूंगा कि जो सिंगल फेस के ट्यूबवैल थे, पहले जलदाय विभाग उनके बिजली के बिलों का भुगतान करता था और वह एक बहुत बड़ा सोर्स गांवों में हुआ करता था पर धीरे-धीरे पी.एच.ई.डी. ने उनके सिंगल ट्यूबवैल्स के बिल भरने बंद कर दिये। बिजली विभाग वालों ने कभी एक साल, छह महीने इंतजार करके उनके ट्रांसफार्मर हटाने शुरू कर दिये और पी.एच.ई.डी. ने कहा कि अब पंचायत इनके बिल भरे। ग्राम पंचायत के सरपंच यह कहते हैं कि हम बिल भरने के लिए तैयार हैं पर कोई आदेश ऐसा उनके पास में आ जाये, कोई लिखित आदेश एक ऐसा निकले ताकि यह जो समस्या

बनी हुई है कि इनका पंचायत किस आधार पर भुगतान करे क्योंकि सरपंच सब भुगतान करने के लिए तैयार हैं पर उनके भी वही दिक्कत आ रही है कि वे किस मद से भुगतान करें, उनके पास कोई आदेश नहीं है तो यह आदेश लिखित में आ जाये कि ग्राम पंचायत भुगतान कर सकती है तो इस आदेश के तहत वह भुगतान कर सकती है ताकि सरपंच उसका भुगतान कर सकें और गांवों की एक जो समस्या है, उसका निदान हो सके। गांवों की यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान आने वाले समय में हो सके।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी प्रेक्टिकल समस्या यह आ रही है कि जो जे.जे.एम. है, इस जे.जे.एम. में मेन्टिनेंस, जब गांव के अन्दर के मेन्टिनेंस की बात करते हैं विभाग की तो वे यह कहते हैं कि गांव के मेन्टिनेंस के लिए तो हमने गांव की कमेटी बना दी सरपंच के अधीन तो वह इसका निस्तारण करेगी, उसकी मेन्टिनेंस करेगी पर सरपंच के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है, कोई हैड नहीं है कि उसके तहत वे उसका मेन्टिनेंस कर सकें। शुरू में जो 2023 मार्च से पहले जिनके जे.जे.एम. के काम हुए थे, वहां पर जरूर कमेटी के पास दस परसेंट पैसा इकट्ठा हुआ था पर वह पैसा भी इकट्ठा है, उसको भी वे मेन्टिनेंस में खर्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको भी अधिकार नहीं दिये हुए हैं और 2023 के बाद के तो वह कमेटी के पास पैसा भी दस परसेंट था, वह इकट्ठा नहीं हुआ था तो वे किस हैड से उनकी मरम्मत करें, किस मद से करें।

SSY/RTM/01.08.2024/17:00/3e

यह अभी तक तय नहीं है। यह तय करना बहुत जरूरी है क्योंकि जेजेएम वाले, प्रोजेक्ट वाले कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है। गांव के अन्दर का है, यह कमेटी करेगी। सरपंच करेगा। ग्राम पंचायत करेगी। उनके पास कोई पावर नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है। तभी उसका निदान हो पायेगा।

यह विभाग पूरा कांट्रेक्टर के भरोसे चल रहा है। विभाग में एक्सईएन, जेईएन और एईएन के अलावा कोई है नहीं। एईएन और जेईएन की बहुत कमी है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब लाइनें लीकेज हो जाती हैं तो कोई कंट्रोल नहीं होता है। हालत कई बार यह हो जाती है कि 10-10 दिन तक पानी बह रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला, लीकेज रोकने वाली टीमें इनके पास होती नहीं हैं। पूरी की पूरी एलएंडटी और वह, सब कांट्रेक्ट पर दी हुई टीमें हैं, उनकी कोई भी जिम्मेदारी रहती नहीं है कि वह समय पर उसको पूरा करें। पानी व्यर्थ बहता है।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि सड़कें टूटती हैं। उनके रिपेयर का भी कोई हिसाब नहीं है। यह मेंटिनेंस करके जाते हैं तो सड़क वैसे ही छोड़ जाते हैं। जबकि इनका काम होना चाहिए कि उस सड़क की वापस मरम्मत करें। लेकिन उसका कोई काम नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका भी कोई निदान होना चाहिए।

जो पानी की चोरी हो रही है, मैन लाइन से पानी चोरी होकर खेतो में, डिग्गियों में भरते हैं, उसका पता नहीं चलता है। जब पता चलता है या कोई गांव वाला शिकायत करके बताता

है कि यहां चोरी हो रही है तो विभाग वाले या तो खानापूर्ति करके चले जाते हैं, काटते नहीं हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते। उनके खिलाफ चोरी का अगर आप सीधा मुकदमा दर्ज कराओगे तो उनको सबक मिलेगा।

श्री सभापति: विराजें। श्रीमती शोभा चौहान।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): दूसरे भी उससे सबक सीखेंगे। नहीं तो यह बहुत बड़ी समस्या है कि जितना पानी निकलता है उससे ज्यादा रास्ते में चोरी हो जाता है। टंकियों तक पहुंच नहीं पाता है। प्रेसर बनता नहीं है इसलिए इसकी तरफ ध्यान दें। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पेयजल की स्थिति पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत, मगरा एवं मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जवाई पेयजल योजना में सोजत शहर एवं पश्चिमी क्षेत्र की पंचायतों को पेयजल सप्लाई की जाती है। स्थानीय जल स्रोत के साथ गजनाई बांध से मैदानी क्षेत्र में पंचायतों को लूणी नदी बांध से रायपुर क्षेत्र को पानी सप्लाई किया जाता है।

सोजत क्षेत्र में रामेलाव तालाब स्थित है, इसका पानी शहर वासियों के लिए काम आता है। लेकिन कई बार इस तालाब में अपर्याप्त पानी होने के कारण जवाई पेयजल पर निर्भर रहना पड़ता है। जवाई पेयजल पाइप लाइन लीक होने अथवा अन्य कोई समस्या के कारण पानी सप्लाई बाधित होने पर शहर वासियों को कई दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सोजत शहर को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लगभग 2-3 सप्ताह समय के लिए की जाने वाली सप्लाई हेतु जल संग्रहण केन्द्र का निर्माण कराया जाये, ताकि पाइप लाइन मरम्मत अथवा नवीन कार्य हेतु बाधित जल आपूर्ति के समय पेयजल किल्लत ना हो।

महोदय जी, सोजत रोड बड़ा कस्बा है, जिसको जवाई पेयजल से पानी दिया जा रहा है। इस कस्बे में मुख्य रूप से कंटालिया बांध से पानी दिया जा रहा है, लेकिन बांध से सोजत रोड तक बिछाई गई पाइप लाइन पुरानी होने के कारण जगह-जगह लीकेज होती रहती है। साथ ही कई वर्षों पूर्व बिछाई गयी लाइन भी वर्तमान में बढ़ी हुई आबादी के लिए अपर्याप्त है। इस मार्ग में स्टेट हाई वे की नई सड़क बन जाने के कारण पाइप लाइन सड़क के बीच दब गई है। अत: कंटालिया बांध से सोजत रोड के लिए नई पाइप लाइन बिछाई जाये ताकि कस्बे वासियों को नियमित पर्याप्त पानी मिल सके।

गजनई बांध से क्षेत्र के देवली हुल्ला चंडावल नगर स्थित वाटर फिल्टर प्लांट के माध्यम से गुड़ा बच्छराज, केलवा, पीपलाद, देवली हुल्ला, बगड़ी नगर, पाचुंदा कला, खोखरा, सांडया, रूपनगर, करमावास पट्टा, चंडावल स्टेशन, चंडावल नगर, बासना, बोयल, छितरिया, रूंदिया, अटबड़ा गांव सहित 18 गांव एवं ढाणियों में पानी की सप्लाई की जाती है। इस हेतु बिछाई

गई सीमेंटेड पाइप लाइन भी काफी पुरानी होने के कारण लीकेज की समस्या प्रति दिन बनी रहती है।

जगह-जगह ब्लॉक हो जाने के कारण अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इस क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के स्थान पर नई जीआई पाइप लाइन बिछाई जाये। गजनई बांध से पानी की कमी के कारण इन क्षेत्रों में समस्या बनी रहती है। इसके निदान हेतु जोधपुर लिफ्ट कैनाल का पानी राजस्थान नहर में बरना गांव तक पहुंच रहा है, जो सोजत विधान सभा क्षेत्र का गांव अटबड़ा से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यदि इसे आगे बढ़ाकर देवली हुल्ला एवं चंडावल नगर स्थित वाटर फिल्टर प्लांट से जोड़ दिया जाये तो क्षेत्र वासियों को काफी हद तक राहत मिल सकेगी।

महोदय जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर गांव में सहायक अभियंता कार्यालय स्थित है। वर्तमान में रायपुर ग्राम पंचायत का कार्यालय शहरी श्रेणी में सूचीबद्ध है। चूंकि रायपुर ग्राम पंचायत होने के कारण जल जीवन मिशन योजना का लाभ रायपुर वासियों को मिलना चाहिए, लेकिन कार्यालय शहरी क्षेत्र में दर्ज होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण रायपुर कस्बे के आसपास स्थित पाइप लाइन से वंचित बेरियों, ढाणियों तक पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है। रायपुर कस्बा बड़ा होने के कारण झूठा दरवाजा पर एक टंकी का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रायपुर बड़ा कस्बा है, रायपुर पाइप लाइन से वंचित बेरियों, ढाणियों में बिछाये जाने और टंकी निर्माण किये जाने में ट्युब वेल, ओपन वेल हेतु अलग से कार्य योजना की स्वीकृति जारी की जाए।

माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा के अनुसार हर घर नल योजना धरातल पर क्रियान्वित हो रही है। रायपुर कस्बे में 12 ग्राम पंचायतों को पेयजल आपूर्ति लूणी नदी दीपावास बांध से की जा रही है। अपर्याप्त वर्षा के कारण जल स्तर घटना चिंता का विषय है। यह घटता जा रहा है, पेयजल की किल्लत बढ़ती जा रही है। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए बोरवेल कराया जाना आवश्यक है।

बगड़ी नगर भी बड़ी पंचायत है। गजनई बांध से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन वह अपर्याप्त पानी के कारण यहां पर भी बहुत ही किल्लत बनी हुई है। दाधिया स्थित एलएंडटी पम्प हाउस से जोड़ा जाये। पश्चिमी क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के 34 गांवों को दांतिवाड़ा पेयजल योजना से जोड़ा गया है। इस योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। इसमें 4.10 एमएलडी जिसे दांतिवाड़ा फिल्टर प्लांट से लिया जाना है, लेकिन क्षेत्रवासियों को भयंकर पेयजल किल्लत को देखते हुए इसमें स्थानीय जल स्रोत में बहुत ही खारा पानी है, फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से पीने योग्य नहीं रहता। जवाई बांध से अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कई दिनों तक पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। मंत्री जी से आग्रह है कि क्षेत्रवासियों को पर्याप्त नियमित पानी उपलब्ध हो इसलिए अधिकारियों को निर्देशित कर दांतिवाड़ा फिल्टर प्लांट से पानी आपूर्ति प्रारम्भ की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहूंगी कि जनता जल योजना में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक घर तक पाइप लाइन पहुंचाकर घरों में नल तक लगाने का कार्य हमारी सरकार ने हाथ में लिया है। क्षेत्र की अधिकांश जनता को पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य हेतु तोड़ी गई सीसी सड़कें गांवों में परेशानी का सबब बन रही हैं। तोड़े गये मार्गों का पुनः निर्माण अविलंब कराया जाये। कई जगह ठेकेदारों द्वारा पाइप और नल स्वयं नहीं लगाकर उपभोक्तओं से मंगवाये जा रहे हैं। इस कार्य में लापरवाही करने हेतु ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाये। भू-संरक्षण के लिए एनिकट बनाये जायें।

सभापति महोदय, पुनः आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे पानी पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के लिए नहर और भू-जल 2 व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उधर जो भूमि के नीचे का पानी है, वह सारा का सारा फ्लोराइड युक्त है, जिससे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और दांतों का पीलापन होना आम बात है। दूसरा जो पानी है, वह नहर का पानी है।

गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले में जो आईजीएनपी का पानी आता है, उस पानी के अन्दर भी सतलुज के माध्यम से जालंधर की फैक्ट्रियों का पानी आता है, जिससे कैंसर की बीमारी इस पूरे क्षेत्र में फैल रही है। इसलिए एक तो जो जालंधर से फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी आ रहा है, उसे रोके जाने की आज जरूरत है।

दूसरा, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन-तीन बड़ी नहर परियोजनाएं हैं। गंग नगर परियोजना है, भाखड़ा नहर परियोजना है, आईजीएनपी नहर परियोजना है। इसके बावजूद भी सभी गांवों के अन्दर पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। आज भी सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ठुकराना, फरीदसर, रतलासर, गुंसाईसर, हिंजरासर, चाढ़सर, कुंभगढ़, श्योनाथपुरा, गोपालसर, श्योपुरा, 2 केएसआर, 2 डीडब्ल्युएम, 1 बीपीएम, करडु, मालेर, राजाना आदि ऐसे गांव हैं, जिनके अन्दर या तो पानी की किल्लत है या फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए वहां के लोग मजबूर हैं।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि पीएचईड़ी विभाग की जितने भी ट्यूबवैल हैं, उनको 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराये जाने की भी जरूरत है। क्योंकि बहुत सी जगह 6 घंटे बिजली उपलब्ध होने की वजह से भी पानी की पूरी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं।

इसके साथ-साथ सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक एईएन ऑफिस है। एक्सईएन ऑफिस है, जहां एक एईएन और 2 जेईएन बैठते हैं, जो पूरे क्षेत्र की देखभाल नहीं कर पाते हैं। आज भी सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है कि वहां एक और एईएन ऑफिस खोले जाने की जरूरत है, ताकि वह कर्मचारी, अधिकारी पूरी तरह से उस क्षेत्र की देखभाल

कर सकें।

इसके साथ-साथ, मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता दल योजना के कर्मचारी पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। उनके हड़ताल पर बैठने की वजह से आज तक किसी भी अधिकारी ने जाकर उनके साथ बातचीत नहीं की है। इसकी वजह से पानी की पूर्ति बाधित हो रही है।

Spp/Rtm/01.08.2024/17:10/3f

और गांव के लोगों को आज के दिन एक-एक हजार रुपये टैंकर के हिसाब से पानी गिरवाना पड़ रहा है।

इसके साथ-साथ, मेरा यह भी निवेदन है कि RWSSC जो आपने बजट घोषण के अन्दर की है, उसके अन्दर पूरे प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी जगह-जगह धरना-प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं और उस ज्ञापन देने की वजह से भी पूरी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सारे के सारे अधिकारी आज असमंजस की स्थिति में हैं कि वह क्या करें, क्या नहीं करें। इस पर भी पूरा ध्यान देने की आज जरूरत है।

सरकार पिछले छह-आठ महीने के अन्दर पानी देने में पूरी तरह से असफल रही है, बिजली देने में पूरी तरह से असफल रही है, कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट पड़ी है और मंत्री प्रश्नों का जवाब भी पूरी तरह से देने में असफल हैं और फिर बार-बार यह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, यह डबल इंजन का जो जुमला है, उससे काम चलने वाला नहीं है और क्षेत्र के अन्दर पीने के पानी की बहुत बड़ी जरूरत है, उसको पूर्ति करने की जरूरत है। आज क्षेत्र को स्वच्छ पीने का पानी चाहिये और पीने के पानी के लिये जो व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्थाएं चुस्त-दुरूस्त करने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे पेयजल पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के तहत गत सरकार में केन्द्र सरकार द्वारा जितना भी पैसा दिया गया, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं, मात्र 15 प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ है। 15 प्रतिशत पैसा खर्च होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत के गांवों में यह दशा है कि सारे खरंजे तोड़ दिये गये, उखाड़ दिये गये। वापस उनकी रिपेयरिंग नहीं की गयी। निर्धारित मापदण्ड होते हुए भी इन्होंने निर्धारित मापदण्ड से काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा पेयजल के हिसाब से, कि गत 2013-14 में वसुन्धरा जी की सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जावर पेयजल से 16 गांव और गुलेण्डी पेयजल से 72 गांव और कालीखार पेयजल से 77 गांव और छापी परियोजना से 38 गांवों को जोड़ा गया। उस समय जो जनता जल योजना चल रही थी 1500 गांवों की आबादी के लिये, जो कुआ खोदकर उन गांवों को पानी देना था, वह अच्छी योजना थी। उस

योजना में भी ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली के बिल जमा न करने के कारण कई योजनाएं बंद पड़ी हैं। इस तरह से उस समय भी काफी योजनाएं संचालित थीं और आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल जीवन मिशन द्वारा पुरानी पाइप लाइनों को काम में लेने से उनमें चैकिंग की समस्या होने से पाइप लाइनों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता है जिससे उपभोक्ताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। मुख्य पाइप लाइन नई नहीं डाले जाने से अन्तिम छोर तक पानी पहुंचने में समस्या आती है। पुरानी पाइप लाइनें काम में लेने से इनमें कई जगह अवैध पेयजल कनेक्शन होने के कारण पर्याप्त पेयजल अन्तिम छोर तक नहीं पहुंच पाता है और पेयजल सप्लाई खोलने वाला समय पर पेयजल सप्लाई नहीं करता है। इस वजह से भी उपभोक्ता को समय पर पानी नहीं मिल पाता है। पानी की टंकियां हर गांव में नहीं होने से गांव व मजरों में पानी का पर्याप्त प्रेशर नहीं मिल पाता है। पानी की टंकियां ऊंचाई वाली जगह पर नहीं बनने से पहाड़ी पर बसे हुए गांव और मजरों में पानी नहीं पहुंच पाता है। उपभोक्ताओं के द्वारा टोंटियां तोड़ देने से भी नुकसान होता है और अन्तिम छोर तक बसे लोगों को पानी नहीं मिल पाता है।

माननीय सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में जल जीवन मिशन योजना अभी तक चालू नहीं होने से पानी की समस्या आ रही है। जबकि कम समस्या वाले गांवों को योजना से जोड़ दिया गया है। राइजिंग पाइप लाइनों की मोटाई पुरानी ही रखी गयी है। वहां पर नई लाइनों व ज्यादा व्यास वाली पाइप लाइनें डालने से पर्याप्त प्रेशर से पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। पहाड़ी पार करके काफी दूर जाने वाली पाइप लाइनों में पम्प छोटे होने से टंकियां पूरी नहीं भर पाती हैं। वहां पर बड़े पम्प व बड़े व्यास की पाइप लाइनें डालने से इन सभी उपायों का अपनाकर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है।

जल संसाधन विभाग द्वारा भूजल स्तर बढ़ाये जाने हेतु बनायी गयी कई संरचनाएं और प्रस्तावित योजनाएं इनसे पेयजल भी काम में आती हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में औसतन 1154 एम एम वर्षा दर्ज की गयी। वर्तमान में मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में परवन वृहद व नेवज, कालीखार, धारगंगा एवं छापी लघु इत्यादि नदियां बहती हैं, उससे भी पेयजल की व्यवस्था हो सकती है। भूजल स्तर बढ़ाने हेतु नेवज नदी पर खेरखेड़ी मेवातियान, कुजरी, सन्याघाट, सरेड़ी, ल्हास, बड़बद में पूर्व में एनिकट का निर्माण किया जा चुका है, इनसे भी अपन पेयजल सप्लाई कर सकते हैं।

परवन नदी पर खाताखेड़ी, बोरदा-बिसलाई, जावर, बट्टूखेड़ी, पतलोन, अमलावदा एवं अकावद पर एनिकट बने हुए हैं। इनसे भूजल स्तर में वृद्धि की जा सकती है और पेयजल के लिये काम में लिया जा सकता है।

भूजल बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत विभिन्न एनिकट, एम एस टी बनाये गये हैं एवं प्रस्तावित भी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अन्तर्गत विभिन्न 33 माइक्रो डेम बनाये गये हैं एवं 19 माइक्रो डेमों के निर्माण कार्य

प्रस्तावित हैं, जिसमें सेस लोकल नाला में अधिक जल एकत्रित होने से भूजल स्तर भी बढ़ेगा और वह पेयजल के काम भी आयेगा।

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में मूलतः छापी मध्यम सिंचाई परियोजना व कालीखार गुलेण्डी व चाइलिया लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा चुका है। इससे भी हम पेयजल हेतु काम में ले सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि पेयजल हेतु उचित व्यवस्था इन माइक्रो डैमों और पेयजल से भी की जाये और नदियों में एनिकट बनाकर जैसे गोरवखेड़ा के पास,मनोहरथाना में और ढाबा के पास, जावर के पास अगर इन नदियों में एनिकट बनाये जायें तो वह भी पेयजल सप्लाई के काम आ सकता है ताकि बीच का क्षेत्र, जो पेयजल से अवरूद्ध रहा है, उसको उससे जोड़ा जा सकता है। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री प्रशांत शर्मा।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय सभापति महोदय, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों में जल वह स्रोत है जो मनुष्य के लिये सर्वाधिक आवश्यक है, उपयोगी है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व जलवायु इतनी विषम है कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे यहां भूजल स्तर हर वर्ष दर वर्ष ज्यादा गिरता जा रहा है। मैं चूंकि आमेर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जो ऐतिहासिक रूप से पर्यटन की दृष्टि से विश्व के नक्शे पर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे कहते हुए अत्यन्त खेद है कि आमेर कस्बे में बीसलपुर के प्रोजेक्ट की लाइन सैंक्शंड है, गत सरकार द्वारा वह प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था, लेकिन वर्तमान में अभी वहां पर उस काम को चुनाव के बाद रोक दिया गया और वहां पर अभी पाइप भी पहुंच गये हैं, लेकिन मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपके विभाग की स्वीकृति का वह इन्तजार कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां भौगोलिक रूप से आमेर की बसावट इस तरह की है कि कुछ क्षेत्र समतल है, कुछ पहाड़ों पर है। मैंने आपको पहले बताया कि देवीकोर, चोमरिया और ऐसे स्थानों के बारे में बताया कि जहां सैंक्शंड हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पहाड़ पर कॉलोनियां बसी हुई हैं, वहां पर छोटी टंकियों के माध्यम से स्ट्रक्चर बनाये जायें जिससे वहां पर पेयजल आपूर्ति हो सके। हमारे यहां नगर निगम का वार्ड नंबर 2 है, उसमें हांडीपुरा, मेहंदी का बास, ठाठर कॉलोनी जे डी ए के द्वारा बसायी गयी कॉलोनी है, वहां पर भी जलापूर्ति प्रोपर नहीं हो पा रही, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा जितना पानी वहां पर स्वीकृत था, उस पानी को घटा दिया गया है। ऐसा हमें आपके विभागीय अधिकारी अवगत कराते हैं। उसको ठीक कराने की आवश्यकता है। वहां पर जितनी जलापूर्ति की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हमें पानी दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां मावठा एक बहुत बड़ा रिजर्व वायर बना हुआ है

और पिछले समय में दो बार जब 2008 में सरकार थी, तब भी और अभी 2018 से 2023 के बीच में भी उसको बीसलपुर से भरा गया था और जब बीसलपुर से उसको भरा गया तो उसमें वहां के और प्राकृतिक जल स्रोत और जो रिजर्व वायर बने हुए हैं जिन पर डिपेंडेबल हैं, उसमें भी पानी रिचार्ज हो जाता है और स्वत: वहां पर पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। वार्ड नंबर 3 और 4 सेमी-अरबन हैं, उनमें हमारे यहां नई कॉलोनियां बस गयी हैं, क्योंकि जयपुर के बहुत नजदीक हैं।

Jyg/rtm/01.08.24/17.20/3g

वहां भी पानी की व्यवस्था के लिए बीसलपुर प्रोजेक्ट सैंकसंड है पर वहां पर लाइनों को बिछाने में अभी देरी लग रही है। मैं चाहता हूं कि उस काम को भी आप तीव्र गति से कराएं तो वहां पर हमारे लिए अधिक संभावनाएं हो सकती हैं।

जैसा मैंने आपको बताया कि विधान सभा क्षेत्र, आमेर जयपुर के तीन तरफ बसा हुआ है। हमारे यहां की कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो सीकर रोड पर और दिल्ली रोड पर बसी हुई हैं जो नगर निगम क्षेत्र से बिलकुल जुड़ी हुई हैं। वहां पर जो हमारी बीसलपुर की लाइन जो नगर निगम क्षेत्र में कोई 50 मीटर, कोई 100 मीटर, 200 मीटर, अधिक से अधिक 500 मीटर दूरी तक लाइनें आई हुई हैं वहां पर भी कॉलोनियां बस गई हैं। मासूम लोगों ने वहां पर प्लॉट खरीद लिए सोसाइटियों में खरीद लिए, वहां उन कॉलोनियों में बस रहे हैं, हजारों-लाखों की तादाद में लोग बस गए, और अब वो केवल टैंकरों की सप्लाई पर आश्रित हैं क्योंकि ग्रामीण पेयजल योजनाएं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाती। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में आप संवेदनशीलता के साथ, सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हमें इस बारे में थोड़ा आप सहयोग करें।

जनता जल योजना में जो हमारी पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उनकी पाइप लाइनें ऑलमोस्ट जर्जर हो चुकी हैं, कई जगह चोक हो चुकी हैं, तो अगर वहां नई लाइनों की आप स्वीकृति दें तो काफी अच्छी व्यवस्था वहां पर हो सकती है। इसके अलावा जिन गांवों में जल जीवन मिशन के तहत बोरिंग हो गए, टंकियां बन गईं लेकिन पाइप लाइनें, सब जगह गांवों तक नहीं पहुंच पाई, मेरा आपसे यह भी अनुरोध रहेगा कि और पाइप लाइनें हमारे यहां सैंक्शन करके उन गांवों-ढाणियों को भी जोड़ सकें और उस योजना का पूर्ण लाभ हम लोगों को मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार जैसे आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर मुझे विचार रखने का अवसर प्रदान किया, आपका हार्दिक आभार।

जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून, ये उक्तियां पढ़ते हुए हम सब बड़े हो गए हैं। आज भी पानी की हर जगह आवश्यकता है। इसी कारण 1983 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोगों में पानी की जरूरत और उसे संरक्षण के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च

को विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने इस कार्य को महत्वपूर्ण मानकर मई, 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके हमारे राजस्थान के केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह जी शेखावत को कमान सौंपी। इसके तुरंत बाद 1 जुलाई, 2019 को जल शक्ति अभियान का शुभारम्भ हुआ, जिसमें हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया। केन्द्र सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया था। प्रधान मंत्रीजी की यह सोच थी कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में, गरीब आदमी के घर में स्वच्छ और निर्मल जल पहुंचे। यह प्रधान मंत्रीजी की सोच थी। प्रधान मंत्रीजी इतनी अच्छी योजना लाए, 15 अगस्त, 2019 से लागू तो हो गई पर बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि तब प्रदेश सरकार कांग्रेस की थी, तो प्रदेश सरकार से सहयोग नहीं मिला। अन्य प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकारें थीं वहां इस योजना में काम अधिक हुआ और राजस्थान में बिलकुल न के बराबर काम हुआ, यह सब आपके सामने है। अब सामने वाले हमारे भाई कह रहे हैं, बार-बार आरोप लगा रहे हैं परंतु आपने यह काम इसलिए नहीं किया कि यह काम होगा तो नरेन्द्र मोदीजी का नाम बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बढ़ेगा इसलिए आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाने से रोका। यह आपके सामने है। मार्च 2024 तक प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख कनेक्शन होने थे लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 51 लाख कनेक्शन ही हुए जो लक्ष्य का केवल 48 प्रतिशत ही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, भजन लाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने सरकार बनते ही योजना की जानकारी ली। पहले प्रदेश में प्रतिदिन 1000 से 1200 कनेक्शन हो रहे थे, इनकी संख्या अब तीन गुना तक पहुंची है। इस वर्ष प्रदेश के बजट में जल जीवन मिशन के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करके 25 हजार ग्रामीण घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो स्वागत योग्य है। प्रदेश में पुराने कुएं, बावड़ी व अन्य जल स्रोतों का संरक्षण भी किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर मेरे क्षेत्र की कुछ मांग है जो मैं कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में चम्बल की थोड़े दिनों पहले जो पाइप लाइन डाली गई, हमारे आरोली से हिण्डोली जो विश्वप्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा डाली गई, इसमें एमएच की लाइन जो डाली गई उसमें कांग्रेस सरकार के वक्त पूरा भ्रष्टाचार हुआ और अनियमितता बरती गई। उसी जगह यह लाइन बाहर ऊपर डाल दी गई और जो नियम था 1 मीटर जमीन के नीचे डालने का, परंतु वो डाली नहीं गई और रोड के किनारे डालनी थी लेकिन किसानों के खेतों के बीच में डालकर उनकी खेती भी नष्ट कर दी गई। ऐसी अनियमितता ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने किसानों की जमीनें बरबाद कर दी, जो बिलकुल रोड के सहारे नहीं डालकर गांव के खेतों के अन्दर डाल दी। मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पहले पानी की पूरी व्यवस्था थी, आठ तो बड़े बांध हैं, पानी की कोई कमी नहीं है परंतु यह जो चम्बल की योजना चालू थी उसे जल जीवन मिशन में शामिल किया गया। परंतु वहां पर कुछ बड़े गांव जैसे माण्डलगढ़ है, घनी आबादी है वहां पर पानी की नई लाइन नहीं डाली है। पुरानी लाइनें बेकार थीं, छोटी थी, जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से पूरी व्यवस्था

नहीं हो रही है तो वहां पर भी नई लाइन डलवाई जाए।

हमारे काचोला कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर भी कुछ क्षेत्र में अच्छा पानी आ रहा है और कुछ क्षेत्र में बिलकुल भी पानी नहीं आता है, रोज शिकायतें होती हैं, हमेशा आपके डिपार्टमेंट को सूचना करते हैं तो बड़ी मुश्किल से पानी चालू होता है, दो दिन के बाद वह वापस बंद हो जाता है। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे बिजौलियां, काचोला और बडल्यास कस्बा जो बहुत बड़ा कस्बा है, कभी वहां पर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हुई। नन्दराय में जो भी चम्बल के पानी से जोड़ा तो वहां पर जो पुरानी लाइनें थी, पूरी मिट्टी बरसों से जमी थी 40 साल से, वो पूरी घरों में जा रही है, गंदा पानी घरों में जा रहा है। मैं मांग करता हूं माननीय मंत्रीजी से कि वहां पर नई लाइन डाली जाए। ऐसे ही हमारे मंशा पंचायत के गांव हैं, वहां पानी नहीं जा रहा है। गंवली में हाजीवास, सोडियास, वहां पर पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। गंवली में रेणवास और उसके आसपास जो गांव हैं, उस पंचायत के, वहां पर पानी कभी पहुंचा ही नहीं। मैं आपसे मांग करता हूं कि जहां-जहां पर भी चम्बल के पानी की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है, वहां पर कृपा करके वहां पर पानी की नई लाइन डलवाकर वहां पानी की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, नगरों में पड़ने वाले कॉम्पलेक्सों, रिसोर्ट्स व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे बड़े स्कूल हैं, वहां पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था होगी तो भूजल स्तर बढ़ेगा।

भूजल का अत्यधिक दोहन, व्यावसायिक उपयोग और उससे आ रही समस्याओं पर हम सभी को गम्भीरतापूर्वक विचार कर कोई व्यवस्था बनानी होगी नहीं तो आने वाले समय में पानी की स्थिति खराब होगी। पानी बहुत कम है, मैं आपसे और मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जहां भी पहले मोटरें चलती थीं, जल जीवन मिशन आने के बाद गांवों के सरपंचों ने बिल जमा करवाना बंद कर दिया, तो आपसे मांग करता हूं कि मेरे यहां पानी खूब है केवल वितरण प्रणाली सही कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पानी के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, नागौर जिला और डीडवाना-कुचामन जिला, दोनों जिले हमारे इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, उसी पर निर्भर है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे दोनों जिले के प्रभारी मंत्री पीएचईडी मंत्री हैं। पानी की जो मूल समस्या है वो आप हमारी निराकरण करेंगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर फर्स्ट और सेकंड हमारी सरकार में यह काम हुआ था और डीडवाना-कुचामन जिले में 4 हजार करोड़ रुपये लगाकर भी आज हमारे जिले के अन्दर जो पानी तीन-चार दिन में मिलना चाहिए वो पानी

नहीं मिल रहा है, वो पानी 10 से 12 और 15 दिन तक हमारे मकराना शहर और मकराना ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि इंदिरा गांधी नहर का जो इसमें जो एग्रीमेंट है उसमें 450 एमएलडी पानी का रिजर्व रखने का प्रावधान है।

MLS/RTM/01.08.2024/17:30/3h

और मात्र 250 एमएलडी पानी मिल रहा है, जबकि 350 एमएलडी पानी की मांग है। यह पूरा-पूरा पानी अगर मिल जाये तो हमारे जिले को अच्छी तरह से पानी मिल सकता है। मकराना विधान सभा क्षेत्र में 16 एमएलडी पानी की डिमांड है, लेकिन 11 एमएलडी पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां दस-दस, बारह-बारह दिनों तक पानी नहीं आता है। ग्रामीण में भी 16 एमएलडी पानी की डिमांड है। 18 एमएलडी पानी मिल रहा है। इसमें आप अगर सुधार करा दें तो हमारे मकराना ग्रामीण के विधान सभा क्षेत्र में 3-4 दिन में पानी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि मकराना शहर में पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि न तो किसी के घर में पानी का मीटर लगा हुआ है, खाली ऐसे ही 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार के बिल आ रहे हैं, इन बिलों की समस्या का भी आप निस्तारण कराइये।

माननीय सभापति महोदय, ये जो वंचित ढाणियां, जो इंदिरा गांधी नहर में वंचित रह गयी हैं, उनका सर्वे कराकर उन्हें भी आप जोड़ें। 2008 से 2013 के बीच में सिंगल फेज ट्यूबवैल खुदे हुए थे। हमारे पूरे जिले में एक-एक विधान सभा में तीन-तीन सौ, चार-चार सौ सिंगल फेज खुदे हुए थे, लेकिन वे विभागीय स्तर पर खुदे हुए थे। जब राज बदला, उस समय ग्राम पंचायत के अंडर सिंगल फेज ट्यूबवैल दे दिये गये थे। आज ग्राम पंचायत बिजली का बिल भरती नहीं है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

पानी अच्छी मात्रा में वहां गांव, ढाणियों के सामने पडा है, लेकिन बिजली के बिल की वजह से वे सिंगल फेज ट्यूबवैल आज बन्द पड़े हैं। आप अगर उनके बिजली बिल भर दें तो हजारों की तादाद में सिंगल फेज ट्यूबवैल चालू हो जाएंगे। 2014 के आपने जब सिंगल फेज ट्यूबवैल विभागीय हिसाब से बन्द किये गये हैं, इसकी रोक भी आप खोलें, क्योंकि कई जगह, जिस तरह से हमारे नागौर में, मकराना में पानी बहुत कम है, थ्री फेज ट्यूबवैल विभागीय हिसाब से स्वीकृत होता है।

उसकी लागत ही 15-16 लाख रुपये आती है। सिंगल फेज ट्यूबवैल साढ़े 3 लाख की लागत में खुद जाता है। बिजली भी सिंगल फेज ट्यूबवैल जितनी मिलती है। आप देखिये, विभाग द्वारा जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, सिंगल फेज एमएलए कोटे से खोदा जाता है, लेकिन थ्री फेज की जगह सिंगल फेज का भी आप यह रोग हटाएं ताकि कम पैसे के अन्दर सिंगल फेज ट्यूबवैल हो जाये।

एक यह मकराना शहर में अमृत योजना स्वीकृत हो गयी थी पिछले एक-डेढ़ साल पहले 21 करोड़ की। इसका टैंडर लगाया जाये, क्योंकि मकराना में बहुत पुरानी पानी की लाइनें हैं,

जो 10-10, 15-15 फीट नीचे गहरी हैं, 125 किलोमीटर की इसमें पाइप लाइन स्वीकृत है। तीन पानी की टंकियां स्वीकृत हैं, इसका जल्द से जल्द टैंडर कराएं तो इसका हम सबको लाभ मिलेगा।

हमारी पूर्ववर्ती सरकार में 21 ट्यूबवैल्स स्वीकृत किये गये थे और टैंडर होना बाकी है। इसके टैंडर लगाकर विभागीय हिसाब से इसका सर्वे हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पानी की आवश्यकता थी ढाणियों में, यह 21 ट्यूबवैल्स की लिस्ट मैं आपको टेबल कर दूंगा, आप मंत्री जी को भी इसका करवा दें। एक यह हमारे जो नहर का काम हुआ है, यह सीडीएस 2 प्रोजेक्ट के कार्य द्वारा या अधिकारी, ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती गयी है। सीडीएस 2 पाइप लाइन डाली गयी है इसमें। एक फीट से दो फीट गहरे में डाली गयी है, जबकि साढ़े 3 फीट का इसमें डालने का प्रावधान है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: ज्यादा हो गया एक मिनट।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): इसमें खेती करने वाले किसान जब खेती करते हैं तो कहीं छह इंच ही है, कहीं एक फीट है, पाइपलाइन टूट जाती है।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री थावर चन्द। लास्ट।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): धन्यवाद।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने प्रदेश में पानी को लेकर आज मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं साथ में यह बताना चाहूंगा कि पानी के बारे में आज से दो-तीन महीने पहले बोलने का मौका मिलता...

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट में बोलना जो बोलना है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): तो उस समय का जो चित्र था, आंखों के अन्दर मंजर था, मैं बताना चाहूंगा कि गर्मियों में पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ था। हमारे इलाके में भी कई ऐसी जगह थीं, जहां पर पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पायी। कई जगह हैंडपम्प की भी यही स्थिति थी कि मिस्त्री भी नहीं थे और साथ में पाइप भी नहीं थे। ऐसे वक्त में हमारा दलोट, अरनोट, प्रतापगढ़ का इलाका, धरियावद लसाड़िया, झल्लारा का इलाका, जहां पर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर साइकल पर पानी बांध-बांधकर गांवों से लोग लेकर जा रहे थे इधर से उधर। ऐसी स्थिति से वे गुजर रहे थे।

ऐसे में मेरा एक सुझाव है। हमारे इलाके बांसवाड़ा-डूंगरपुर और उदयपुर सम्भाग, सोम कमला बांध, जाखम बांध, माही बांध, कडाना बांध, जयसमन्द बांध, इन बांधों का जो पानी भराव है, इनको आसपास के जितने भी तमाम जिले हैं, उनमें जो बावड़ियां हैं, झीलें हैं, इन सबके अन्दर गहरा करके पानी को पहुंचाया जाये ताकि वहां की भराव क्षमता बढ़े। साथ-साथ ही, अभी जितने भी बांध हैं, एनिकट हैं, उनका नवीनीकरण किया जाये। उसके मार्फत् से जो पुराने बांध बने हुए हैं, उनमें जो कीचड़ भरा है, उसे निकालकर अगर भराव क्षमता बढ़ायी जाती है तो और अच्छा हो सकता है। साथ में यह कहना चाहूंगा कि जाखम की जो नहरें हैं, वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, इनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है।

जो हमारे जाखम का पानी है, उसे अन्य जगह ले जाने की बात चल रही है। मैं उसके लिए सहमत हूं, परन्तु जाखम के किनारे पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास पानी नहीं पहुंच रहा है, चाहे वह अरनोट हो, दलोट, प्रतापगढ़ का इलाका हो, इन इलाकों को भी वह पानी मिलना चाहिये।

मैं साथ में, यही कहना चाहूंगा कि गर्मी में जल स्तर नीचे जाता है, उसके लिए आसपास के जितने भी एनिकट बावड़ी, कुएं हैं, इनकी भराव क्षमता के लिए इन तालाबों का पानी उनके अन्दर डाला जाये ताकि यहां के लोगों को पानी मिल सके।

साथ में, जेजेएम का जो काम चल रहा है, हमारी विधान सभा में जब गर्मी के दिनों में हम देखने गये तो बहुत सारे इलाकों में सिर्फ यह बताया गया कि यह टंकी तो बन गयी है, लेकिन कुआं बाकी है। कई जगह कुआं बन गया है तो टंकी बाकी है। कहीं पर भी पानी चालू नहीं हुआ। ऐसे में जांच करने की जरूरत है। जो भी ठेकेदार इस तरह की लापरवाही करते पाये जाएं, उन सबको ब्लैक लिस्टेड करने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द यह हो।

साथ में, मैं यह कहना चाहूंगा, गर्मी में जिस तरह की परेशानी आयी, जो सार्वजनिक स्थान हैं, स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, आंगडबाड़ी हैं, मां बाड़ी हैं, देवस्थान हैं, इन जगहों पर पानी की व्यवस्था के लिए चाहे हैंडपम्प लगाएं या टंकी लगाएं, उनके माध्यम से पानी हम लोग पहुंचा सकते हैं। साथ में, जो कृषि के लिए पानी की सुविधा है, वह उस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं।

मैं यही कहना चाहूंगा कि जो माइनर नहरें हैं, वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, चाहे वे सोम कमला अम्बा की नहरें हों, चाहे वे जाखम की नहरें हों। आज उस इलाके में टेल तक पानी नहीं पहंचता। गर्मियों के समय में इन बांधों से हर महीने एक दिन पानी छोड़ा जाये ताकि उस क्षेत्र में पानीं पहुंच सके। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह श्रीमान् ने एक व्यवस्था दी कि डायस पर मुख्य सचेतक आएंगे या उधर से आएंगे, जो भी बात करनी है, उसके बावजूद भी बार-बार अनेक सदस्य आपके डायस पर आकर डायरेक्ट बात करते हैं। व्यवस्था की पालना होनी चाहिये। आपने स्वयं इस पर व्यवस्था दी है। ...(व्यवधान)... पालना नहीं हो रही है। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय...

mkd/rtm/01.08.2024/17.40/3j

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन के सुचारु संचालन हेतु – (i) आसन द्वारा समय-समय पर दी गईं व्यवस्थाओं का letter & spirit में पालन किया जाय, व (ii) चर्चा हेतु उपलब्ध समय के दृष्टिगत सचेतक सदस्यों के नाम व सारगर्भित उद्बोधन सुनिश्चित करें

श्री अध्यक्ष: अब आपका हो गया। आपने धन्यवाद दे दिया है।

मैंने कई बातें कहीं, मैं आप दोनों के सहयोग से सदन चला रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि लाइटली लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसको एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया या तो मैं उसी फॉर्म में जा जाऊं। मुझे भी पालना कराना आता है, लेकिन मैं कठोर बनना नहीं चाहता हूं।

आप सब लोगों से निवेदन है कि जो व्यवस्था दी जाये, हम उसका अक्षरशः पालन करें। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, हम सब यहां बराबर हैं।

साथ ही, एक बात और कहना चाहता हूं, अभी एक-दो मिनट का समय है। मैं कई बार सचेतकों से आग्रह करता हूं कि समय निर्धारित होता है, उसके अनुसार सूची बनायें। हम तीस-तीस, पचास-पचास की सूची बनाकर लायेंगे। साहब, मान नहीं रहे हैं। मनवाना आपका काम है, मेरा नहीं है। हमारा समय निर्धारित है, उसमें आप जितने लोगों को बुलवाना चाहो, उस हिसाब से मिनट्स एडजेस्ट करके दो। साहब, हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है,यह मेरा काम नहीं है। यह आसन का काम नहीं है। आसन का काम टाइम का पालना करवाना है।

कल मंत्री जी पानी की चर्चा पर उत्तर भी देंगे। अभी मैं जो लिस्ट देख रहा हूं, उस हिसाब से तो कल बिजली का तो हो ही नहीं पायेगा। कल बिजली की भी चर्चा है, इसलिए मैं समझता हूं कि पानी की आज जहां तक हो गई, प्लस दो-चार आपके बच गये हों, पांच इधर के, पांच इधर के, मुझे वे नाम सवेरे दे दें। वे पानी पर बोलें। मंत्री जी का जवाब आ जाये। उसके बाद बिजली पर चर्चा शुरू हो। फिर कहेंगे तो कल शाम को घंटे, दो घंटे बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाने की भी सीमा होगी। अभी 6 बजे पूरी खत्म करनी है।

माननीय सदस्य आप नये आये हैं। सदन का समय 11 बजे से लेकर 6 बजे तक है, बीच में एक घंटा लंच है। उसके बाद हम अपने काम के अनुसार बढ़ाते रहते हैं, लेकिन बढ़ाते रहने का मतलब यह नहीं कि अनिश्चितकाल तक रात के 11 बजे तक बैठेंगे, क्योंकि हमको बोलना है। बोलना भी, विषय वस्तु पर बोलने का स्वभाव भी डालना चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कल का लंच कैंसिल कर दें।

श्री अध्यक्षः रोज कैंसिल ही हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं, वे भी अपने आप को टटोल लें कि क्या विषय वस्तु पर बोल रहे हैं क्या?

यानी, हमको केवल बोलना है, भाषण करना है, यह सदन उसके लिए नहीं है। तैयारी करके आओ, बोलो, अच्छा बोलो, जनता भी देख रही है, सुन रही है, आप अपने क्षेत्र में छपते भी हो, लेकिन विषय वस्तु की तैयारी करके आना। सवेरे भी जैसे बिल पर कुछ लोग, चाहे कुछ मिनट ही बोलें, बिल को देखा ही नहीं, बिल सोचा ही नहीं। कल रिपोर्ट पर चर्चा थी, मैं देख रहा हूं, मैंने प्रोसेडिंग देखी। रिपोर्ट पढ़ी कितने लोगों ने ईमानदारी के साथ, जो नहीं पढ़ पाये, कोई बात नहीं, लेकिन वे रिपोर्ट पर फिर अपना नाम नहीं लिखवाये।

यानी, मेरे यहां बिजली की कमी है, यह बोलने के लिए ही थोड़े ही खड़ा होना है। कुछ स्टडी करो, कहां फैक्ट्स हैं, क्या हैं और कोशिश करके एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की जगह अच्छे सुझाव दो। सरकार चाहे इधर की रही हो, चाहे अभी आपकी है, लेकिन ऐसे

सुझाव दो कि बिजली की व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जाये, तब तो सदन की सार्थक चर्चा का तात्पर्य है, लेकिन आपने पांच साल में नहीं किया, आपने आठ महीने में क्या किया, कुछ हो नहीं रहा है, अंधेरा है, इसमें सदन का समय भी जायज होता है। ठीक है, अपने पांच-दस मिनट में दो-चार लाइनें बोल दीं, वह एक अलग विषय है, लेकिन पूरे भाषण में वही रिपीट हो रहा है। आप उठाकर देख लें, जो कुछ आप बोलना शुरू करते हैं, रिपीट हो रहा है या आरोप-प्रत्यारोपों में जा रहा है।

ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में लगाते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। बहस सार्थक हो और लाभ जनता को मिले, ताकि बाद में पॉलिसी मैटर में ये भी कुछ चैंजेज कर सके। ऐसे कोई इधर से सुझाव आने चाहिए। यहां कुछ कमियां रहीं तो आगे से यहां भी कमियां नहीं हों। कमियां निकालना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि केवल उन्होंने यह किया, इन्होंने यह किया, इसकी तुलना में मेरा आगे भी, यह सदन तो कितने दिन चलेगा, जो भी चलेगा, कल बीएसी की मीटिंग में तय होगा, लेकिन आगे भी मेरा निवेदन है कि हम लोगों में से कुछ नये भी आये हैं, कुछ अच्छे भी निकलकर आये हैं, कुछ अच्छी तैयारी भी करके आये हैं, ऐसा सब लोग करेंगे तो इस बहस की सार्थकता बढ़ेगी। दोनों सचेतकों से स्पष्ट कह रहा हूं। माननीय सचेतक महोदय, नींद निकाल रहे हैं क्या? आपको ही कह रहा हूं। आप विराजिये। इसलिए जल्दी खत्म कर रहा हूं आज।

माननीय दोनों सचेतकों से निवेदन है कि कल केवल पानी पर पांच-पांच लोगों के ही नाम दें और फिर बिजली पर आप दे देना ताकि उसका जवाब आ जाये। फिर, कल बिजली का भी जवाब आ जाये। यह सूची तो पचास-पचास की आ गई है। यह सम्भव नहीं है कि दौ सौ के दौ सौ एक ही मुद्दे पर बोलेंगे, यह सम्भव ही नहीं है। उसमें नाम कैसे काटते हैं, यह आपका अधिकार है। किसको बुलाना है, यह आपका काम है। यह मेरा काम नहीं है। मुझे तो टाइम फिक्स करना है। कल पांच-पांच मिनट, दस-दस मिनट, जो आप तय करेंगे, उतने बुलवा लेंगे। फिर जवाब आधे घंटे में आ जायेगा। फिर, अपन बिजली पर बहस शुरू करेंगे। इसमें साहब मान नहीं रहे हैं, मनवाना आपका काम है, मनवाना मेरा काम नहीं है। इतना ही मेरा निवेदन है।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 02 अगस्त, 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.43 बजे शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)